तृतीय माला, खण्ड २१—अंक २६

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३
२६ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २१ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित *प्रश्न संख्या ७०० से ७०२, ७०४ से ७१० और ७१३	३१३७—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७	३१६०—६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०३, ७११, ७१२, ७१४ से ७१६, ७१६-क और ७२० से ७२७	३१६४—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या १६७५ से २००६, २००८ से २०७३, २०७३-क और २०७३-ख	३१७२—३२१७
दिनांक १६ अप्रैल, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५१ के उत्तर में शुद्धि	३२१८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३२१८—१६
देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	
स्थगन प्रस्तावों और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में	३२१६—२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२२०—२१
लोक लेखा समिति :	३२२१
चौदहवां प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति	३२२१
अड़तीसवां प्रतिवेदन—	
अनुपस्थिति की अनुमति	३२२१—२३
गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक—पुरस्थापित	३२२३
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	३२२३—५७
श्री महेश दत्त मिश्र	३२२४
श्री श्याम लाल सर्राफ	३२२५—२६
डा० राम मनोहर लोहिया	३२२६—३५
डा० सरोजिनी महिषी	३२३५—३६
श्री बालकृष्ण वासनिक	३२३६—३७
श्रीमती गायत्री देवी	३२३७—३८
श्री ज० रा० मेहता	३२३८—३६
श्री केप्पन	३२३६
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	३२३६—४०
श्री कृ० चं० शर्मा	३२४०
श्री रामसहाय पाण्डेय	३२४०—४५
श्री कृष्ण मेनन	३२४५—४७
श्री जवाहरलाल नेहरू	३२४७—५७
दैनिक संक्षेपिका	३२५८—६४

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य

लोक-सभा वाद-विवाद

१७ सितम्बर, १९६३ । २६ भाद्र, १८८५ (शक)

का शुद्धि-पत्र

१. पृष्ठ ३१३६, नीचे से छठी पंक्ति , ` ३ ३/२ –   के स्थान पर ` २ १/२ – ` पढ़िये ।

२. पृष्ठ ३१४६, नीचे से सातवीं पंक्ति ` ध्यक्ष महोदय ` के स्थान पर ` अध्यक्ष महोदय ` पढ़िये ।

३. पृष्ठ ३१७२, अतारांकित प्रश्न संख्या १९७५, प्रश्न पूछने वाले सदस्य का नाम ` श्री कर्ण सिंह जी ` के स्थान पर ` श्री कर्णी सिंह जी ` पढ़िये

४. पृष्ठ ३१९८, अतारांकित प्रश्न संख्या २०२६, प्रश्न पूछने वाले सदस्य का नाम ` श्री बाल कृष्ण वासनिक ` पढ़िये ।

५. पृष्ठ ३२०३, अतारांकित प्रश्न संख्या २०४०, प्रश्न पूछनेवाले सदस्य का नाम ` श्री याज्ञनिक ` के स्थान पर ` श्री याज्ञिक ` पढ़िये ।

लोक-सभा

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३

२६ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चम्बल घाटी का कृष्यकरण

\+

†*७००. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सरकारों के सहयोग से चम्बल क्षेत्र में खेती योग्य अपक्षरित भूमि के कृष्यकरण की कोई परियोजना तैयार की है ;

(ख) क्या इस परियोजना पर अगस्त १९६३ में हुए राज्य कृषि मंत्री सम्मेलन में चर्चा हुई थी ; और

(ग) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं । तथापि उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने अपनी अपनी राज्य योजनाओं में घाटी कृष्यकरण के काम को छोटे पैमाने पर करने की व्यवस्था की है ।

(ख) नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार के इल्म में यह बात है कि चम्बल घाटी का इलाका डाकुओं से घिरा हुआ है और जब तक एक्स सर्विसमेन को जमीनें अलाट नहीं की जायेंगी, तब तक न खेती की तरक्की होगी और न उस इलाके को उन से बचाया जा सकेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप तो रिक्लेमेशन आफ लैंड के बारे में कह रहे थे और अब आप डाकुओं और चोरों में चले गये ?

श्री यशपाल सिंह : आखिर आप अलाट किसे करेंगे ? या तो एक्स सर्विसमेन को करेंगे या पंजाबियों को करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : या चोरों को करें ?

श्री यशपाल सिंह : चोरों का इलाज या तो पंजाबी करेंगे या एक्स सर्विसमेन करेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि इस घाटी की सिंचाई के लिये क्या आयोजन है ?

डा० राम सुभग सिंह : चम्बल प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ है और माननीय सदस्य जानते हैं कि उस से थोड़ी सिंचाई हो रही है । उस की सिंचाई पूरी मात्रा में की जाय इसके लिये रिक्लेमेशन का कार्यक्रम बनाया जायेगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि उस में गन्ने की पैदावार कितनी होगी ?

डा० राम सुभग सिंह : गन्ना भी शामिल है, लेकिन उस में प्रधानतया कपास की खेती होगी ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस एरिया को रिक्लेम करने से क्या कुछ और जमीन का हिस्सा खेती में आ जायेगा ? साथ ही साथ जो बहुत से डाकुओं के छिपने की जगह है, जहां पर हर गवर्नमेंट इतना रुपया खर्च करती है, क्या सरकार उस के वृहद् रूप में रिक्लेमेशन की कोई योजना बना रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैं ने मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया है, इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है अर्थात् ३५ लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में, ८ लाख एकड़ राजस्थान में और ८ लाख एकड़ मध्य प्रदेश में । इसलिए वृहद् योजना बनाने की बात है लेकिन अभी जो काम चल रहा है वह छोटे ही पैमाने पर है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं जानना चाहूंगा कि क्या चम्बल के क्षेत्र की जो भूमि राजस्थान में ८ लाख एकड़ है उस का सर्वे कर के देखा गया है ? और उस पर कितना खर्च आयेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : सर्वे करने के लिए अभी हाल में लखनऊ को डा० कौल ने एक पत्र लिखा था । हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से सर्वे करने के लिए निवेदन किया है और उस का सारा खर्च भी देंगे । मध्य प्रदेश से भी ऐसी ही प्रार्थना हम करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० मा० श्री अणे : अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि जिस मुल्क में डाकू रहते हैं उस मुल्क का रिक्लेमेशन होने वाला है । मतलब यह कि डाकुओं के मुल्क को ठीक किया जायेगा । तो क्या आप डाकुओं के रहने के लिए और उनको अच्छा करने की भी कोई तजवीज़ करने वाले हैं ? क्या उन को भी आप ठीक करने वाले हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में इस मंत्रालय से जिस कार्य का सम्बन्ध है उस में हम लोग खेती और वन बढ़ाने की बात कर रहे हैं और इसी दृष्टि से रिक्लेमेशन कर रहे हैं ।

बहुप्रयोजनीय खाद्य संयंत्र

†*७०१. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुप्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन के लिये कुछ बहुप्रयोजनीय खाद्य संयंत्र स्थापित किये जाने वाले हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्र कहां-कहां स्थापित किये जाने वाले हैं ;

(ग) क्या ये संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा सरकारी क्षेत्र में; और

(घ) इन संयंत्रों में खाद्य की कितनी मात्रा का उत्पादन किये जाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार बहु-प्रयोजनीय खाद्य संयंत्र स्थापित नहीं कर रही है । पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें बहु-प्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन के लिये कलकत्ता और सीतापुर में १–२ टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक एक एकक खोल रही हैं । बताया जाता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित कर रही है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार इस कारखाने के विकास के लिए एक गैर-सरकारी उद्योग का साथ दे रही है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय सभा-सचिव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार बहुप्रयोजनीय खाद्य का एक संयंत्र खोलने का विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस ने इस संयंत्र के लिये किसी केन्द्रीय सहायता की मांग की है ?

†**श्री शिन्दे :** परियोजना बहुत छोटे पैमाने पर है और राज्य सरकार अपने ही साधनों से इसे स्थापित कर सकेगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस छोटे संयंत्र के लिये देशी मशीनों का उपयोग किया जायेगा अथवा विदेशी मशीनों का आयात किया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : केन्द्रीय सरकार ने सहायक खाद्यों के विकास के लिए एक योजना बनाई है और वास्तव में तीसरी योजना में इस के लिए २ ½ करोड़ रुपये की राशि रखी गई है । हम चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में बहुप्रयोजनीय खाद्य का कम से कम एक संयंत्र हो । सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे इन संयंत्रों की स्थापना के लिये अपने आय व्ययक में कुछ व्यय की व्यवस्था करें । कुछ राज्यों ने ऐसा किया है जैसे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश । । अन्य राज्य सरकारें भी ऐसा करना चाहती हैं केन्द्रीय सहायता की योजना के अन्तर्गत हम इन परियोजनाओं के लिये भी सहायता दे रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बासप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बहुप्रयोजनीय खाद्य को वाणिज्यिक स्तर पर बनाने के आर्थिक पहलू को सुनिश्चित कर लिया गया है ?

†**श्री शिन्दे** : जी हां, सुनिश्चित कर लिया गया है । बहुप्रयोजनीय खाद्य तैयार करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होगा । यह निश्चित कर लिया गया है कि उत्पादन लागत बाजार में अधिक प्रोटीन वाले खाद्य की लागत की तुलना में काफी कम होगी ।

†**डा० रानेन सेन** : बहुप्रयोजनीय खाद्य के उत्पादन की योजनायें क्या हैं तथा वस्तविक उत्पादन क्या होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह १ से २ टन प्रति दिन होगा ।

†**श्रीमती विमला देवी** : बहुप्रयोजनीय खाद्य संयंत्र में किस प्रकार का खाना तैयार किया जाने वाला है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस बहुप्रयोजनीय खाद्य का विकास केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर में किया गया है । तथ्य यह है कि यह संरक्षी खाद्य है । इस के अंग हैं अत्यावश्यक खनिजों तथा विटामिनों से युक्त ७५ प्रतिशत मूंगफली का तेल-निकला आटा तथा २५ प्रतिशत भुनी हुई बंगाल दाल का आटा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस प्रयोजन के लिये तीसरी योजना में २।। करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । उन्होंने यह भी बताया है कि संयंत्र स्थापित करने के लिये राज्यों को अपने ही साधन ढूंढने होंगे । राज्यों को केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता मिलेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह काम राज्यों की उच्चतम सीमा में ही होगा । फिर भी, केन्द्रीय सरकार से भी कुछ सहायता मिलेगी । इसीलिये सभी राज्यों के लिये २।। करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**श्री अ० म० थामस** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या में जान सकता हूं कि क्या अनेक प्रयोगों के बाद तैयार किया जाने वाला बहुप्रयोजनीय खाद्य हमारे भोजन की कुछ प्रमुख मदों का स्थान ले सकेगा अथवा वह केवल स्वाद के लिये ही होगा, भोजन में कुछ अतिरिक्त मदें जोड़ देगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : मुख्यत: तो यह बच्चों तथा गर्भवती और शिशुओं का पालन करने वाली माताओं के भोजन में वृद्धि करने के लिये है । इसे निस्सन्देह और लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं । इस में प्रोटीन होता है । इस से मुख्य खुराक में वृद्धि होगी ।

एयर इंडिया

*७०२. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **परिवहन** मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सम्बन्ध

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१-६२ में एयर इंडिया के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का क्या परिणाम निकला है तथा अब तक कितना रुपया बचाया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० १७४४/६३]**

श्री म० ला० द्विवेदी : स्टेटमेंट को देखने से इस बात का ठीक पता नहीं चलता कि बचत कितनी हुई है । क्या मंत्री महोदय उसको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहीउद्दीन : सवाल तो यह है कि जो कोशिश की जा रही है अखराजात को कम करने की निस्बत फायदा ज्यादा हो उसके मुताल्लिक इस में पूरी तफसील दी गई है, उस में आप देखेंगे कि फायदा जो है सन् १९६१-६२ में . . . .

अध्यक्ष महोदय : बचत आप इस वक्त नहीं बतला सकते ?

श्री मुहीउद्दीन : बचत बतलाने के लिये तो यह है कि अगर कोई मिसाल मुझ से मांगें तो मैं यह कहूंगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर बचत बतला सकते हों तो बतला दें ।

श्री मुहीउद्दीन : बचत बतलाना तो मुश्किल है । नेट प्राफिट १ करोड़ ३४ लाख हुआ है बमुकाबले ३८ लाख के ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो फायदा होता है उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है ? जो फायदा बचता है वह कहां व्यय होता है ?

श्री मुहीउद्दीन : इस्तेमाल जो किया जायेगा वह आपके सामने जब ऐनुअल रिपोर्ट पेश की जायेगी उस में मालूम होगा । ग्रॉस आपरेटिंग प्राफिट्स ३ करोड़ ४५ लाख के हैं । उस में काफी डिप्रिसिएशन रक्खा गया है । गवर्नमेंट को भी उम्मीद है कि ५ परसेन्ट डिविडेन्ड मिलेगा । बाकी दूसरे अखराजात निकालने के बाद १ करोड़ ३४ लाख का मुनाफा रक्खा गया है . . .

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने पूछा था कि मुनाफा किसका मिलाया जायेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री भागवत झा आजाद : उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लिखा जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण में लिखा है कि ये सुधार या लाभ में यह वृद्धि एयर इंडिया द्वारा सर्वाधिक कार्यकुशलता लाने तथा बचत करने के लिये किये गये उपायों का फल है । विशेषकर बचत के लिये कौन से विशिष्ट उपाय किये गये हैं जिनके परिणामस्वरूप अधिक लाभ हुआ है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बचत के विशिष्ट उपाय ये हैं : वायुयान का अधिक इस्तेमाल, तेल, पेट्रोल तथा अन्य व्यय की मदों में अधिक कार्यकुशलता, जिन कर्मचारियों ने सारा समय बड़ी दक्षता से काम किया है उन की पहले से अधिक कार्यकुशलता और अन्य मदों में बचत ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो मुनाफा हुआ है, इस में से क्या किसी संस्था को अनुदान दिया जायेगा, या इसको किस काम में लाया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहीउद्दीन : मुनाफा तो १ करोड़ ३४ लाख हुआ है । उस मुनाफे को किस तरह तकसीम करेंगे यह जब रिपोर्ट पेश की जायेगी तो मालूम हो जायेगा ।

†**श्री रंगा** : जो बचतें की गई हैं उनकी तुलना में हवाई यात्रा का बढ़ाया गया किराया इस लाभ के लिये कहां तक उत्तरदायी है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कम्पनियों का सम्बन्ध है, उन का काम अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार होता है और पिछले कई वर्षों से हवाई भाड़े में कोई वृद्धि नहीं हुई है । एकमात्र विवाद कुछ वापसी टिकटों के बारे म था और उसे तय कर दिया गया है ।

†**श्री जोकीम अल्वा** : १९६२-६३ में लाभ जब कि लगभग १ करोड़ रुपया ज्यादा हुआ था और संचालन व्यय २ लाख रुपये से भी कम था, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या निगम द्वारा किसी रूप में कर्मचारियों को भी इस भारी लाभ का फायदा पहुंचाया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : कर्मचारियों को एक बहुत ही बड़े क्रम में वेतन आदि दिया जाता है । उनका पूरा ध्यान रखा जाता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : एक स्पष्टीकरण है मेरा . . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है । श्री चक्रवर्ती. . . नहीं हैं । श्री वारियर . . . नहीं हैं । श्री वासुदेवन् नायर . नहीं हैं । श्री रामचन्द्र उलाका ।

बिना चौकीदार के समपार (लेवल क्रासिंग)

\+

†*७०४. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से कोई उत्तर प्राप्त हुए हैं जिन में बगैर चौकीदार के सभी समपारों (लेवल क्रासिंग) पर चौकीदार रखने की नयी योजना के बारे में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

†**रेलवे मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). अभी तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, मद्रास, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने व्योरे में कुछ परिवर्तनों के साथ चौकीदार रखने की लागत में हिस्सा बंटाना स्वीकार कर लिया है । गुजरात ने भी उत्तर दे दिया है जिसके बारे में कुछ और स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिना चौकीदार वाले तथा चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनायें बढ़ रही हैं और यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा और क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बढ़ने का तो मुझे पता नहीं है परन्तु रेलवे जांच समिति ने पता लगाया है कि समपारों के फाटकों पर होने वाली ७७ प्रतिशत दुर्घटनायें सड़क का प्रयोग करने वालों की असावधानी के कारण हैं ।

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : तीसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उड़ीसा में बिना चौकीदार के कितने समपारों पर चौकीदारों के लगाये जाने का विचार है और उसके लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अनुमान लगाया गया है कि उड़ीसा में बिना चौकीदार के २० समपारों पर चौकीदार लगाये जाने हैं । पूंजीलागत लगभग २,४८,००० रुपये होगी तथा आवर्ती व्यय लगभग ४१,००० रुपये होगा । राज्य सरकार लागत में अपना भाग देने के लिये सहमत हों गई है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या में जान सकता हूं कि क्या बिना चौकीदार के इन समपारों पर चौकीदार रखने को पूर्ववर्तिता देना रेलवे द्वारा आरम्भ किया जायेगा या वे राज्य सरकारों को काम आरम्भ करने के लिये अपनी-अपनी पूर्ववर्तिता देने का अधिकार दे देंगे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सितम्बर, १९६२ में माननीय मंत्री श्री स्वर्ण सिंह ने राज्य सरकारों को लिखा था कि जांच करने से पता चला है कि यातायात सघनता क्योंकि बढ़ गई है इसलिए बिना चौकीदार के १,१८७ समपारों पर चौकीदार लगाये जाने हैं । उन्होंने सुझाव दिया कि समता के आधार पर पूंजी लागत तथा आवर्ती लागत का ५०—५० प्रतिशत राज्यों द्वारा दिया जाये । कुछ राज्यों ने इस पत्र का उत्तर दे दिया है और कुछ ने अभी देना है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन द्वारा चर्चा के समय माननीय अध्यक्ष महोदय के इस सुझाव पर विचार किया गया है कि चेतावनी देने के लिये 'रुको और जाओ' निशान वाले बोर्ड होने चाहियें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सीटी बोर्ड तो पहले ही हैं । बिना चौकीदार के समपारों के समीप हम ने सीटी बोर्ड लगा दिये हैं । रेलवे समिति ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को बोर्ड तथा अन्य निशान आदि लगाने चाहियें ताकि बिना चौकीदार के समपारों पर सड़क पर चलने वाले समपार को भाग कर पार न करें । यह सुझाव दिया गया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने जो पहले कहा था उस को दोहराता हूं कि अमरीका में यह कायदा है कि चाहे कोई गाड़ी आ रही हो या न आ रही हो, बिना चौकीदार के समपार पर प्रत्येक मोटरगाड़ी को रुकना पड़ता है और तब वे चलती हैं । वहां पर यह कायदा लागू है ।

†**रेलवे मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** उसे हम ने स्वीकार कर लिया है और हम राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये सभी बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा ही लगाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे याद है कि मंत्रालय द्वारा या रेलवे बोर्ड द्वारा—मुझे ठीक से पता नहीं कि किस के द्वारा बिना चौकीदार के इन समपारों के बारे में जो प्रस्ताव दिये थे उन में से एक यह था कि राज्य सरकारों को सड़कों पर इन समपारों के दोनों ओर यातायात का निर्देशन करने के लिये उन के खर्चे पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही लगाने के लिये कहा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों से इस प्रस्ताव का यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो वह क्या है ?

†**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि इसका सम्बन्ध केवल कुछेक चौकीदार वाले समपारों से था क्योंकि यह तो साफ ही है कि जहां तक बिना चौकीदारों के समपारों का संबंध है वहां दो सिपाही लगा देने से चौकीदार की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक फाटक बनाया जा सकता है तथा वहां एक आदमी रखा जा सकता है। समस्या इसलिये पैदा हुई थी क्योंकि सड़क पर चलने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो चौकीदार वाले समपार के समीप आने पर भी और जबकि फाटक बन्द कर दिया गया था, उच्छृन्खल हो जाते थे। यह उस राज्य की विशेष समस्या है जहां के माननीय सदस्य हैं ; मैं समझता हूं कि राज्य सरकार पहले ही इस दिशा में कुछ उपाय कर चुकी है।

श्री यशपाल सिंह : जब सरकार रेलवे से करोड़ों रुपया कमाती है तो क्या सरकार इस का कारण बतला सकती है कि जब लोगों की जान बचाने का सवाल आता है तो अनमैन्ड रेलवे क्रासिंग के बारे में स्टेट गवर्नमेंट का नाम क्यों लेती है, उनको क्यों बीच में डाला जाता है ?

श्री स्वर्ण सिंह : क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट् भी सरकार का हिस्सा हैं और आपस में बातचीत कर के ये बातें तै की जाती हैं।

श्री यश पाल सिंह : तो उन को आमदनी का कुछ हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता।

†**श्री नम्बियार** : क्या मैं जान सकता हूं कि हाल ही में जिन फाटकों पर चौकीदार लगाने का बिचार था क्या उन में से बहुत से फाटकों पर सरकार द्वारा चौकीदार लगा दिये गये है ? उनकी संख्या लगभग एक हजार थी।

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : जिन राज्यों ने लागत में हिस्सा बटाने की बात सिद्धांत रूप से मान ली है उन में हमने रेलवे को समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने के लिये कह दिया है।

श्री महेश्वर नायक : राज्य सरकारों ने क्योंकि लागत को बांटना स्वीकार कर लिया है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों में बिना चौकीदार के समपारों पर चौकीदार लगाने में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : जैसा कि मैंने कहा है, जिन राज्य सरकारों ने लागत बांटने का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है वहां रेलवे को बिना चौकीदार के चुनेहुए समपारों पर चौकीदार नियुक्त करने की व्यवस्था करने को कह दिया गया है।

श्री ना० नि० पटेल : क्या मैं जान सकता हूं कि जो मैन्ड रेलवे क्रासिंग हैं उनके ऊपर आदमी होते हुए भी क्रासिंग का गेट घंटों तक क्यों नहीं खोला जाता ?

अध्यक्ष महोदय यह सवाल दूसरा है। अभी तो अनमैन्ड क्रासिंग्स का सवाल है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह प्रश्न यहां बार बार उठाया गया है। जो राज्य आगे नहीं आये हैं उनका सहयोग पाने के लिये क्या नये उपाय किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स्वर्ण सिंह** : जैसा कि मेरे माननीय सहयोगी ने बताया है, अधिकतर राज्यों ने सहमति प्रकट कर दी है और काम शुरु भी हो गया है । मैं समझता हूं कि अधिकतर ऐसे समपारों पर, जिनके बारे में समस्या बड़ी अविलम्बनीय थी, शीघ्र ही चौकीदार नियुक्त कर दिये जायेंगे ।

एकसमान सड़क निशान[1]

†*७०५. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० के० देव :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय आधार पर सड़कों के एक समान निशान अपनाने की किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की नवीं अनुसूचि में निर्धारित यातायात निशान सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं इसलिये पहले ही से इस संबंध में समस्त देश में एकसमानता विद्यमान है । तथापि इकाफ़े[2] क्षेत्र में सड़क के निशानों और संकेतों की एकसमान पद्धति को लागू करने के लिए अन्तर्देशीय परिवहन तथा संचार समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : जो हमारे साइंस हैं उनको इकाफे ने स्वीकार कर लिया है कि नहीं ? अगर स्वीकार कर लिया है तो कब तक ये क्रियान्वित होंगे ?

श्री राजबहादुर : इकाफे द्वारा इनके स्वीकार करने या न करने का प्रश्न पैदा नहीं होता । उन्होंने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था जिस ने इसका अध्ययन किया और अध्ययन के बाद कुछ सिफारिशें की । उनके आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ साइन्स हमारे और उनके कामन है, कुछ कामन नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास हैं उनके पास नहीं हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे तथा अन्य देशों के बीच कौन कौन से निशान समान हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : मैंने इस की विस्तृत सूचि मांगी थी । वह सूचि मुझे नहीं मिली है । जब वह मिल जायेगी तो मैं बता सकूंगा कि असमान निशान कौन कौन से हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि मंत्रीगण माननीय सदस्य के बहुत निकट बैठते हैं अत: वह उनको ही सम्बोधन करते हैं । अगला प्रश्न ।

†**श्री उ० मु० त्रिवेदी** : क्योंकि कल उन की कड़ी आलोचना की गई थी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मेरी आवाज उनकी आवाज से तेज नहीं थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Uniform Road Signs

[2]ECAFE

आसाम बंगाल सड़क परिवहन निगम

†

†*७०६. श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सिद्दनंजप्पा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसाम और पश्चिम बंगाल में सड़क परिवहन का एक निगम बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

क्योंकि सड़क परिवहन निगम अधिनियम १९५० की योजना में एक से अधिक राज्यों में परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा एक निगम की स्थापना का उपबन्ध नहीं है, अतः आसाम उत्तर बंगाल क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के ट्रक संगठन को, जिन्हें कि इस समय विभागीय रूप से चलाया जा रहा है, समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन एक सीमित समवाय के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है । आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को, यदि वे समवाय में शामिल होना चाहें तथा जब कभी वे शामिल होना चाहें तभी, समवाय के अंश धारियों के रूप में शामिल कर लिया जायेगा ।

सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५० में संशोधन करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिससे कि केन्द्रीय सरकार एक निगम की स्थापना कर सके ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : निगम कब कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ।

श्री राज बहादुर : आरम्भ में इस संगठन को विभागीय उपक्रम के रूप में आरम्भ किया गया है । गत नवम्बर में इस ने कार्य प्रारम्भ कर दिया था । उस समय से हमने उस बेड़े का उपयोग करने का प्रयत्न किया है जो कि उनके पास है । समय आने पर हमारा इसे भी एक निगम के रूप में बदलने का विचार है । इस समय इसे एक सीमित समवाय के रूप में चलाने का प्रस्ताव है ।

†**श्री श्याम लालसर्राफ** : कुल भार का कितने प्रतिशत भाग इस संगठन द्वारा लाया ले जाया जा रहा है ? दूसरे, क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि जो बेड़ा उनके द्वारा चलाया जा रहा है उसकी कुल संख्या कितनी है ।

श्री राज बहादुर : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं उन्हें सड़क पर यातायात की कुल मात्रा बताऊं । यह बताना संभव नहीं हो सकेगा । परन्तु गाड़ियों की जो संख्या उन्होंने पूछी है वह मैं उन्हें बता सकता हूं । हमारे पास ६९ गाड़ियां हैं । इनमें से १० अतिरिक्त मुख्य

†मूल अंग्रेजी में

अभियन्ता[1] द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सड़क सम्बंधी कार्यों के लिए चलाई जा रही है। शेष ५९ इस संगठन द्वारा चलाई जा रही हैं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि आसाम बंगाल निगम के आधार पर एक अखिल भारतीय परिवहन निगम बनाना लाभदायक होगा ?

†**श्री राज बहादुर :** यह तो एक सुझाव है।

†**अध्यक्ष महोदय :** उस सुझाव पर विचार किया जाय।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता कि इस निगम में कौन कौन लोग भाग लेंगे ? क्या गैर-सरकारी संस्थाओं को भी शामिल किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जैसा कि मैंने बताया है इसे एक मिश्रित पूंजी समवाय के रूप में चलाने का विचार है जिस में केन्द्रीय सरकार तथा आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारें—जब कभी वे इसमें आना तथा भाग लेना पसंद करें—भागीदार होंगी।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

†*७०७. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री गो० महन्ती :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्रीमती शशांक मन्जरी :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में केन्द्रीय योजना के अधीन उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलने के लिये नगरों को चुना गया है ;

(ख) क्या उन नगरों में, जो १९६२-६३ में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत आ गये थे, स्टोरों ने काम करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) प्रत्येक स्टोर से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा ; और

(घ) अक्तूबर, १९६२ से प्रत्येक स्टोर की औसत मासिक बिक्री कितनी रही ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :** (क) विवरण १ सभा पटल पर रख दिया गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७४५/६३]

(ख) केन्द्रीय योजना के अधीन १९६२–६३ में स्थापित किये गये ७७ थोक स्टोरों और ८४८ प्रारम्भिक यूनिटों में से ७० थोक स्टोरों और लगभग ८०० प्रारम्भिक यूनिटों के कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Additional Chief Engineer.

[2]Joint Stock Company.

(ग) क्योंकि उपभोक्ता स्टोर सदस्यों तथा गैर-सदस्यों दोनों ही की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं अतः इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इस से कुल कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ।

(घ) विवरण—२ सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७४५/६३]

†**श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इन स्टोरों के दोषपूर्ण ढंग से चलने की बात पर असंतोष फैला हुआ है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : स्टोर केवल पिछले पांच या छः महीनों में ही आरम्भ किये गये हैं । अभी केवल संगठनात्मक ढांचा ही बन पाया है । कुछ राज्यों में वें बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं । उन कुछ राज्यों में जहां कि सहकारी आन्दोलन कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर हैं । वहां कुछ कमियां हो सकती हैं ।

†**श्री कोल्ला वेंकैया** : जहां यह स्टोर दोषपूर्ण हैं वहां इनके कार्यकरण को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और योजना के अनुसार सभी महत्वपूर्ण नगरों में स्टोर खोलने के कार्य में कितने वर्ष लगेंगे ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : प्रश्न के अन्तर्गत खण्ड का उत्तर देते हुए मैं यह कहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में हम उन सभी नगरों में स्टोर खोल देंगे जिन की जनसंख्या ५०,००० से अधिक है। हमारी लगभग २५० थोक समितियां औ ४००० छोटी सहकारी फुटकर समितियां होंगी । जहां तक दोषों को सुधारने के लिये जाने वाले कदमों का सम्बन्ध है, हम ने सरकारी संस्थाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य व्यक्तियों से सम्भरण प्राप्त किये हैं और हम संगठनात्मक, वित्तीय तथा अन्य प्रश्नों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का तथा दोषों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या मैं जान सकता हूं कि १९६२–६३ और १९६३–६४ में उड़ीसा में कितने व्यक्तियों को वास्तव में लाभ पहुंचा है और तृतीय योजना काल के दौरान इस योजना की लागत कितनी है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं केवल उन स्टोरों की संख्या ही बता सकता हूं जो कि उड़ीसा में खोले जाने हैं । उनकी संख्या निम्नलिखित है : ४ थोक बिक्री के स्टोर और ८० प्रारम्भिक स्टोर । वर्तमान संकेत ऐसे हैं कि प्रत्येक प्रारम्भिक स्टोर में लगभग २०० सदस्य होंगे वर्तमान स्थिति यह है परन्तु हमारा विचार यह है कि प्रत्येक स्टोर में कम से कम ५०० सदस्य हों । परन्तु इन सदस्यों के अतिरिक्त, गैर-सदस्यों को भी लाभ पहुंचता है ।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : ऋणों, अनुदानों अथवा अर्थ सहायताओं के रूप में इन स्टोरों को कुल कितना रुपया दिया गया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : योजना १० करोड़ रुपये की है, जिस सारी की सारी का पुरोनिधान केन्द्र द्वारा किया गया है और जिस में अर्थ सहायता तथा ऋण भी सम्मिलित हैं । इसमें से लगभग २ करोड़ रुपये गत वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में दिये गये थे । लगभग ६ करोड़ रुपये इस वर्ष दिये गये हैं और जब कभी हमारे पास प्रार्थनायें आती हैं रुपया दे दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : इन सहकारी स्टोरों द्वारा विनियोजित पूंजी के सम्बन्ध में ऋण अथवा अनुदान के रूप में सरकार ने कितने प्रतिशत सहायता दी है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : थोक स्टोर तथा सम्बन्धित संस्थाओं को जो ४,१०,००० रुपया दिया जाता है, उसमें से ४ लाख रुपया तो ऋण होता है और केवल १०,००० रुपया प्रबन्ध सम्बन्धी अर्थ सहायता होती है। ऋण कर्मवाहक पूंजी, अंश पूंजी और गोदामों के लिये दिया जाता है। गोदामों के लिये लगभग १२।। प्रतिशत होता है और यदि मैं ठीक कह रहा हूं...

श्री त्यागी : मैं स्वयं सहकारकर्ताओं द्वारा विनियोजित पूंजी के साथ इसका अनुपात जानना चाहता हूं। क्या कोई अनुपात निर्धारित है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : इसका हिसाब लगाया गया है परन्तु इस रुपये से ये स्टोर लगभग ४० लाख से ४८ लाख रुपये के मूल्य तक के क्रय और विक्रय कर सकेंगें।

श्री त्यागी उठे—

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मैं श्री त्यागी द्वारा उठाई गई बात पर आ रहा हूं। जहां तक सहकारी स्टोरों द्वारा विनियोजित कुल पूंजी का सम्बन्ध है, अंश पूंजी के लिये १ लाख रुपये तक का अंशदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उन के अपने संसाधन होते हैं, जैसे कि मद्रास और महाराष्ट्र में, जहां कि सहकारी गठन बहुत मज़बूत है, उन के अपने १० लाख अथवा १२ लाख रुपये हैं। परन्तु जो राज्य इस मामले में कमज़ोर हैं वहां इस की मात्रा बहुत थोड़ी है।

श्री त्यागी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं अनुपात जानना चाहता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : उपमंत्री महोदय ने कहा था कि वह उसे बताने जा रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया है।

†**श्री त्यागी** : गैर-सरकारी पूंजी के अनुपात में मैं प्रतिशत संख्या जानना चाहता था।

†**अध्यक्ष महोदय** : कदाचित् उपमंत्री महोदय इस समय यह बता सकने की स्थिति में नहीं हैं।

†**श्री मुहम्मद इलियास** : समस्त देश में अब तक कारखानों में काम करने वाले औद्योगिक कर्मचारियों के लिये कितने उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मेरे पास विवरण है मैं उसमें से पढ़ दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह केवल संख्या जानना चाहते हैं।

†**श्री श्यामधर मिश्र** : यह विवरण में दी हुई है और मैं उसे पढ़ दूंगा। उपभोक्ता वस्तुओं के लिये श्रम मंत्राल की योजना के अधीन की गई प्रगति निम्नलिखित है ;

उपभोक्ता स्टोरों का संगठन करने के लिये श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन गैर-सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक कर्मचारियों के लिये लगभग ३१८ उपभोक्ता स्टोर, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये २४० स्टोर, कोयला खानों के कर्मचारियों के लिये १०० स्टोर और खान कर्मचारियों के लिये १० स्टोर स्थापित किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जसवन्त मेहता** : मूल्यों के स्थिरीकरण को सुनिश्चित करने के लिये सरकार यह उपाय किया है। सभा-पटल पर रखे गये विवरण में उन स्टोरों की संख्या बताई गई है जोकि १९६२–६३ में कार्य कर रहे थे और १९६३–६४ की योजना भी बताई गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि १९६३–६४ के बाद भी ५०,००० की जनसंख्या वाले कितने नगर बिना स्टोरों के बाकी रह जायेंगे ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि ५०,००० की जनसंख्या वाले सभी नगरों में स्टोर खोलने के लिये क्या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : इस देश में केवल २५० नगर ऐसे हैं जिन की जनसंख्या ५०,००० और उस से अधिक है। जैसा कि मैं ने बताया है, विचार यह है कि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक हम स्टोर खोल देवें। इन की संख्या २०० और २५० के बीच हो सकती है और इस प्रकार हम लगभग उन सभी नगरों में स्टोर खोल देंगे जिन की संख्या ५०,००० से अधिक है।

†**डा० सरोजनी महिषी** : क्या मैं जान सकती हूं कि इन उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना मुख्यरूप से गैर-अधिकारियों द्वारा की गई पहल के कारण हुई है अथवा अधिकारियों द्वारा की गई पहल के कारण ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : दोनों ही बातें हैं; राज्य ने भी पहल की है क्योंकि यह केन्द्र द्वारा पुरोनिधान की गई एक योजना है और गैर-अधिकारियों से भी सहायता तथा संगठन प्राप्त हुए हैं। यह बात प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र की सापेक्षित उन्नति पर निर्भर करती है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या मंत्री महोदय को यह भी सूचना मिली है कि उपभोक्ता सहकारी भंडार नुकसान में चलने के कारण फैल हो गये हैं, यदि हां, तो वह कितने हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस स्कीम के अनुसार जितने स्टोर्स चलाये जाने थे सब चल रहे हैं, अभी कुछ तो पूरे तौर से चले भी नहीं हैं, बहरहाल सब चल रहे हैं और उन में से कोई भी बन्द नहीं हुआ है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : विवरण से यह पता लगता है कि २९ स्थान चुने गये हैं जहां कि सहकारी स्टोर स्थापित किये जायेंग। सरकार उन्हें वास्तव में किस समय तक चालू कर देगी ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : गत वर्ष, अर्थात् १९६२–६३ में, ७७ थोक स्टोर व्यवस्थात्मक रूप से आरम्भ किये गये थे; ७० ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। हमें आशा है कि सारे २०० थोक स्टोर इस वर्ष कार्य करना प्रारम्भ कर देंगे। अनुपाततः वे दो अथवा तीन वर्षों के दौरान अधिक शक्तिशाली हो जायेंगे।

श्री काशीराम गुप्त : इन बिक्री भंडारों में कौन कौन से माल के बेचने को प्राथमिकता दी हुई है और दूसरे यह कि जो माल बेचा जाता है वह बाज़ार भाव से कम में मिलता है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब क्या क्या सामान बिकता है यह सब फहरिस्त कैसे बताई जा सकती है ?

श्री काशीराम गुप्त : सारी फहरिस्त न बतायें। प्राथमिकता किस किस चीज़ को मिलती है यह तो बतला दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री श्यामधर मिश्र : श्रीमन्, जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जैसे ग़ल्ला, चीनी, नमक, मसाले, कपड़ा और ग्रोसरी आदि की सारी चीजें वहां पर बिकती हैं, अब मैं हर एक चीज़, अलग अलग कहां तक गिनाऊं लेकिन मैं आप को यह बतलाना चाहता हूं कि इन स्टोर्स में १० आइटम्स से लेकर १००० आइटम्स तक बिक रहे हैं। महाराष्ट्र और मद्रास में करीब करीब ६०१ आइटम्स बिक रहे हैं तो कहीं पर किन्हीं स्टोर्स में केवल १० आइटम्स ही बिक रहे हैं। किसी स्टोर्स में कितने आइटम्स बिकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्टोर किस हद तक आगे गया है ?

श्रीमती शशांक मंजरी : इस समय देश में कुल कितने सहकारी स्टोर्स चल रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस समय करीब करीब ७,००० सहकारी स्टोर्स चल रहे हैं। कुछ स्टेटों में उन्होंने अच्छा काम किया है तो कुछ स्टटों में वे काफ़ी कमज़ोर हैं।

एयर इंडिया का विज्ञापन

†*७०८. **श्री द्वारिका दास मंत्री** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने विदेशी अखबारों में "कैन यु डेट एन एयर इण्डिया होस्टेस" शीर्षक के अन्तर्गत कोई विज्ञापन दिया है जोकि हाल में "न्यूयार्क टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विज्ञापन भारतीय दृष्टिकोण से आपत्तिजनक नहीं समझा जाता ; और

(ग) ऐसे विज्ञापनों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जी, हां। इसे बहुत ही आपत्तिजनक समझा जाता है। निगम को तदनुसार सूचित कर दिया गया था। उन्हें भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिये अनुदेश दे दिये गये हैं।

श्री द्वारिका दास मंत्री : एयर इंयिडया का यह विज्ञापन पूरा का पूरा आपत्तिजनक समझा गया है या उस का कुछ भाग ही आपत्तिजनक समझा गया है ?

श्री मुहीउद्दीन : पूरा का पूरा विज्ञापन (ऐडवरटाइज़मेंट) ही काबले एतराज़ समझा गया है।

श्री द्वारका दास मंत्री : यह विज्ञापन अन्य देशों में भी विज्ञापित किया गया है या केवल इस देश के अन्दर ही इस का विज्ञापन किया गया है ?

श्री मुहीउद्दीन : जहां तक मैं समझता हूं कि वह न्यूयार्क टाइम्स में ही छपा था, एक हिन्दुस्तान के अख़बार ने बगैर कोई क़ीमत अदा किये उस को पूरी तौर से दुबा यहां छापा है।

†**डा० रानेन सेन**: क्या सरकार का ध्यान एयर इंडिया के उस विज्ञापन की ओर दिलाया गया है जिस में भारत को बैठे हुए अथवा लेटे हुए महाराजा के रूप में दिखाया गया है और जिस से यह मालूम होता है कि भारत महाराजाओं का देश है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विज्ञापन के सम्बन्ध में विचार किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : महाराजा प्रतीक तो बहुत पुराना है ; वह नया नहीं है । उस के लिये सरकार का ध्यान दिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । वह प्रतीक तो एयर इंडिया का प्रतीक बन गया है ।

†**डा० रानेन सेन** : प्रश्न एयर इंडिया से सम्बन्धित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल नाम के लिये ही महाराजा है, अन्यथा तो वह बहुत निर्धन दिखाई देता है ।

श्री राम सहाय पांडय : "कैन यू डेट एन एयर इंडिया होस्टेस" के शीर्षक वाले विज्ञापन के द्वारा हमारी अतिथि परिचारिकाओं के सम्मान को जो ठेस लगी है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस ने ऐसा विज्ञापन दिया है उस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मुहीउद्दीन : मैं ने यह अर्ज़ किया है कि कारपोरेशन को हिदायत दी गई है कि इस बारे में ऐहतियात बर्तें । हम ने उनको यह भी हिदायत दी थी कि ऐडवरटिज़मेंट पालिसी को भी तबदील करें । उन्होंने हमको इत्तिला दी है कि ऐडवरटिज़मेंट पालिसी को उन्होंने तबदील किया है जिसमें सरविसेज़ और दूसरी जो उनकी खिदमात हैं उनकी तरफ ज्यादा तवज्जह दिलाई जायेगी बजाय इसके कि इस किस्म की तसवीरें छापी जायें ।

पशुओं के प्रति निर्दयता

†*७०९. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पशुओं तथा पक्षियों का मनमाना विनाश और उन के निर्दयता बढ़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे)**: (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १७४६।६३]**

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में स्पष्टतया यह स्वीकार किया गया है कि शिकार-चोरों द्वारा वन्य पशुओं का विनाश बढ़ता जा रहा है और पशुओं के प्रति निर्दयता बरतना सारे देश में एक आम बात हो गई है । क्या यह सच है कि चोरी से शिकार करने वाले शिकारी पशु-पक्षियों के आश्रय स्थल में भी घुस जाते हैं और फिर बिन दण्ड पाये बच कर निकल जाते हैं क्योंकि उच्च-पदासीन व्यक्तियों तक उन की पहुंच है, और यह कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी सुन्दर मोर भी . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह एक भाषण होगा ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जी नहीं, मुझे खेद है कि आप अधीर हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ पर सर्वदा ही अधीर होने का आरोप लगाया जाता है ; वास्तव में यदि वह अपना प्रश्न सीधे ही पूछें तो मैं अपना धैर्य नहीं खोता ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रश्न पूछूंगा । क्या यह सच है कि चोरी छिपे शिकार करने वाले शिकारी पशु-पक्षियों के आश्रय स्थलों में भी घुस कर हमला आदि करते हैं और फिर विना दण्ड पाये

†मूल अंग्रेजी में

बच निकलते हैं क्योंकि उच्च पदासीन व्यक्तियों तक उन की पहुंच है और राष्ट्रीय पक्षी मोर का भी उत्तर प्रदेश में विनाश किया जाता है, और यह कि गायें और अन्य पशु एक निर्दयतापूर्ण ढंग में काटे जा रहे हैं और यह कि हजारों लाखों मेंढ़क और पक्षी निर्यात के लिये मारे जा रहे हैं और वह भी विदेशियों के गन्दे स्वाद को संतुष्ट करने के लिये जोकि मैंढक की टांगों को एक स्वादिष्ट भोजन समझते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । मैं इस संबंध में एक भाषण अथवा वाद-विवाद की अनुमति नहीं देता । यह एक प्रश्न नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है चोरी-छिपे शिकार करने वाले शिकारी पशु-पक्षियों आदि के आश्रय-स्थलों में घुस जाते हैं और फिर वहां पक्षियों और पशुओं को मारते हैं और फिर बिना दंड पाये बच निकलते हैं क्योंकि वे राज्य सरकारों के उच्च पदासीन व्यक्तियों से सिफारिश करवा लेते हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : वन्य पशुओं का संरक्षण राज्य सूची का एक विषय है । फिर भी वन्य पशुओं संबंधी भारतीय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार हमने अनेक कदम उठाये हैं । हम ने बहुत सी राज्य सरकारों को लिखा है । अनेक राज्य सरकारों ने चोरी छिपे शिकार करने और अवैध शूटिंग को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय किये हैं । फसल संरक्षक उपकरणों के अविवेकपूर्ण उपयोग द्वारा देश के वन्य पशुओं को जो हानि पहुंचाई जा रही है उसे भी न्यूनतम करने के लिये हम ने कदम उठाये हैं । ये बातें सरकार के विचाराधीन हैं और पर्याप्त कार्यवाही की जा रही है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)**: मैं यह और बता दूं कि यदि माननीय सदस्य द्वारा कोई ऐसे विशिष्ट मामला बताया जाता है जिस में कि कोई व्यक्ति उच्च पदासीन व्यक्तियों की आरोपित सिफारिश के कारण बिना दण्ड पाये बच कर निकल गया हो तो निश्चय ही हम उस की जांच करेंगे । एक आम कथन के रूप में मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पशुओं के प्रति निर्दयता सामूहिक मनोवृत्ति का द्योतक है और यह एक वैयक्तिक कुमार्गगमन का मामला नहीं है जिसे कि दंड नियंत्रण द्वारा सुलझाया जा सके और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री अ० म० थामस** : आवश्यक शिक्षा देना इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में आवश्यक पाठों को सम्मिलित करने के लिये सरकार ने आवश्यक कदम उठाये हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मुझे ज्ञात हुआ है कि पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकने सम्बन्धी समिति ने वधशालाओं के लिये कुछ सुधारों के सुझाव दिये हैं । क्या वे क्रियान्वित कर दिये गये हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : कुछ आदर्श योजनायें तैयार की गई हैं और राज्य सरकारों ने भी उस आधार पर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है । परन्तु आधुनिक वधशालाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में कई स्थानों से इस का बहुत ही गम्भीर विरोध किया गया है ।

†**डा० गायतोंडे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे खाद्य का १० प्रतिशत भाग चूहों द्वारा खा लिया जाता है, क्या मैं जान सकता हूं कि चूहों के प्रति निर्दयता को रोकने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिन्दे** : पशुओं के प्रति निर्दयता रोकना अधिनियम के अन्तर्गत चूहे नहीं आते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच नहीं है कि, विदेशों में अंग च्छेद परीक्षणों के लिये, जानवरों की कुछ जातियों को, विशेष रूप से बन्दरों को, निर्यात करने के कार्य को सरकार सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है और कुछ व्यक्ति इन जानवरों का ऐसी कुछ अवस्थाओं में निर्यात करते हैं जोकि बहुत ही निर्दयतापूर्ण हैं और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार निर्यात पर तथा निर्दयतापूर्ण ढंग से जानवरों का परिवहन करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में, विशेष रूप से विदेशों में प्रयोगात्मक कार्य को करने के लिये बन्दरों के निर्यात के संबंध में, अनेक अवसरों पर यह प्रश्न उठाया जा चुका है । हम ने इसे बिल्कुल ही बन्द तो नहीं किया है, परन्तु फिर भी जो जानवर निर्यात किये जा रहे हैं उन के प्रति मानवीय व्यवहार अवश्य किया जाय इस के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि सन् १९६२-६३ में गायों को मारने की संख्या ज्यादा हो गई है ? बांदरा में एक नया बूचड़खाना खोला गया है और उस में सन् १९६१ के बजाय अब ज्यादा संख्या में गायें काटी जाती हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा सवाल है ।

श्री बड़े : क्रुएलिटी टु एनिमल्स इस में आता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने क्रुएलिटी का नाम तो नहीं लिया ।

श्री बड़े : क्रुएलटी टु एनिमल ऐक्ट के विरुद्ध मिल्चिंग कैट्ल को मारा गया है । यानी गाय और बैलों को मारा गया है । यह क्रुएलिटी टु ऐनिमल्स ऐक्ट के अन्दर एक आफेन्स होता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जायें तो मैं कुछ अर्ज करूं ।

श्री बड़े : मेरा सवाल इतना ही है कि वहां बूचड़खानों में क्रुएली उन को ले जाया जाता है और मारा जाता है । बांदरा में यह चीज इन्क्रीज हो रही है । ऐसी कम्प्लेन्ट्स न्यूजपेपर्स में आई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने कम्प्लेन्ट्स की बात नहीं कही । आप ने तादाद बतलाई कि गायों को वहां ले जाने की और जबाह करने की तादाद ज्यादा हो गई है सन् १९६२-६३ में बजाय सन् १९६१–६२ के । यह सवाल था इसमें में क्रुएलिटी नहीं आती ।

श्री बड़े : हो सकता है मुझ से सवाल करने में गलती हो गई हो ।

अध्यक्ष महोदय : गलती हो गई है तो अभी आप बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि इस समय भारत में प्रति दिन भोजन के लिये कितनी गायें, भैंसें, बकरियां, भेड़ें, मुर्गे और मुर्गियां मारी जाती हैं ?

श्री बड़े : क्या यह बात ठीक है कि अभी कुछ पेपर्स में आया था, पिक्चर्स दी गई थीं कि बांदरा के बूचड़खानों में और बम्बई के बूचड़खानों में बहुत क्रुएली गायों, बैलों और सुअरों को ले जाया जाता है और बांधा जाता है । इस सम्बन्ध में क्या क्रुएलिटी ऐक्ट की तरफ शासन का बिल्कुल ध्यान नहीं है ? मैं जानना चाहता हूं कि शासन ने इस की तरफ ध्यान दिया है या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, कई राज्यों में गोवध विरोधी कानून लागू है । बम्बई के सम्बन्ध में जिस का कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, बम्बई निगम ने एक आदर्श योजना तैयार की है जिसे कि कार्यरूप दिया जाना था और जोकि उन दोषों को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी जिन की ओर कि माननीय सदस्य ने संकेत किया है । परन्तु इस का बहुत विरोध हुआ है और वह मुख्य रूप से उस पार्टी ने किया है जिस के कि माननीय सदस्य सदस्य हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

कृषि उत्पादन बढाना

\+

†*७१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही के रूप में सरकार ने अगले वर्ष ट्रैक्टरों का आयात दुगना और उर्वरकों का आयात बढ़ाने का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किस देश से और इस के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) अगले वर्ष में ट्रैक्टरों और उर्वरकों के आयात को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(ख) यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : किस प्रकार के उर्वरकों की देश में कमी है और क्या इन उर्वरकों का आयात किया जाना है अथवा इन की कुछ स्थानापन्न वस्तुओं का आयात किया जाना है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का आयात करते हैं—कुछ एमोनियम सैंसल्फेट, कुछ यूरिया और कुछ अन्य प्रकार के उर्वरक ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या कृषि उपकरणों को आयात करने का प्रश्न हाल ही में स्थापित किये गये कृषि उपकरण बोर्ड के कार्य क्षत्र में आता है और यदि हां, तो क्या उपकरणों को आयात करने का निर्णय इस बोर्ड के परामर्श से लिया गया था ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : सोवियत रूस आदि से कुछ ट्रैक्टरों को आयात करने के निर्णय को हम ने अन्तिम रूप दे दिया है । यह कृषि उपकरण बोर्ड तो हाल ही में गठित किया गया था और इन सब बातों की उस बोर्ड द्वारा भी जांच की जायगी, परन्तु वह निर्णय नहीं करेगा । वह बोर्ड एक सलाहकार बोर्ड की किस्म का होगा ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह एक बहुत ही संतोषजनक बात है कि बहुत से ट्रैक्टरों का आयात किया जा रहा है । क्या मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या पंजाब की एक सहकारी समिति से उन्हें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिस में कुछ पूर्व-यूरोपीय देशों में निर्मित वक्टरों को आयात करने के लिये उन्हें लाइसेंस देने की प्रार्थना की गई है और यह आश्वासन दिया गया है कि उन की देखभाल करने के लिये वे सब व्यवस्था कर लेंगे और क्या उन के द्वारा इस प्रार्थना पत्र के स्वीकार किये जाने की कोई सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : जी हां, कुछ समय पूर्व पंजाब की कृषक गोष्ठी से हमें एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था। परन्तु वह स्वीकृत नहीं किया गया था। तब इस के सदस्यों ने अपने आप को एक सहकारी संस्था के रूप में गठित कर लिया और ट्रैक्टरों का आयात करने के लिये फिर से प्रार्थनापत्र दिया। प्रारम्भ में उन्होंने पुर्जों को आयात करने और ट्रैक्टरों का निर्माण भी करने के लिय प्रार्थनापत्र दिया था। कृषि उपकरण बोर्ड द्वारा अब इस की जांच की जायेगी।

श्री तुलसीदास जाधव : यह जो देश में ट्रैक्टरों की कमी है वह कहां पर है और उस के लिये सरकार ने कितने ट्रैक्टर्स मंगाने का विचार किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस साल करीब ९००० ट्रैक्टर्स की आवश्यकता है। उस में से १८०० सोवियत रूस से मंगाये जायेंगे और ४९० ट्रैक्टर्स वहां से मंगान की बात तय की गई है। पोलैंड से १,००० मंगाने की बात है, चैकोस्लोवाकिया से ५०० और रूमानिया से १०० मंगाने की बात है। कीमतों पर भी विचार हो रहा है। नगोशिएशन्स जारी हैं।

†**श्री त्यागी** : क्या ट्रैक्टरों और मिट्टी खोदने की मशीनों का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिये सरकार की एक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस की तुलना कर ली है कि इन ट्रैक्टरों को बाहर से खरीदने में उन्हें कितनी वास्तविक लागत लगानी पड़ी है और ऐसे एक संयंत्र की कुल लागत कितनी होगी ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस समय हम कुछ ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं। इस वर्ष हम लगभग २००० ट्रैक्टरों का निर्माण कर लेंग। भारत में ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये ५ फर्मों को लाइसेंस दे दिये गय हैं। परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात ही है ट्रैक्टरों के मूल्य बहुत ऊंचे हैं। इसलिय, आयात कार्यक्रम से मूल्य किसी हद तक कम हो जायेंग। परन्तु यह आयात सर्वदा ही नहीं किया जायगा और तीन अथवा चार वर्षों में हम ट्रैक्टरों के मामले में आत्म-निर्भर होने की आशा करते हैं।

†**श्री कपूर सिंह** : ट्रैक्टरों और उर्वरकों की सरल उपलब्धि को कृषकों की क्रय शक्ति से परस्पर संबन्धित करने के लिय सरकार का यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वह क्या हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस उद्देश्य के लिये ट्रैक्टरों के मूल्यों को, मेरी गणना के अनुसार, कम से कम १० प्रतिशत कम करना होगा। उर्वरकों के सम्बन्ध में हम इस समय भी इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं। हाल ही में हुई राज्य मंत्रियों की एक बैठक में यह मामला उठा था। और विभागीय सचिव इस प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं कि उर्वरकों के मूल्य को कितना कम किया जाना चाहिय।

श्री सरजू पांडेय : मैं जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए कि जो ट्रैक्टर्स की एजेंसियां इस मुल्क में हैं वे खराब ट्रैक्टर सप्लाई करते हैं, क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर रही है कि दूसरे मुल्कों से जो ट्रैक्टर्स खरीदे जा रहे हैं उन को वह अपनी एजन्सियों से सप्लाई करें ?

डा० राम सुभग सिंह : यह जो सारे ट्रैक्टर्स उन देशों से आयेंगे जिन का मैं ने नाम लिया अर्थात् सोवियत रूस, चैकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, पोलैंड से, वह सारे स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा आयेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कम्पनी हो तो जो खराब ट्रैक्टर देती हो और उस का नाम सदस्य महोदय दें, तो हम उस की जांच करेंगे।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर यहां बनेंगे और जो विदेशों से मंगाये जाते हैं उन के मूल्यों में क्या अनुपात है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम सुभग सिंह : असल में जो बाहर से आयेंगे, क्योंकि जो ट्रैक्टर्स अभी बिक रहे हैं भारत में, उन में से ज्यादातर इम्पोर्टेड ट्रक्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिज के हैं, उन में से जो रूस से आयेंगे उन की प्रोइसेज औरों की अपेक्षा कम होगी ।

श्री राम सेवक यादव : यहां जो बन रहे हैं उन के बारे में पूछ रहा हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : आने पर उस की कीमत पूरे रूप में बताना सम्भव होगा । वैसे रूस की कम है ।

अध्यक्ष महोदय : वे यहां पर बनने वालों के मुकाबले में पूछ रहे हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : यहां पर जो बन रहे हैं, अभी २२०० बने हैं, किसी की कीमत १५,००० रु० है किसी की १६,००० हैं या ज्यादा हैं । मैं मानता हूं कि किसानों को जितनी कीमत के चाहियें उस से यह ज्यादा है । पहले उस की कीमत थी १२,००० या १३,००० या १०,००० । २,००० या ३,००० रु० हर ट्रैक्टर पर बढ़ गया है । लेकिन इस की मांग ज्यादा है इस लिये कीमत बढ़ी है । इस को कम कराने की कोशिश की जा रही है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मैं यह जान सकता हूं कि किस प्रकार के ट्रैक्टरों का आयात किया जाना है और यह कि क्या इन ट्रैक्टरों को एक औसत दर्जे का किसान खरीद सकेगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्योंकि हमारी अधिकांश भूमि के स्वामी छोटे छोटे किसान हैं और किसानों के पास भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हैं अतः इस प्रकार के औसतन किसान तो उन को नहीं खरीद सकेंगे । केवल बड़े बड़े किसान ही और अधिकांशतः सहकारी संस्थायें ही ऐसे ट्रैक्टरों को खरीद सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य मेरी आंख न पकड़ सकें वे मेरे कान पकड़ने की कोशिश न करें । जो खड़े होते हैं मैं उन का ध्यान रखूंगा ।

श्री बड़े : जब मौका नहीं मिलता तो ऐसा करना पड़ता है ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो उत्पादन के अन्दर २७० करोड़ की हानि हुई है इस की क्षति पूर्ति उन ट्रैक्टरों से ही जायगी जो कि मंगायें जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार माननीय सदस्य इस प्रकार की बात सोचते हैं ।

†**श्री सोनावने** : क्या आयात किये गये अथवा स्वदेश में निर्मित ट्रैक्टरों पर अर्थ ह सहायता देने का और उर्वरकों के लिये इस समय जो अर्थ सहायता दी जा रही है उसे बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : कृषि उपकरण बोर्ड उस की जांच करेगा क्योंकि ऐसा एक प्रस्ताव है कि कुछ अर्थसहायता दी जानी चाहिये ।

आसाम में चावल की कमी

+

†*७१३. { **डा० सरोजिनी महिषी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा : }

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में चावल की भारी कमी हो रही है जिस के परिणामस्वरूप

---

†मूल अंग्रेजी में

वहां चावल के मूल्य बढ़ गये हैं ?

(ख) क्या यह सभी सच है कि आसाम में चावल मिलें, अधिष्ठापित क्षमता से कम पर कार्य कर रही हैं और यह कि आसाम की चावल मिलों ने केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यह अभ्यावदन किया है कि चावल मिलों को सीधे ही मंडियों से धान खरीदने की अनुमति दी जायें क्योंकि शीष सहकारी विपणन समिति अपेक्षित मात्रा में धान प्राप्त करने तथा मिलों को सम्भरण करने में असमर्थ रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री शिन्दे)** : (क) १९६२-६३ के मौसम में आसाम में चावल का उत्पादम कम होने के कारण उस राज्य ने इस वर्ष चावल की उपलब्धता सामान्यतः कम रही है। मार्च के मध्य से जून १९६३ के अन्त तक चावल के भाव भी कुछ बढ़ गये हैं क्या उस के बाद स्थिर रहे हैं ।

(ख) आसाम चावल मिल संस्था ने कि सहकारी समितियों द्वारा धान का कम समाहार तथा मिलों को धान का अपर्याप्त संभरण होने के बारे में अभ्यावेदन दिया है तथा सुझाव दिया है कि मलों को स्वयं धान खरीद लेने चाहिये ।

(ग) राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर चावल और गेहूं का उचित मूल्य वाली दुकानों के द्वारा वितरण बढ़ा दिया है और जहां पर आवश्यक था वहां पर उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई है। आसाम में चावल मिलों की कठिनाइयों पर राज्य सरकार के परमर्श से विचार किया जा रहा है । राज्य सरकार के अनुसार राज्य में धान का असन्तोषजनक उत्पादन होने के कारण कम समाहार हुआ तथा मिलों को भी चावल का अपर्याप्त संभरण हुआ ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : क्योंकि आसाम में चावल की मिलें स्थापित क्षमता से कम पर चल रही हैं तथा उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के आधार पर कि अपैक्स विपणन सहकारी समितियों द्वारा धान के समाहार का एकाधिकार गैर-कानूनी है, क्या मैं जान सकता हूं कि स्थिति को समझने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यद्यपि आसाम में उत्पादन सामान्य हुआ है परन्तु आसाम की मिलिंग क्षमता आसाम की राज्य की आवश्यकताओं से अधिक है । माननीय महिला सदस्य द्वारा उल्लिखित फैसले की आसाम राज्य सरकार जांच कर रही है क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण सरकार समाहार प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किये गये हैं ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : यदि वर्तमान चावल मिलों को चालू रखने के लिये धान का उत्पादन पर्याप्त नहीं है तो क्या मैं जान सकता हूं कि चावल कूटना अधिनियम, १९५८ के लागू होने से बाद से २०० नई यूनिटों को किस कारण लाइसेंस दिये गये थे ?

†**श्री अ० म० थामस** : माननीय सदस्य जानते हैं कि हम ने अपने अधिकार राज्य सरकारों को दे दिये हैं वहां पर अधिनियम भी लागू है जिस के अधीन राज्य सरकार उन का विनियमन कर सकती है। परन्तु इन में से बहुत सी कम्पनियां अधिनियम लागू होने से पहले की बनी हुई थीं ।

†**श्री मुरारका** : क्या यह सच नहीं है कि अपैक्स समितियां, चावल मिलों का ५० प्रतिशत ही समाहार कर रही हैं तथा इसी कारण चावल मिलें पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस** : चावल मिलों को सीधे उत्पादक से समाहार करने की अनुमति नहीं है। हमारी यह त्रिस्तरीय प्रणाली है। अपैक्स विपणन समिति, प्राथमिक समिति तथा सेवा समिति। प्राथमिक समिति इस का समाहार सेवा समिति से करती है तथा चावल बनाने के लिए विभिन्न मिलों को दे देती है। इस प्रकार अब समाहार समितियों का ही एकाधिकार है।

†**श्री मुरारका** : मेरा प्रश्न था कि क्या वह केवल ५० प्रतिशत का ही समाहार कर पाई हैं। क्या यह सच नहीं है ?

†**श्री अ० म० थामस** : यह सच है कि समाहार १९५९ से कम हो ता जा रहा है। १९५९–६० में ११३,००० टन, १९६०–६१ में ८५,००० टन, १९६१–६२ में ५८,००० टन तथा १९६२–६३ में ५५,००० टन धान हुआ है। इस कम समाहार से हम भी चिन्तित हैं तथा हम ने इस की ओर राज्य सरकार का ध्यान भी दिलाया है। उन्होंने बताया कि उन को कुछ आरम्भिक कठिनाइयां सामने आईं जैसे काम सन्तोषजनक नहीं हुआ तथा सहकारी समितियों को शक्तिशाली बनाना था। परन्तु राज्य सरकार का विचार है कि मिलों को स्वयं समाहार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : आसाम सहकारी अपेक्स विपणन समिति के लिए समाहार लक्ष्य क्या रखे गये थे तथा गत चार वर्षों में वास्तव में कितना समाहार हुआ ?

†**श्री अ० म० थामस** : गत चार वर्षों के वास्तविक समाहार के आंकड़े मैं बता चुका हूं। इस का कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था परन्तु जैसा कि मैंने बताया समाहार कम हो रहा है।

श्री शिव नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि किस भाव से सोसाइटीज़ लेकर मिल वालों को देती हैं और मिल वाले कंज्यूमर को किस भाव पर बेचते हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : आसाम में समाहार की दरें देश के अन्य भागों में समाहार की दरों से अधिक हैं। सहकारी समितियों को प्रतिमन एक रुपया कमीशन मिलता है।

†**श्री शिव नारायण** : पिछले पोरशन का जवाब नहीं मिला कि मिल वाले कंज्यूमर को किस भाव पर बेचते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किस भाव पर कंज्यूमर को दिया जाता है ?

†**श्री अ० म० थामस** : राज्य सरकारें उपभोक्ता को 'न लाभ, न हानि' पर बेचती हैं। गेहूं राज्य सहायता दरों पर वितरित होता है। साधारण किस्म का चावल १४ से १५ रुपये के मूल्य का है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या आसाम में धान के समाहार अभिकरण के रूप में आसाम सहकारी अपैक्स विपणन समिति के कार्यवहन की कोई जांच की गई है तथा यदि हां, तो यह आसाम की मिलों को धान का पर्याप्त संभरण करने में किन कारणों से असफल रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस मामले पर राज्य सरकार से कई बार बातचीत हुई है तथा हाल में ही आसाम के मुख्य मंत्री से भी बातचीत हुई है। मैं ने केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया उन को बता दी है। राज्य सरकार ने इस के कार्यवहन की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया है तथा वह उचित कार्यवाही कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पादन कम हो जाने के अतिरिक्त क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान को धान तथा चावल नियमित रूप से चोरी छिपे जाता है और आसाम में चावल की कमी का एक कारण यह भी है ? यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान को चावल तथा धान का चोरी छिपेले जाने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री बड़े :** मध्य प्रदेश से भी ।

†**श्री अ० म० थामस :** चोरी छिपे ले जाने का कोई मामला हमारे सामने नहीं आया है हम ने जांच की है तथा हम को पाकिस्तान में मूल्य आसाम से अधिक नहीं मालूम हुए । इसलिए वहां तस्कर व्यापार की कोई गुंजाइश नहीं है ।

†**श्री रंगा :** जब कि सहकारी विपणन समितियों को चावल की खरीद अथवा समाहार का एकाधिकार दिया गया है परन्तु फिर भी इन का कार्य संतोषजनक नहीं है तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है अथवा करेगी कि जो समिति अन्य प्रश्नों पर विचार करेगी वह इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि किसान सहकारी समितियों को बेचने के साथ साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों तथा सरकार को भी बेचे जिस से कुछ प्रतियोगिता हो और जनता को चावल उचित मूल्य पर मिल सके ।

†**श्री अ० म० थामस :** माननीय सदस्य के सुझाव से उलझन पैदा हो जायेगी । स्थिति राज्य सरकार को बता दी गई है । राज्य सरकार ने बताया है कि योजना के परिणाम स्वरूप राज्य में सहकारी आन्दोलन काफी प्रगति कर चुका है । उस ने यह भी बताया है कि अनभव से योजना सफल होती जायेगी ।

†**श्री रंगा :** क्या उन को एकाधिकार प्राप्त होगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह बताया गया कि समाहार में कमी, उत्पादन की कमी से आई हैं क्या उस में सुधार करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मंत्री को ज्ञात है कि मारवाड़ियों को बड़ी सख्या में चावल मिलों के लाइसेंस देने का हाथ से चावल कूटने वालों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

†**श्री अ० म० थामस :** हाथ से चावल कूटने वालों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है । मैं नहीं जानता कि चावल मिलों को बड़ी सख्या मेंलाइसेंस दिये गये हैं ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

ऋषिकेश रेलवे स्टेशन

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६. श्री भक्त दर्शन ।** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ सितम्बर, १९६३ को उत्तर रेलवे के ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजियों ने हमला करके रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाई और कुछ रेलवे कर्मचारियों को बुरी तरह से पीटा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) उन फौजियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) ६-९-१९६३ को ऋषिकेश स्टेशन पर एक सहायक स्टेशन मास्टर और कुछ सैनिकों में हाथापाई हो गयी और सहायक स्टेशन मास्टर बुरी तरह पीटा गया। इस घटना के दौरान सैनिकों ने दरवाज़ों के कुछ शीशे भी तोड़ डाले ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

विवरण

६-९-१९६३ को एवज़ी सहायक स्टेशन मास्टर श्री एम० आर० कुसम की धर्मपत्नी हरिद्वार से नं० ३ एच० आर० गाड़ी के दूसरे दर्जे में यात्रा कर रही थीं । साथ का डिब्बा सैनिक कोरियर के लिए आरक्षित था और उस में सेना के दो कर्मचारी यात्रा कर रहे थे । जनाना डिब्बे में अकेली महिला को देख कर उन्होंने उससे अश्लील व्यवहार करने की कोशिश की, अर्थात् खिड़की से झांकने लगे, अपशब्दों का प्रयोग किया और सिगरेट के टुकड़े उसकी ओर फेंके । जब गाड़ी रायवाला स्टेशन पर खड़ी हुई, तो उन्होंने महिला से प्राथना की कि उन्हें डिब्बे में आने दिया जाय, लेकिन महिला ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अन्त में वे अपने डिब्बे में लौट गये । सुबह ९ बज कर ५८ मिनट पर जब गाड़ी ऋषिकेश पहुंची, तो घर पहुंच कर श्रीमती कुसम ने अपने पति से इस घटना के बारे में कहा । इस के बाद दोनों स्टेशन पर आये और देखा कि सैनिक एक फ़ौजी ट्रक में बैठे हुए हैं । उन में से एक को श्री कुसम सहायक स्टेशन मास्टर के कार्यालय में ले गये, जहां उन दोनों में मारपीट हो गयी । यह देख कर मारपीट में सेना का कर्मचारी शामिल है, सेना के कुछ और कर्मचारी भी उस में शामिल हो गये जिसकी वजह से श्री कुसम बुरी तरह पीटे गये । इस हाथापाई ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि सेना के कर्मचारी बन्दूक आदि चलाने के लिए तैयार हो गये । लेकिन सहायक स्टेशन मास्टर, श्री कुसम किसी तरह वहां से बच निकले और उन्होंने स्टेशन मास्टर के कार्यालय में जा कर शरण ली और अदर से दरवाज़ा बन्द कर लिया । उन को पकड़ने की कोशिश में सैनिकों ने स्टेशन मास्टर के कार्यालय के कुछ शीश तोड़ डाले । इसी बीच इस घटना की सूचना मिलने पर बेस कमाण्डेण्ट ने सेना के एक कैप्टन को वहां भेजा । वहां पहुंच कर कैप्टन ने स्थिति को सम्हाला । सरकारी रेलवे पुलिस, देहरादून ने भारतीय दंड संहिता की धारा १४७/३२३/५०९ और ४२६ के अधीन मामला दर्ज किया है । सैनिक अधिकारी भी जांच कर रहे हैं और उन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर और दूसरे गवाहों के बयान दर्ज किये हैं ।

(ग) इस मामले की जांच हो रही है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ।

श्री भक्त दर्शन : इस घटना के कारण केवल रेलवे कर्मचारियों में ही नहीं बल्कि ऋषिकेश हरिद्वार और उस के पास के अन्य नगरों की जनता में भी बड़ा आतंक फैल गया है तो क्या इस सम्बन्ध में फौजी अधिकारियों को हिदायत दी गई है कि वह जो जांच कर रहे हैं, अपने सैनिकों के विरुद्ध, उस में शीघ्रता की जाय ताकि उन्हें जल्दी से जल्दी दंड दिया जा सके ?

श्री शाहनवाज़ खां : कोई हिदायत करने का अधिकार हमें तो हासिल है नहीं लेकिन जहां तक हमारी इत्तिला है वह बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के सवाल का मतलब यह था कि फ़ौजी अधिकारी जो डिपार्टमेंटल कार्यवाही कर रहे हैं उस कार्यवाही में उनसे शीघ्रता लाने को कहा जाय ।

श्री भक्त दर्शन : जी हां, श्रीमन् मैं चाहता था कि जो फौजी तहक़ीकात हो रही है उस के बारे क्या शीघ्रता लाने के लिए मंत्री महोदय द्वारा उनको लिखा गया है ?

श्री शाहनवाज खां : कोर्ट आफ़ इनक्वायरी का आर्डर हो गया है और वह काफ़ी जल्दी काम कर रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मेरी सूचना है यह घटना अपने ढंग की पहली घटना नहीं है । उससे पहले भी उस इलाक़े में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो क्या उस के बारे में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से यह निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने सैनिकों को सख़्त हिदायतें दें कि जहां वह अपने को जनता का रक्षक समझते हैं वहां उन्हें जनता की भी इज्जत करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

कृषि वस्तुओं सम्बन्धी सलाहकार समिति

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७. डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक कृषि वस्तुओं संबंधी सलाहकार समिति स्थापित करने का विचार कर रही है अथवा उस के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कृत्य और उस का कार्य-क्षेत्र क्या होगा ; और

(ग) क्या समिति के सदस्यों का चुनाव किया जा चुका है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) से (ग). कृषि वस्तुयें सलाहकार समिति बनाने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस समिति की स्थापना के प्रस्ताव पर पुनर्विचार सरकार ने किस कारण से किया है । क्या ऐसा सरकार द्वारा किए गए कार्य प्रबन्ध अध्ययन के कारण किया गया है तथा यदि हां, तो किस प्रकार से ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : कार्य प्रबन्ध अध्ययन भी एक कारण है । परन्तु मुख्य कारण यह है कि यह मांग इस सभा में, सलाहकार समिति की बैठक में क्या किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थी ?

डा० पं० शा० देशमुख : इस की घोषणा मंत्री महोदय ने स्वयं की थी । हम ने कोई मांग नहीं की थी । मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि मूल्यों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्री ने २४ फरवरी, १९५९ को सभा में घोषणा की थी । परन्तु जब भी खाद्य अथवा कृषि समस्याओं पर चर्चा हुई तभी कुछ सदस्यों ने मूल्य निर्धारण बोर्ड अथवा समिति स्थापित किये जाने की मांग की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस समिति के गठन तथा इस की रचना के बारे में क्या प्रस्ताव हैं। इस बात पर ध्यान रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि यह समिति किसानों अथवा उपभोक्ताओं दोनों में से किसी का भी पक्षपात नहीं करेगी ।

†**डा० रामसुभग सिंह** : यदि इस प्रकार की कोई समिति नियुक्त की जायेगी तो वह उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा समस्त राष्ट्र का हित चिन्तन करेगी ।

†**एक माननीय सदस्य** : व्यापारियों के बारे में नहीं बताया ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : व्यापारियों का ध्यान नहीं करेगी ।

†**श्री रंगा** : चार वर्ष पहले यह घोषणा की गई थी कि एक आयोग नियुक्त किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार, विशेषतया योजना आयोग इस समिति को कृषि उत्पाद आदि के उचित मूल्य निर्धारित करने जा रही थी, की स्थापना में कौन बाधक बना ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : कोई बाधक नहीं बना। अन्तिम निर्णय किये जाने के पूर्व बहुत-सी बातों पर ध्यान से विचार करना होता है ।

†**श्री रंगा** : इस में पांच वर्ष तो लग चुके हैं। मालूम नहीं इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने से तब और कितने खाद्य मंत्री बदलेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कमेटी बनाने का निर्णय सरकार ने किया है तो यह कमेटी आखिर कब तक बन जायेगी और जैसाकि उन्हों ने वायदा किया था दो किसानों के नुमायन्दे उन में होंगे तो क्या उन्हों ने तय कर लिया है कि किसानों के नुमायन्दे उस में लिये जायें ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : उस वक्त जो वायदे की बात थी उस के बाद कैबिनेट में इस विषय पर विचार हुआ अक्तूबर १९६० को लेकिन उस के बाद उस मामले को भेज दिया गया कि प्लानिंग कमिशन के साथ राय मशविरा कर के बातें हों और वहां पर तय हुआ कि एक एग्रीकलचरल कमोडिटीज़ कमेटी और दूसरी फारमर्स कौंसिल दो चीजें बनें तो फ़ारमर्स कौंसिल का जहां तक सवाल है उस में पैनेल आन ऐग्रीकलचरल प्रोग्राम बन चुका है। उस की मीटिंग भी हाल में हुई थी, फरवरी में, लेकिन एग्रीकलचरल कमोडिटीज़ कमेटी अभी नहीं बनी है और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : इस समय मामला किस प्रक्रम पर है तथा क्या सभी संबंधित अभिकरणों का परामर्श ले लिया गया है ?

†**डा० रामसुभग सिंह** : जी हां। यह उन की सलाह लेंगे। हम ने कृषि से सम्बन्धित योजना आयोग के सदस्य से बातचीत की थी क्या उस ने भी समिति नियुक्त करना स्वीकार किया। प्रस्ताव को पुनः मंत्रिमंडल के सामने भेजना होगा ।

†**श्री सोनावने** : जबकि किसान उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन को उचित मूल्य जायें तो किन कारणों से समिति के गठन में विलम्ब हो रहा है ?

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेल के इंजन, डब्बों आदि में आत्मनिर्भरता

†*७०३. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने रेल के इंजन, डिब्बों आदि में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है ;

(ख) माल-डिब्बों तथा यात्री डिब्बों के निर्यात का भविष्य क्या है ;

(ग) बिजली तथा डीजल के इंजनों के उत्पादन में कितनी प्रगति की गई है ; और

(घ) क्या सरकार मूल्य अधिमान दे कर छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन दे रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) भाप के इंजन, यात्री डिब्बे तथा माल के वैगन भारत में बनाये जा रहे हैं तथा किसी भी पुर्जे का आयात नहीं किया जा रहा है । देश में डीजल तथा बिजली के इंजन का निर्माण धीरे धीरे प्रगति कर रहा है ।

(ख) सवारी तथा माल डिब्बों का निर्यात करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं यद्यपि अब तक कोई निर्यात नहीं किया गया है ।

(ग) हाल में ही चित्तरंजन इंजन कारखाने में बड़ी लाइन के डी० सी० बिजली के २१ इंजन बनाये हैं । बड़ी लाइन के ए० सी० बिजली के इंजनों का निर्माण शुरू कर दिया गया है तथा आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में ए० सी० बिजली के १० इंजन बन कर कारखाने से बाहर आ जायेंगे ।

वाराणसी में बनने वाले डीज़ल इंजन कारखाने का उत्पादन कार्यक्रम निम्नलिखित है :—

१९६३–६४ . .	३ (अलग-अलग पुर्जों को जोड़ कर इंजन का बनाया जाना) ।
१९६४–६५ . .	९ (तदैव) २६ इंजनों का निर्माण ।
१९६५–६६ .	५७ इंजन ।
तीसरी योजनावधि म .	९५ इंजन (अलग-अलग पुर्जों को जोड़ कर बनाये गये १२ इंजनों समेत)

(घ) जी हां ।

मोटर गाड़ियों पर कर

†*७११. **श्री मान सिंह पृ० पटेल** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसा सूत्र तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है जिस से कि मोटरगाड़ियों, यात्रियों तथा वस्तुओं पर कर केवल उसी राज्य में एकत्रित किये जायें जिस में कि मोटरगाड़ी पंजीकृत की गई हो ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की यदि कोई उपपत्तियां हैं तो वे क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे जोन

†*७१२. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार रेलवे के वर्तमान ज़ोनों में फ़ेरबदल करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**रलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) चालन तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रख कर मामला निरन्तर विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता-दमदम हेलीकोप्टर सेवा

†*७१४. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कलकत्ता तथा दमदम हवाई अड्डे के बीच एक हैलीकाप्टर सेवा शुरू करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को आमंत्रित किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह 'फेरी-सर्विस' कब चालू होगी ; और

(ग) इस का पूरा ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). कलकत्ता और दमदम के बीच एक हैलीकाप्टर सेवा चालू करने का सुझाव दिया गया है । हैलीकाप्टर सेवा चालू करने के आर्थिक पहलू की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने के बाद इस सेवा को चलाने पर विचार किया जायेगा ।

किरणीयत गेहूं[1]

†*७१५. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उपभोग के लिये अमरीकी किरणीयत गेहूं के संभरण का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गेहूं के जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच कर ली है ; और

(ग) क्या प्रस्ताव के कार्यान्वित होने पर कुछ विदेशी मुद्रा बचेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) सरकार को अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Irridiated wheat.

दिल्ली दुग्ध योजना के मक्खन का खराब होना

७१६. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री माते :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री योगन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही दिल्ली दुग्ध योजाना का बड़ी मात्रा में मक्खन खराब हो गया था ;

(ख) कितना मक्खन खराब हुआ था तथा इस के खराब होने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस खराब मक्खन का घी बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). उस स्टाक की मात्रा जोकि कुछ समय से इक्ट्ठा हो गया है, लगभग ४५ मीट्रिक टन है। पर्याप्त मात्रा में अति प्रशीतण उपस्करण न होने के कारण यह खराबी हुई। आवश्यक उपस्करण प्राप्त करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) इस समय ऐसे मक्खन से बना हुआ लगभग १२ मीट्रिक टन घी स्टाक में मौजूद है। मक्खन तथा इससे बने हुए घी दोनों की राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्थान, करनाल में जांच की जा रही है। निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि जब तक कि इस के बारे में रिपोर्ट नहीं आती तब तक इस मक्खन का घी बनाने में प्रयोग न किया जाये और न ही इस मक्खन से बने हुए घी को बेचने के लिये दिया जाये ।

कृषि उत्पादन

†*७१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद देने के लिए विशेष सहायता देने की योजना है तथा क्या यह सहायता तीसरी योजना के आवंटन के अतिरिक्त होगी ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस सहायता का कितना भाग आसाम राज्य को आवंटित किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). शेष तीसरी योजनावधि में कृषि कार्यक्रम के लिए धन के अतिरिक्त आवंटन के प्रश्न पर योजना आयोग विचार कर रहा है ।

रेलवे दुर्घटना समिति

†*७१८. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटना जांच समिति की कुछ सिफारिशें, जो विशेषतया यात्री

†मूल अंग्रेजी में

गाड़ियों के अगले हिस्से में तीसरा ब्रेक डिब्बा लगाना तथा स्पीडोमीटर लगाना जो बहुत समय पहले की गई थीं, अब तक क्रियान्वित नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्रियान्विति की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : :(क) और (ख). स्पीडोमीटर लगाना, यात्री गाड़ियों पर तीसरा माल ब्रेक डिब्बा लगाना आदि सिफारिशें पर्याप्त रूप से क्रियान्वित कर दी गई हैं तथा उन की शीघ्र क्रियान्विति के लिए साधन जुटाये जा रहे हैं।

कोंकण नौवहन सेवा

†*७१९. **श्री कजरोलकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि कोंकण नौवहन सेवा अब तक शुरू नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि नौवहन समवाय इस वर्ष तब तक सेवा शुरू नहीं करेगी जब तक उसे महाराष्ट्र सरकार से २८ लाख रुपये नहीं मिल जायेंगे ;

(ग) क्या उन्हें यह भी ज्ञात है कि नौवहन सेवा के बन्द हो जाने से कोंकण लाइन के यात्रियों को बहुत कठिनाई हो रही है तथा हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** :(क) जी हां। कोंकण नौवहन सेवा जो १ सितम्बर, १९६३ को आरम्भ होने वाली थी, खराब मौसम के कारण चालू नहीं की जा सकी है ।

(ख) यह कहना ठीक नहीं है कि नौवहन समवाय ने महाराष्ट्र सरकार से २८ लाख रुपयों का दावा किया है। परन्तु महाराष्ट्र सरकार तथा कम्पनी के बीच कम्पनी के दावों के निबटारे तथा सेवायें चलाने के बारे में बातचीत हो रही हैं।

(ग) और (घ). क्योंकि सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए मौसम ठीक नहीं है इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बीच आशा है कि कम्पनी के दावे महाराष्ट्र सरकार से तय हो जायेंगे।

काश्मीर में भूकम्प

†*७१९क. **श्री श्यामलाल सर्राफ** :
श्री रामहरख यादव :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के भूकम्प के परिणामस्वरूप काश्मीर घाटी की बड़गाम तहसील में बहुत अधिक संख्या में मकान नष्ट हो गये और बहुत से लोगों की जानें गईं ;

(ख) क्या इस विनाश का मध्य केन्द्र काश्मीर की घाटी के एकमात्र हवाई अड्डे के एकदम नजदीक था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से इस व्यापक विनाश के कारणों का पता लगाने के लिए योग्यतम विशेषज्ञों को नियक्त करने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां। यह बताया गया है कि लगभग १०० व्यक्ति मर गये तथा लगभग ५०० आहत हुए और लगभग दो हजार मकान गिर गए तथा नष्ट हो गये ।

(ख) जी हां ।

(ग) भारत भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग से जांच करने को कहा गया है ।

उत्तर बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के लिये विमान-सेवायें

†*७२०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डा० रानेन सेन :
श्री नि रं० लास्कर :
डा० (प०) श्री निवासन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ मई, १९६३ को उत्तर बंगाल, आसाम तथा त्रिपुरा के लिये दमदम हवाई अड्डे से विमान सेवाएं अचानक रोक दी गई थी ;

(ख) क्या इस का कारण हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था का ठीक न होना था ; और

(ग) यदि हां, तो इस को इतनी देर तक ठीक क्यों नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप उड़ानें रोकनी पड़ी ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** (क) कलकत्ता से माल वाही उड़ानें ८ से ११ मई के बीच रोक दी गई थीं ।

(ख) एक विमान चालक तथा इंजीनियर के बीच झगड़ा हो जाने के कारण विमान चालकों ने पहली प्रक्रिया के समान साधारण अड्डे से मालवाही उड़ानें करने से इन्कार कर दिया था । इन्कारी का एक कारण इस क्षेत्र में रात्री में अपर्याप्त प्रकाश भी है ।

(ग) अब प्रकाश व्यवस्था में सुधार कर दिया गया है ।

विश्व खाद्य कांग्रेस

†*७२१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६३ के आरम्भ में वाशिंगटन में हुई विश्व खाद्य कांग्रस में भारत, पाकिस्तान तथा तुर्की जैसे बिकासोन्मुख देशों की खाद्य समस्या पर चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो वहां इस संबंध में क्या बिचार व्यक्त किए गए तथा क्या सिफारिशें की गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन सिफारिशों/सिफारिशों के आधार पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) कांग्रेस में हुई घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–१७४७/६३**]।

(ग) मामले में क्या निर्णयात्मक कदम उठाये जाने चाहिए इसको तय करने के लिए आगामी नवम्बर में खाद्य तथा कृषि संगठन के सम्मेलन में विश्व खाद्य कांग्रेस की सिफारिशों पर विचार किया जायेगा। सम्मेलन की सिफारिशों पर सरकार समय आने पर विचार करेगी।

रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दुकानें (बुक स्टाल)

†*७२२. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न रेलों के अधिकांश स्टेशनों पर मैसर्स ए० एच० व्हीलर को किताबों की दुकानों (बुक स्टाल्स) के बारे में प्राप्त एकाधिकार को अब समाप्त कर देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इस के स्थान पर किस प्रकार का नया प्रबंध करने का बिचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

विवरण

(क) और (ख). १–८–१९६० से पहले मैसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी के साथ जो करार किया गया था, उस के निबंधनों और शर्तों के अनुसार कुछ रेलों पर या उनके निर्धारित क्षेत्रों में किताबें, पत्रिकाएं आदि बेचने का अधिकार एकमात्र इसी कम्पनी को था। अन्य किसी को वहां किताबें पत्रिकाएं, आदि बचने का अधिकार नहीं था। १–८–१९६० से एकाधिकार की इस स्थिति में ये परिवर्तन किये गये हैं :—

(१) जिन स्टेशनों पर व्हीलर की दुकानें नहीं हैं, वहां दूसरों को किताबों की दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकती है, और

(२) जिन स्टेशनों पर व्हीलर की दुकानें हैं, वहां कुछ निर्दिष्ट संस्थाओं की किताबें, पत्रिकाएं आदि बेचने के लिए दूसरी दुकानें भी खोली जा सकती हैं।

वर्तमान करार ५ साल के लिए है और इनके अनुसार चालू मियाद बीतने पर किताबों की दुकानों के ठेकेदार अपने ठेके ५ साल तक और बढ़वा सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है यदि ठेके की अवधि बढ़ाते समय उसकी कोई शर्त भंग न हुई हो और सम्बंधित रेल-प्रशासनों की राय में ठेकेदारों का काम सन्तोषजनक हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

जगाधरी रेलवे वर्कशाप

†*७२३. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगाधरी रेलवे वर्कशाप में रेलवे के खुले वैगनों का निर्माण आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मासिक उत्पादन कितना है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) जी हां ।

(क) अब तक नीचे बताए अनुसार ४१ वैगन बनाये गये ।

मई ६३	६
जून ६३	९
जलाई ६३	१४
अगस्त ६३	१४

अस्थाई उत्पादन कार्यक्रम यह है कि इस वर्ष १६ वैगन मासिक तथा जनवरी १९६४ से १८ मासिक बनाए जायेंगे ।

काश्मीर के साथ रेल सम्पर्क

†*७२४. **श्री वारियार :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर घाटी को देश के शेष भाग से रेल द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(क) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलगाड़ी और बस की टक्कर

†*७२५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :

†मूल अंग्रेजी में

श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० सारादीश राय :
श्री बागड़ी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २८ अगस्त, १९६३ को गन एण्ड शैल फक्टरी, कलक्ता के निक्ट समपार (लवल क्रासिंग) पर एक मालगाडी राजकीय बस के पिछले भाग से टकरा गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति हताहत हुए ; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था ।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) चार व्यक्ति मर गये तथा नौ घायल हुए ।

(ग) रेलवे कर्मचारियों की गलती ।

मनीआर्डर के फार्म

†*७२६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी ऐसे प्रस्ताव पर बिचार किया है कि गैर-सरकारी पार्टियों को मनीआर्डर के फाम छाहने की इजाजत दी जाये और इसके बदले में फार्मों पर उनके विज्ञापन नि:शुल्क छापे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) गैर-सरकारी पार्टियों को मनी-आर्डर पर विज्ञापन छापने की अनुमति देने का बिचार है यदि यह विभाग को फार्म नि:शुल्क दें ।

(ख) प्रस्ताव बिचाराधीन है ।

कम कीमत का अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य

†*७२७. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार संयुक्त राष्ट्र बाल आपात निधि तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से बच्चों के लिए कम कीमत के अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य की व्यवस्था करेने की एक प्रयोगात्मक परियोजना चालू कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर तथा इस योजना पर कितना खर्च आयेगा तथा यह खर्चा आपस में किस प्रकार बांटा जायेगा : और

(ग) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण किस रूप में तथा किस सीमा तक परियोजना में सहयोग देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). प्रस्ताव बिचाराधीन है तथा ब्योरा बनाया जा रहा है ।

राजस्थान में उद्यान विद्या का विकास

†१९७५. **श्री कर्णसिंहजी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना काल में उद्यान विज्ञान के विकास के लिए राजस्थान सरकार को कितनी आर्थिक सहायता तथा अनुदान दिया गया या दिया जायेगा; और

(ख) गंगानगर जिले को कितना धन दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में वन विद्या के विकास के लिए राजस्थान सरकार को निम्न ऋण तथा अनुदान देने का विचार है :—

ऋण	१०,००,००० रु०
अनुदान	५,००,००० रु०

(ख) गंगा नगर ज़िले को ३०,००० रु० का ऋण देने के लिए निर्धारित किया गया है ।

ट्रंक टेलीफोन सेवा का भंग होना

†*१९७६. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान उड़ीसा के अनेक स्थानों पर, विशेषकर जयपुरनगर-कटक, कटक-जयपुर रोड, कटक–केन्द्रपाड़ा–पट्टामुन्दाई और कटक–केवनझारगढ़ के ट्रंक-टेलीफोन लाइनों के निरन्तर टूटने की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार सेवा भंग होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख). उल्लिखित सेक्शनों में सेवा का बड़े पैमाने पर भंग होना पिछले वर्षों में अधिक बाढ़ आने से हुआ । जुलाई, १९६३ के अन्त तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस वर्ष कोई बड़ी अव्यवस्था नहीं हुई है ।

(ग) कटक और जयपुर लाइन को सुदृढ़ करने का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा । अन्य सैक्शनों में लाइनें जहां कहीं आवश्यक था, ठीक कर दी गई हैं । बाढ़ स्थिति का सामना करने के लिए कुछ सावधान्यात्मक कार्यवाही की गई है ।

झारसुगुड़ा और लपंगा के बीच स्टेशन

†१९७७. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के झारसुगुडा और लपंगा के बीच एक नया स्टेशन बनाने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितना धन स्वीकृत किया गया है; और

(ग) नया स्टेशन यात्रियों के लिए कब खोला जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) झारसुगुडा और लपंगा स्टेशनों के बीच एक क्रासिंग स्टेशन बनाने का निश्चय किया गया है।

(ख) ९,२६,३११ रु० ।

(ग) क्रासिंग स्टेशन को यात्रियों के लिए खोलने के प्रश्न की जांच हो रही है ।

उड़ीसा में रेंगाली रेलवे स्टेशन

†**१९७८. श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दक्षिण पूर्व रेलवे पर रेंगाली रेलवे स्टेशन को फलैग स्टेशन बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं के लिए कितना प्राक्कलित धन स्वीकृत हुआ है; और

(ग) निर्माण कार्य कब पूरा होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी)** : (क) रेंगाली पहिले से ही फ्लैग स्टेशन है । इस फ्लैग स्टेशन को क्रासिंग स्टेशन बनाने का निश्चय किया गया है ।

(ख) ३,८४,००० रु० ।

(ग) आशा है कि कार्य नवम्बर, १९६३ में पूरा हो जायेगा ।

उड़ीसा में छोटी सिंचाई योजना

†**१९७९. श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना काल में उड़ीसा में कितनी भूमि की सिंचाई योजना से सिंचाई की गई;

(ख) तीसरी योजना काल में कुल कितनी भूमि में छोटी सिंचाई योजना से सिंचाई की जायेगी; और

(ग) उस राज्य में दूसरी योजना काल में कितनी छोटी सिंचाइ योजनायें लागू की गईं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० मा० थामस)** : (क) अनुमान है कि दूसरी योजना काल में सिंचाई की छोटी योजनाओं से १.६ लाख एकड़ अधिक भूमि की सिंचाई की गई ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कुल २.७ लाख एकड़ भूमि में छोटी सिंचाई योजनाओं से सिंचाई की जायेगी । फिर भी, राज्य सरकार का विचार लक्ष्य को बदल कर ४.६ लाख एकड़ करने का है बशर्ते कि अधिक धन उपलब्ध हो जाये ।

(ग) १०६५ छोटी सिंचाई परियोजनायें ।

बीज फार्म

†**१९८०. श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों में उड़ीसा में कोई बीज फार्म खोले गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या इसी काल में उक्त कार्य के लिए उड़ीसा को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ग) हां।

(ख) और (घ). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–१७४८/६३]**

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सड़क के ऊपरी पुल

†**१९८१. श्री राम चन्द्र उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा सरकार ने कहां कहां दक्षिण पूर्व रेलवे पर सड़क के ऊपरी पुलों के निर्माण के लिए अनुमति दी है; और

(ख) इस बारे में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). मार्च, १९६१ में उड़ीसा सरकार ने तीसरी योजना काल में विद्यमान रेलवे फाटकों के स्थान पर सड़क के ऊपरी/नीचे के पुलों की एक समन्वित सूची अपनी सिफारिशों के साथ भेजी थी। इस सूची में निम्न पन्द्रह प्रस्ताव थे :—

१. तंगरापल्ली में सड़क का ऊपरी पुल।
२. कटक के दक्षिणी छोर पर सड़क का निचला पुल।
३. झारसुगुडा पर सड़क का ऊपरी पुल।
४. केंसिगा पर सड़क का निचला पुल।
५. हल्दीपल्ली (बरहामपुर) में सड़क का निचला पुल।
६. पनपोश में सड़क का ऊपरी पुल।
७. रम्भा रेलवे स्टेशन के पास सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
८. वारकुल और वालूगांव के बीच सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
९. पुरुषोतमपुर रोड जंकशन (बरहामपुर के उत्तर में) पर सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
१०. बालासुर तथा मयूरभंज सीमा पर सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
११. कटक रेलवे स्टेशन के उत्तर में सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
१२. कोरापुट जिले में रायागदा पर सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
१३. सम्भलपुर–झारसुगुडा रोड के १२वें मील पर सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
१४. सम्भलपुर–झारसुगुडा रोड के १८वें मील पर सड़क का ऊपरी/निचला पुल।
१५. सखीगोपाल के पास सड़क का ऊपरी/निचला पुल।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद में, १२-४-१९६२ को उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबन्धक की बैठक में निश्चय किया गया कि उपरोक्त सूची के प्रथम छः पुलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। उड़ीसा सरकार ने १९६३–६४ में इन छः निर्माण-कार्यों के व्यय में अपना अंश देने की अनुमति दे दी है। रेलवे ने भी चालू वित्त वर्ष में लागत का अपना अंश देने के लिए आवश्यक धन का उपबन्ध किया है और अब राज्य सरकार के परामर्श से योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कोव्वूर तथा निउदवोलु से रेलवे लाइन

†१९८२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में कोव्वूर तथा निउदवोलु स्टेशनों के बीच दोहरी रेलवे लाइन बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितना व्यय हुआ ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) कोव्वूर तथा निउदवोलु के बीच माल यातायात के लिए दोहरी लाइन ३१-७-१९६३ से खोल दी गई है।

(ख) ८३.१४ लाख रु०।

मद्रास और विजयवाड़ा के बीच विद्युत रेलगाड़ी

†१९८३. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास और विजयवाडा के बीच विद्युत् रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) परियोजना कब पूरी होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सिंगापुर रोड स्टेशन

†१९८४. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि दक्षिण पूर्व रेलवे (उड़ीसा) के सिंगापुर स्टेशन पर पीने के पानी के अभाव के कारण यात्रियों तथा रेलवे कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). यात्रियों तथा कर्मचारियों को पीने का पानी रामगदा स्टेशन से लाये गये 'वाटर टेण्डर' से दिया जाता है और विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिण पूर्व रेलवे में लोअर गज़टेड सर्विस श्रेणी के पद

†१९८५. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में १९६१–६२ और १९६२–६३ में 'लोअर गज़टेड सर्विस' श्रेणी ने कितने पद भरे गये हैं ;

(ख) उन में से कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं ; और

(ग) इसी काल में अब तक कितने सुरक्षित पद भरे गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) ११२ ।

(ख) ३३ अनुसूचित जातियों के लिए और १७ अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ।

(ग) अनुसूचित जातियों में से ६ पद भरे गये हैं जबकि अनुसूचित आदिम जातियों में से कोई पद नहीं भरा गया है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में ए० पी० ओ० के पद

†१९८६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दक्षिण पूर्व रेलवे में ए० पी० ओ० के पदों के लिए कितनी पदोन्नति परीक्षायें हुईं ;

(ख) इसी काल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद सुरक्षित किये गये ; और

(ग) इसी अवधि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से कितने पद भरे गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) पिछले तीन वर्षमें दो चुनाव हुए हैं

(ख) ७ (४ अनुसूचित जातियों के और ३ अनुसूचित आदिम जातियों के) ।

(ग) कोई नहीं

दक्षिण पूर्व रेलवे में आफिस सुपरिन्टेडेन्ट के पद

†१९८७. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे पर पिछले पांच वर्षों में ४५०–५७५ रु० के वेतन-क्रम के आफिस सुपरिन्टेन्डेन्टों के कितने पद भरे गये ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कितने पद सुरक्षित थे ; और

(ग) इसी अवधि में कितने पद इन उम्मीदवारों से भरे गये ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) दस ।

(ख) दस ।

(ग) कुछ नहीं ।

नौपाड गुनुपुर लाइन

†१९८८. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में दक्षिण पूर्व रेलवे की नौपाड-गुनुपुर छोटी लाइन से किराये व भाड़े के रूप में कितनी वार्षिक आय हुई ;

(ख) इसी काल में यात्रियों तथा माल का कितना यातायात हुआ ; और

(ग) उसी अवधि में उक्त रेलवे पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १९६२–६३ की नौपाड गुनुपुर लाइन की कुल आय निम्न है :—

	रु०
यात्री आय	२,६४,९१०
अन्य गाड़ी आय . . .	३८,३०२
माल आय	६८,३७३
विविध आय	४,६९२
योग .	३,७६,२७७

(ख) १९६२–६३ में जिन यात्रियों ने यात्रा की . ५,९५,०६२

१९६२–६३ में ढोया गया माल . २३,७०४

मीट्रक टन ।

(ग) ४,२९,४३९ रु०

ताड़-गुड़ और ताड़-चीनी

†१९८९. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में ताड़-गुड़ और ताड़-चीनी बनाने के लिए राज्य सरकार को ऋण या अनुदान स्वरूप कोई केन्द्रीय सहायता दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो १९६३-६४ में अब तक कितना धन दिया गया है ; और

(ग) क्या उस राज्य में ताड़-वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी नहीं; फिर भी, उड़ीसा राज्य में ताड़-गुड़ और ताड़-चीनी के विकास के लिए खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग अनुदान तथा ऋण के रूप में सहायता दे रहा है ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचना दी है कि १९६३–६४ में खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग से अनुदान के रूप में ७७,६००.०० रु० और ऋण के रूप में ७३,६००.०० रु० मिले हैं । १९६२–६३ में उड़ीसा राज्य तल गुड़ समवाय संघ लिमिटेड में लगभग ३,००,००० ताड़ के पेड़ लगाये हैं ।

छोटे डाकखानों को बड़ा बनाना

†१९९०. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **डाक और तार** विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में कुछ छोटे डाकखानों को मुख्य डाकघर बनाने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन छोटे डाकघरों के क्या नाम हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) (१) अंधेरी
(२) पाल घर
(३) कल्याण
(४) मले गांव
(५) करड
(६) चिपलन
(७) खेड
(८) दादर
(९) पूना नगर
(१०) तुलसीवाडी
(११) पन्धरपुर
(१२) मलवान
(१३) श्रीरामपुरण

*इस बीच प्रस्ताव स्वीकृत हो गये हैं । परिवर्तन १-१०-६३ से किया जायेगा ।

महाराष्ट्र में डाक तथा तार घर

१९९१. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **डाक और तार** विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में तीसरी योजना में अब तक कितने डाकघर, तार एक्सचेंज, सार्वजनिक टेलीफोन और तारघर खोले गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३-६४ और १९६४–६५ में महाराष्ट्र में ऐसे कितने आफिस खोले जायेंगे ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

	३१-८-६३ तक तीसरी योजना काल में खोले गये आफिसों की संख्या	जिन के खोले जाने का विचार है	
		१९६३–६४ के शेष काल में (अर्थात् १-९-६३ से ३१–३–६४ तक)	१९६४–६५
डाकघर . .	८९८	१५६	२७१
तार एक्सचेंज . .	४६	३६	३३
सार्वजनिक टेलीफोन घर	२६	४३	२५
तार घर . . .	३७	४०	३७

*सामान की उपलब्धता पर निर्भर है ।

महाराष्ट्र में नलकूप

†१९९२. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में केन्द्रीय नलकूप संगठन का विचार महाराष्ट्र में कितने नलकूप लगाने का है; और

(ख) वे कहां लगाये जायेंगे और उसके लिये १९६३-६४ में कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) महाराष्ट्र में नलकूप बनाने का आजकल केन्द्रीय सरकार का अपना कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, महाराष्ट्र सरकार खोज नलकूप संगठन से २१ उत्पादन नलकूप बनवाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

(ख) पूर्वी खानदेश के जिले में, निम्न स्थानों पर :—

स्थानों के नाम	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या
राजोरा क्षेत्र	८
कोरपावली भावल क्षेत्र	४
सबरा क्षेत्र	४
मरानद और चावल क्षेत्र में रहेगा	५
	२१

†मूल अंग्रेजी में

इन २१ नलकूपों के निर्माण पर कुल लगभग ७·१२ लाख रु० व्यय होंगे। इस प्राक्कलन में पम्पों के लगाये जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। इन की व्यवस्था स्वयं राज्य सरकार करेंगी।

महाराष्ट्र में कृषि का विकास

†१९९३. **श्री दे० शि० पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अब तक कितना ऋण कृषि विकास तथा अनुदान महाराष्ट्र सरकार को दिये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** कृषि विकास योजनाओं के लिये महाराष्ट्र सरकार को १९६१-६२ और १९६२-६३ में दी गई तथा १९६३-६४ में आवंटित की गई केन्द्रीय सहायता के आंकड़े दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० १७४९/६३]

श्रम निरीक्षक

†१९९४. **श्री बाल्मीकि :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य श्रम आयुक्त की व्यवस्था में श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) भारतीय रेलवे अधिनियम और मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अन्तर्गत मजूरी भुगतान (रेलवे) नियमों को लागू करने के उद्देश्य से रेलवे संस्थानों का निरीक्षण करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संबंधित विनियमों / नियमों के अन्तर्गत कोई संवैधानिक शक्ति के बिना ही वे निरीक्षण कार्य कर रहे हैं।

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख) हां, श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय), जो अपेक्षतया कनिष्ठ अधिकारी हैं, ऐसे निरीक्षक प्रादेशिक मेल-जोल अधिकारियों तथा प्रादेशिक श्रम आयुक्तों की ओर से या उनके आदेश पर, जिन्हें आवश्यक अधिकार दिया गया है ऐसे निरीक्षण करते हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवा

†१९९५. **श्री पू० चं० देवभंज :** क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन कलकत्ता-भुवनेश्वर वायु-सेना को विशाखापटनम तक बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से और इस सेवा पर किस प्रकार के वायुयान का प्रयोग किया जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख) १५ अक्तूबर, १९६३ से आरम्भ होने वाले शरद-कार्यक्रम १९६३-६४ के अन्तर्गत एक "फोकर फ्रैन्डशिप" वायुयान का प्रयोग करते हुए कलकत्ता-भुवनेश्वर वायु सेवा को विशाखापटनम तक चालू करने की कारपोरेशन की योजना थी। तथापि ११ सितम्बर, १९६३ को आगरा के निकट एक "वाईकाउन्ट" विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से संभव है कि कारपोरेशन को इस संबंध में पुनर्विचार करना पड़े।

---

† ल अंग्रेजी में

तम्बारम विल्लुपुरम रेलवे लाइन

†१९९६. **श्री थेन गौंडर** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तम्बारम्म-विल्लुपुरम लाइन पर बिजली लगाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह कार्य कब पूरा होगा, और

(ग) अब तक इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

१. सिविल इंजीनियरिंग संबंधी कार्य जैसे आवर्तक स्टेशन के लिये इमारत और क्वार्टरों का निर्माण, पुलों के व्यावात हटाना, आदि लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कर्मशाला सुविधाओं का और 'रिमोट कन्ट्रोल सैन्टर' (दूरस्थ नियन्त्रण केन्द्र) की इमारत का निर्माण कार्य जारी है।

२. २५ किलोवाट के ऊपरी उपस्कर देने और उसे लगाने का ठेका दे दिया गया है और काम जारी है।

३. सिगनल और दूर संचार संबंधी हेर-फेर का १५ प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है।

४. १८ बिजली से चलने वाले इंजनों के लिये क्रयादेश दे दिया गया है :

(५) मद्रास राज्य विद्युत् बोर्ड के साथ विद्युत् के संभरण की व्यवस्था का सारा ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। मैदान में लगाये जाने वाले उपकरणों की इमारतों और नींव के निर्माण का कार्य चल रहा है मेसर्स हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल को छः ट्रान्सफार्मर उपकरणों के विषय में क्रयादेश दे दिया गया है।

६. डाक तथा तार विभाग ने रायपुरम से मैलम तक १३७ किलो मीटर की दूरी तक भूमिगत तार बिछा दिये हैं।

(ख) आशा है कि इस भाग पर १९६४ की दूसरी छमाही तक कार्य आरम्भ हो जायेगा, यदि बिजली के इंजिन उपलब्ध हो गये जिनके लिये पहले ही क्रयादेश दिया जा चुका है।

(ग) ३१-८-१९६३ तक ८५ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

व्यावसायिक विज्ञापन

†१९९७. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में विभिन्न रेलवे को व्यावसायिक विज्ञापनों से, क्षेत्र-वार, कितनी आय हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि समय सारणियों से प्राप्त होने वाली आय कम हो गई है और प्रदर्शन-कोष्ठों (शोकेसों) से आय निरन्तर बढ़ रही है

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें०वें०रामस्वामी)** : (क) आय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

रेलवे	१९६२—६३ रुपये
उत्तरी	८,८६,२९४
मध्य	५,२६,२२७
पश्चिम	६,१६,९३९
दक्षिण	५.५८,८३३
पूर्वोत्तर	१,१०,९४९
पूर्वोत्तर सीमा	५५,४६५
दक्षिण-पूर्व	१,६२,३१२
पूर्व	२,७४,५५८
योग	३१,९१,५७७

(ख) हां ।

(ग) समय सारिणी विज्ञापनों से होने वाली आय में थोड़ी ही कमी हुई है (गत वर्ष की तुलना में १९६२–६३ में १२७१ रुपये की कमी), क्योंकि विज्ञापन दाताओं ने अन्य माध्यमों के प्रति अधिक रुचि दिखाई थी और विज्ञापन के लिये रखे जाने वाले पृष्ठों की संख्या में कमी कर दी गई थी । प्रदर्शन कक्षों से प्राप्त आय में वृद्धि का कारण इस माध्यम की बढ़ती हुई लोकप्रियता है :

सामुदायिक विकास विभागों पर किया जाने वाला व्यय

†**१९९८. श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास विभागों की स्थापना पर कितना व्यय किया जायेगा तथा तीसरी योजना में कुल कितना व्यय किया जायेगा;

(ख) प्रत्येक राज्य पर किये जाने वाले कुल व्यय से इन विभागों की स्थापना पर किये जाने वाले व्यय की क्या प्रतिशतता है; और

(ग) प्रत्येक राज्य में १९६०-६१ और १९६१-६२ में कुल व्यय के और इन विभागों की स्थापना के व्यय के वास्तविक आंकड़े क्या हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है, जिसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी क्षेत्र के लक्ष्य

†१९९९. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१, १९६१-६२ और १९६२-६३ में प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र में लक्ष्य से ब्यौरेवार कितनी कमी रही है और इसके कारण क्या हैं; और

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक सहकारी क्षेत्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई भी कमी नहीं रहेगी ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)**: (क) और (ख). सहकारी क्षेत्र के लक्ष्यों में कमी का ब्यौरा विवरण संख्या १ में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७५०/६३]** । सहकारी कृषि समितियों और उपभोक्ता सहकारी समितियों के अतिरिक्त १९६२-६३ में प्राप्त की गई अन्य सफलताओं के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

इस कमी के प्रमुख कारण और इस सम्बन्ध में किये गये उपचारीय उपाय विवरण संख्या २ में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७५०/६३]**

उपभोक्ता सहकारी समितियां

†२०००. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सहकारी समितियां किसी राज्य में मूल्य-रेखा को स्थिर रखने में सफल हुई हैं, और यदि हां, तो किस राज्य अथवा किन राज्यों में और किस प्रकार से;

(ख) विभिन्न राज्यों को सहकारी स्टोरों के विकास और कार्य-संचालन के लिये किस आधार पर राशि आवंटित की गई और १९६३-६४ में राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) किन-किन राज्यों ने पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से आवंटित राशि का उपभोग नहीं किया और उसके कारण क्या हैं; और

(घ) इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) आंध्र प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रदेश, केरल और पंजाब से प्राप्त प्रतिवेदनों से पता चलता है कि उपभोक्ता सहकारी समितियां कुछ सीमा तक मूल्य-वृद्धि को रोकने में सफल हुई हैं। प्रतिवेदन में कहा गया है कि जिन उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय इन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता था उनका मूल्य बाजार भाव से कम था ।

(ख) योजना के अनुसार ५०,००० जन संख्या के २५० छोटे और बड़े शहरों में २०० थोक व्यापार के स्टोर और ४००० प्राथमिक इकाइयां स्थापित की जायेंगी। प्रत्येक राज्य के लिये निर्धारित थोक और प्राथमिक यूनिटों की संख्या इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले छोटे और बड़े शहरों की संख्या से सम्बन्धित है। संलग्न विवरण में राज्य वार निर्धारण दिखलाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७५१/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समस्त राज्यों में १९६२-६३ में कार्य आरम्भ कर दिया गया था। १९६३-६४ के लिये कार्य हो रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उच्च उड्डयन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कालेज

†२००१. **श्री बृजराज सिंह (कोटा)** : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दौर में एक उच्च उड्डयन विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कालेज की स्थापना की जानी है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). प्रतिरक्षा मंत्रालय उड्डयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिये एक केन्द्र खोलने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस प्रयोजन के लिये बनाई गई एक तदर्थ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। सरकार द्वारा विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिये जाने के बाद ही इस बात के विषय में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा कि यह केन्द्र इन्दौर में खोला जाये अथवा अन्यत्र कहीं।

वनों का विकास

†२००२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्वतों का कटाव रोकने और इस प्रकार लगातार बढ़ती हुई बाढ़ों से देश को बचाने के लिये हिमालय की सीमा पर स्थित वनों का विकास करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख). पर्वतों का कटाव रोकने के लिये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर की सीमान्त राज्यों में विभिन्न वन-रोपण कार्यक्रम आरम्भ किये जा रहे हैं। नीचे दिये हुए क्षेत्रों में भूमि परिरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत वन-रोपण करने का विचार है :

राज्य	केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें	राज्य द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें
	(एकड़ों में)	(एकड़ों में)
पंजाब	१८,२५०	४,९०० (२५० मील लम्बी रक्षा-पट्टी भी)
हिमाचल प्रदेश	१९,३६०	३६,९२०
उत्तर प्रदेश	२,५००	४३,०००
जम्मू तथा काश्मीर	८,०५०	७२,०००

†मूल अंग्रेजी में

इस के अतिरिक्त, वन विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत और अन्य योजनाओं जैसे लाभप्रद बागान, जल्दी बढ़ने वाले पौधों के बागान, सूखे हुए वनों में फिर से वृक्ष लगाना और चरागाहों का विकास—के अन्तर्गत भी पौध लगाई जा रही है। विशेष रूप से भूमि के कटाव को रोकने के लिये जिस क्षेत्र में कार्य किया जायेगा उसके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के इंजीनियरिंग सुपरवाइजर

†२००३. **श्री महानन्द :**
श्री कोहोर :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष पांच वर्ष की सेवा-अवधि पूर्ण कर लेने वाले डाक और तार विभाग के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों को, इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की पदाली में उन की नियुक्ति किये जाने के वर्ष से अनपेक्ष, इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की टेलीग्राफ इंजीनियरिंग तथा वायरलेस सेवा श्रेणी २ के लिये पदवृद्धि किये जाने के प्रयोजन के लिये की गई परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के कर्मचारियों को आगामी टेलीग्राफ इंजीनियरिंग तथा वायरलेस सेवा, श्रेणी २ के प्रयोजन के लिये की जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिये उसी प्रकार अधिमान दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) हां।

(ख) नहीं ।

(ग) सेवा की न्यूनतम अवधि के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती।

बड़गरा में लाइटहाउस

†२००४. **श्री प्र० व० राघवन** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बड़गरा में पायर और लाइटहाउस* के निर्माण की दिशा में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये १९६३–६४ में कितनी रकम मंजूर की गई है ; और

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ।

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). वृहद् पत्तनों के अतिरिक्त अन्य पत्तनों के विकास की क्रियान्विति करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार में निहित है। राज्य की तीसरी योजना में बड़गरा पत्तन में पायर और लाइटहाउस* के निर्माण के लिये केरल सरकार ने ६.०५ लाख रुपये का उपबन्ध किया है और ये दोनों काम १९६३-६४ के निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ये दोनों योजनाएं तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में पूरे होने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*Pier and lighthouse

केरल में पब्लिक कॉल आफिस और टेलीफोन एक्सचेंज

†२००५. **श्री प्र० वं० राघवन** : क्या **डाक और तार** मंत्री केरल में टेलीफोन एक्सचेंज और पब्लिक कॉल आफिस के बारे में ६ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब पब्लिक काल आफिस और टेलीफोन एक्सचेंज के लिये स्टोर्स उपलब्ध हो गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो जिन एक्सचेंज और पब्लिक काल आफिस के लिए स्टोर्स अब तक उपलब्ध हो गये हैं उन के नाम क्या हैं ; और

(ग) शेष योजनाएं कब प्रारम्भ की जायेंगी ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) १. कोडाकरा एक्सचेंज

२. कोलनगोड एक्सचेंज

३. काकोडी पी० सी० ओ०

४. कावलन पी० सी० ओ०

५. कनकाचल पी० सी० ओ०

६. मीनागापल्ली पी० सी० ओ०

७. ओलयापुरम पी० सी० ओ०

८. पाडुपुरम पी० सी० ओ०

९. पिझाकु पी० सी० ओ०

(ग) ज्यों ही स्टोर्स प्राप्त हो जायेंगे ।

केरल में आदर्श फलोद्यान

†२००६. **श्री प्र० व० राघवन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में केरल के सब नौ जिलों में आदर्श फलोद्यान लगाने के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी रकम स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के स्पष्टीकरण के कारण ही इस की प्रगति धीमी रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में आदर्श फलोद्यान लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई रकम मंजूर नहीं की गई है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमेठी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल

†२००८. **श्री रणञ्जय सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में अमेठी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल (ओवर ब्रिज) निर्माण करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह परियोजना कब तक पूरी होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). विद्यमान सिगनल व्यवस्था में परिवर्तन कर देने के पश्चात् कब यात्री गाड़ियां मुख्य प्लेटफार्म पर आने लगेंगी ; अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमेठी में पैदल ऊपरी पुल (फुट ओवर ब्रिज) का निर्माण अब आवश्यक नहीं रहा है ।

अमेठी में आवश्यकता की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन पर सिगनल का काम पहले हाथ में ले कर मार्च, १९६४ में पूरा कर दिया जायेगा ।

दिल्ली का चिड़िया घर

२००९. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के चिड़ियाघर का बहुत बड़ा भाग बरसात के दिनों में पानी के निकलने की उचित व्यवस्था न होने के कारण झील का रूप धारण कर लेता है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) चिड़ियाघर से पानी को निकालने के लिये समुचित व्यवस्था और प्रतिरोधात्मक उपाय कब तक कर लिये जायेंगे ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यह ठीक है कि भारी वर्षा के समय अपर्याप्त जलनिकास व्यवस्था तथा यमुना में जल स्तर के बढ़ जाने के कारण दिल्ली चिड़ियाघर की लगभग ५०–६० एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है ।

(ख) और (ग). एक अस्थायी कदम के तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा सेना अधिकारियों से पम्प प्राप्त किये जाते हैं और उन की सहायता से बाढ़ के कारण चिड़ियाघर के निचान वाले भागों में भरे पानी को निकाल दिया जाता है । परन्तु इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए निम्न कदम उठाये जा रहे हैं :—

(१) स्थायी जल निकास की व्यवस्था के लिए, जिस में पम्प-जलप्रणाली तथा बान्ध भी शामिल हैं, लगभग ६,६८,३०० रुपये की लागत की एक परियोजना स्वीकार की गई है और इसे कार्यरूप दिया जा रहा है ।

(२) उपरोक्त भाग (१) में उल्लिखित परियोजना के अतिरिक्त ऐसा प्रस्ताव है कि चिड़ियाघर के निचान वाले क्षेत्र की ८–१० एकड़ भूमि में एक झील बनाई जाये तथा बाकी दूसरे निचान वाले क्षेत्र को अच्छी मिट्टी तथा नई दिल्ली नगर

---

†मूल अंग्रेजी में

पालिका और दिल्ली नगर निगम से मल्बा तथा कूड़ा-करकट ले कर भर दिया जाये। इस योजना के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्रारम्भिक अनुमान तैयार कर रहा है। आशा है कि बाढ़ रोकने के लिए ये स्थायी प्रबन्ध मार्च, १९६५ तक पूरे हो जायेंगे ।

राजघाट, दिल्ली के समीप नया पुल

†२०१०. { **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की यातायात संबंधी कठिनाइयों को हल करने के लिये यमुना के ऊपर दिल्ली में राजघाट के समीप एक नवीन पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी, हां। दिल्ली प्रशासन दिल्ली की वृहद् योजना में निर्दिष्ट राजघाट के समीप यमुना पर सड़क का एक पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव प्रारम्भिक रूप में विचाराधीन है। केन्द्रीय जल अनुसंधान केन्द्र पूशा को कहा गया है कि वह प्रस्ताव का नमूने का अध्ययन करे।

होटल स्थान

†२०११. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में होटल स्थान पर्यटक यातायात की कुल मांग के एक तिहाई से भी कम है ;

(ख) क्या होटलों का वर्गीकरण पूरा हो चुका है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह काम कब पूरा हो जायगा और पर्यटक यातायात की मौसमी मांग को पूरा करने के लिये क्या तत्काल कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) देश में स्वीकार्य स्तर का वर्तमान होटल स्थान लगभग ७५०० कमरे हैं। वर्तमान तथा १९६८ तक के आगामी पांच वर्षों की अवधि के लिए हमारे पर्यटक यातायात की आवश्यकता को देखते हुए, अनुमान लगाया गया है कि हमारी होटल क्षमता में लगभग ५००० कमरों की कमी है। तुरन्त अतिरिक्त आवश्यकता ३००० कमरों की है, जिन में से ७०० कमरे बनाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). होटल वर्गीकरण समिति का काम ३१-८-६३ को पूरा हुआ था और सरकार को वह प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। समिति की सिफारिशों के सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है किन्तु अभी कोई निर्णय नहीं किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बंगाल फ्लाइंग क्लब

†२०१२. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित बंगाल फ्लाइंग क्लब अपने अन्दरूनी झगड़ों को सुलझाने में सफल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि आन्तरिक झगड़ों के कारण क्लब का काम प्राय: बन्द हो गया है ;

(ग) क्या सरकार ने क्लब को आपातकालीन कमीशन के लिए वायुबल के लिये लोगों को प्रशिक्षण देने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदान वापिस लिये जा रहे हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन):** (क) जी, नहीं। वास्तव में ऐसा बता गया है कि क्लब के कुछ सदस्यों ने प्रबन्ध समिति के विरुद्ध मुकद्दमा कर दिया है।

(ख) यह सच है कि क्लब की उड्डयन संबंधी कार्रवाईयां १५ मई, १९६३ से बन्द हैं।

(ग) क्लब की ओर से वायुबल के विमान चालकों को प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी। अत:, अनुमति देने से इनकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) क्लब को केन्द्रीय सरकार ने १९६३-६४ में कोई अनुदान नहीं दिया।

वैगनों का बुकिंग

†२०१३. **श्रीमती सावित्री देवी :**
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या रेलवे मंत्री १९ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो महीनों में वैगनों की बुकिंग के लिये बकाया प्रतिबंधों को कम करने के लिये क्या प्रगति की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** भारतीय रेलव पर बकाया प्रतिबंध जून, १९६३ की तुलना में पिछले दो महीनों में कम किया गया है। अवशिष्ट में हुई कमी के आंकड़े नीचे दर्शाये जाते हैं :—

	बकाया पंजीयन	
	ब्राड गेज	मीटर गेज
३० जून, १९६३	४९०७३	४१८१७
३१ जुलाई, १९६३	३१०६०	२८०५९
३१ अगस्त, १९६३	१४३७५	१४३५६

†मूल अंग्रेजी में

गन्ने की कीमत का भुगतान

†२०१४. { **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ फरवरी, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का कितना भुगतान किया गया; और

(ख) अभी कितनी राशि देनी शेष है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) १६६१–६२ में दिये गये गन्ने के सम्बन्ध में जून, जुलाई और अगस्त, १६६३ में ११ लाख रुपये ।

(ख) २१ लाख रुपये ।

सहकारी विधियों का संशोधन

†२०१५. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, अन्दमान, निकोबार और त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित सहकारी विधियों में संशोधन करने के लिये कोई कार्रवाई की गई है; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों की किसी सहकारी संस्था ने वर्तमान अधिनियमों में कोई सुधार करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी, हां । सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं । भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

विवरण

बम्बई सहकारी संस्था अधिनियम के स्थान पर, जो इस समय दिल्ली राज्य क्षेत्र पर लागू है, पंजाब सहकारी संस्था अधिनियम, १६६१ को, कुछ परिवर्तनों के साथ लागू करने का विचार है ।

हिमाचल प्रदेश के बारे में, मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, १६५६ में संशोधन करने के लिये राज्य सरकार को कुछ सुझाव भेजे हैं ।

अन्दमान और निकोबार के बारे में प्रशासन को, वहां इस समय लागू सहकारी संस्था अधिनियम १६६२ को बदलने के लिये राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किये जाने वाला प्रारूप विनियम तैयार करने को कहा गया है ।

त्रिपुरा के बारे में, बम्बई सहकारी संस्था, १६२५ की जांच, जो वहां लागू है, पिछले प्रशासन द्वारा की गई है, जिसने यह अनुभव किया कि आवश्यक अतिरिक्त उपबंध संविहित नियमों में कर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रति एकड़ उपज

†२०१६. **श्री वैं० तेवर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में थंगावूर ज़िला, मद्रास राज्य में पैकेज तथा गैर-पैकेज योजनाओं के अन्तर्गत भूमि से प्रति एकड़ कितनी उपज हुई है;

(ख) उपरोक्त अवधि में पैकेज योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रति एकड़ कितना व्यय ब्यौरेवार हुआ; और

(घ) क्या पैकेज योजना के अन्तर्गत पशु धन चरने वाले खेतों और पशुओं के शैडों में उन्नति की दिशा में कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** (क) सघन कृषि ज़िला कार्यक्रम के अन्तर्गत, फसलों की उपज समूचे ज़िले के लिये फसल कटाई प्रयोगों से निर्धारित की जाती है। १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में थंगावूर ज़िला में चावल की औसत उपज इस प्रकार थी :

फसल	चावल की औसत उपज@ (प्रति हैक्टयर क्विंटलों में)		
	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३*
१. कुरुवई .	१६.२	१६.७	१७.४
२. सम्बा . .	१५.१	१७.६	१५.५
३. कुरुवई सम्बा (पहली फसल)	१५.२	१७.०	१५.९
४. थल्लाडी (दूसरी फसल) . .	१४.४	१७.०	**

@ २,४७१ एकड़

* १९६१–६२ में फसल-कटाई प्रयोग २६ खंडों में किये गये थे, जो प्रारम्भ में कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवेदित थे जब कि १९६२–६३ में वे ज़िले के सभी ३६ खंडों में किये गये।

** पूर्ण आंकड़े अभी प्राप्त नहीं हुए।

१९६२–६३ में १९६१–६२ की तुलना में सम्बा और कुरुवई सम्बा की उपज में थोड़ी कमी बुरा मौसम होने के कारण थी।

सघन कृषि जिला कार्यक्रम के परिणामों को, अधिक उपज के रूप में, समूचे ज़िले की कुल उपज दर पर इस के प्रभाव के आधार पर देखा जा रहा है। तथापि १९६१–६२ के लिये उपज के तुलनात्मक आंकड़े उन किसानों के खेतों के बारे में ही उपलब्ध हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में भाग

†मूल अंग्रेजी में

लिया था और जो इस में शामिल नहीं हुए थे, जो इस प्रकार हैं :—

फसल	चावल की औसत उपज प्रति हैक्टयर क्विंटलों में	
	भाग लेने वाले	भाग न लेने वाले
१. कुरुवई	१८.२	१५.७
२. सम्बा	१९.३	१६.९
३. थालाड़ी	१८.९	१५.९

(ख) सघन कृषि जिला कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये थंगावूर में १९६१–६२ में केन्द्रीय सहायता ७.०५ लाख रुपये की और १९६२–६३ में १३.८८ लाख रुपये की दी गई ।

(ग) प्रति एकड़ व्यौरेवार वास्तविक व्यय के आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(घ) सघन कृषि जिला कार्यक्रम के बजट में इन कामों के लिये कोई विशिष्ट नियतन नहीं होते ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†२०१७. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती विमला देवी :
श्री जेना :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद् ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे छोटी-छोटी देशी नौकाओं के संचालनों की सहकारी समितियां बना कर यथासंभव शीघ्र बड़ी यंत्रचालित नौकायें अपना लें ;

(ख) क्या सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवाओं के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या बिहार राज्य सरकार ने गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड द्वारा संगठित सेवाओं का नियंत्रण उन्हें स्थानान्तरित करने के लिये केन्द्र से अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†मूल अंग्रजी में

(घ) और (ङ). गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड गंगा नदी में प्रयोगात्मक आधार पर पुश-टौ सर्विस[1] चला रहा है। बिहार सरकार का प्रस्ताव है कि बोर्ड की नावों की सहायता से वाणिज्यिक जल परिवहन सेवा का उपबंध किया जाये। इस सम्बन्ध में बिहार सरकार की प्रतिक्रिया मालूम की जा रही है कि जल यातायात में समृद्ध इस क्षत्र में सड़क परिवहन में किये गये सुधारों का क्या संभात प्रभाव हुआ है ।

तूफान की पूर्व सूचना देने वाली व्यस्वथा

†२०१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व में तूफान की पूर्व सूचना देने वाली उत्तम प्रणाली की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी लागत होगी ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** :(क) और (ख). भारत ऋतु विज्ञान विभाग की तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के एक भाग के रूप में कलकत्ता, गौहाटी और अगरतला में तूफान की सूचना देने वाले अनेक राडर स्थापित कर दिये गये हैं। उत्तर-पूर्व भारत में, मार्च से मई महीनों के दौरान जमीन से उठने वाले तूफानों का पता लगाने में यह राडर सहायक होंगे । दो राडर और स्थापित करने का विचार है—एक मोहनबाड़ी में और दूसरा किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर। अब तक स्थापित किये गये राडरों की लागत ५.२७ लाख रुपये है। भविष्य में लगाये जाने वाले राडरों की लागत लगभग १.८४ लाख रुपये होगी ।

दक्षिण-पूर्व रेलवे पर मचदा में रेलवे सुरक्षा बल[2]

†२०१९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलव पर मचदा में एक स्थायी रेलवे सुरक्षा दल तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) क्या यह सच है कि वहां रेलवे सुरक्षा दल तैनात करने के पश्चात्, भी यदा कदा मालगाड़ियों से चोरी होती रहती है;

(घ) क्या इस स्थान से समय समय पर रिपोर्ट मांगी जाती है; और

(ङ) इस स्थिति का सामना करने के लिये अन्य क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) मार्च, १९५६ से ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वर्तमान प्रबंध सर्वथा उपयुक्त है ।

---

†मल अंग्रजी में

[1]Push-tow service

[2]Railway Protection Force.

वन सर्वेक्षण

†२०२०. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका ।

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की शासकीय परिषद् ने भारतीय वन सर्वेक्षण परियोजना के लिये ८८५,१०० पौंड की मंजूरी दी है ।

(ख) यदि हां, तो परियोजना की कुल लागत कितनी है ; और उस में भारत का भाग कितना है; और

(ग) परियोजना के ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की शासकीय परिषद् ८८५,१०० डालर (पौंड नहीं) के मूल्य की सहायता देने के लिये सहमत हो गई है ।

(ख) १३६.५८५ लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से भारत का भाग ९७.४९५ रुपये का होने की आशा है। संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से कार्य की योजना प्राप्त होने पर इस धनराशि का ठीक ठीक हिसाब लगाया जायेगा ।

(ग) योजना के ब्यौरे अभी तैयार किये जाने हैं और संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि के प्राधिकारियों से कार्य की योजना प्राप्त होने पर इन को अन्तिम रूप दिया जायेगा। परियोजना का मुख्य उद्देश्य लगभग ३½ वर्षों में १३६.५८५ रुपये की अनुमानित लागत पर पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और मैसूर राज्यों में (लगभग ११,५०० वर्ग मीलों के) उन चुने हुए क्षेत्रों में सर्वेक्षण करना है जो कि अधिक संभाव्यता वाले समझे जाते हैं। सर्वेक्षण से यह पता चलेगा कि इन क्षेत्रों से इमारती लकड़ी निकालने के कितने संसाधन उपलब्ध हैं। सर्वेक्षण नवीनतम ढंगों के अनुसार किया जायेगा और इसमें हवाई जहाज से फोटोग्राफी भी की जायेगी। सर्वेक्षण विदेशी विशेषज्ञों की सहायता से तथा भारतीय सर्वेक्षण संस्था उद्योग मंत्रालय और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के सहयोग में किये जायेंगे ।

सर्वेक्षण का उद्देश्य यह है कि वनों में कच्चे माल की उपलब्धि और वितरण के सम्बन्ध में तथा ऐसे कच्चे माल के औद्योगिक उपयोग के लिये अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी जाये। यह इन बनों के पूर्ण विकास, उन के उत्पादन स्तरों, के लिये अपेक्षित उपायों पर प्रकाश डालेगा, जिससे कि लकड़ी पर आधारित उद्योगों की निरन्तर सम्भरण सुनिश्चित हो जाये। परियोजना के अन्तर्गत आरम्भ की गई कार्यवाहियां बाद के योजना कालों में भी जारी रहेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली परिवहन विभाग कार्यालय

†२०२१. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १२ जून, १९६३ के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'परिवहन कार्यालय में बहुत सी भयावह बातें' शीर्षक के अधीन छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच पड़ताल कर ली है और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) समाचार पत्र में जो अनेक प्रश्न उठाये गये थे उन की जांच कर ली गई है और इस संबंध में दिल्ली प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

(१) क्योंकि कुछ विद्यमान कठिनाइयां पर्याप्त तथा उपयुक्त स्थान की कमी के कारण उठती हैं, अतः हार्डिंग पुल के निकट जो कि मध्य में स्थित है एक नया भवन निर्माण करने का निश्चय किया गया है । जिस में कि परिवहन निदेशक, दिल्ली के कार्यालय को रखा जायेगा ।

(२) फाइलों की उचित व्यवस्था तथा मामलों की शीघ्रतापूर्वक निबटाने के कार्य को सुनिश्चित कर के लिये कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ।

(३) परिवहन निदेशक के कार्यालय में एक शिकायत पेटिका रख दी गई है जिस से कि कठिनाई और उत्पीड़न के मामलों में जनता प्रशासन का ध्यान दिला सके ।

निदेशालय के अनेक विभागों में सूचनायें भी सूचना-पटलों पर लगा दी गई हैं । जिन में लोगों को यह सलाह दी गई है कि यदि वे कोई कठिनाई अनुभव करें तो निदेशक से व्यक्तिगत रूप से मिल लें ।

कृषि मंत्रियों का सम्मेलन

†२०२२. **श्री पें० वैंकटासुब्बया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के कृषि और सामुदायिक विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में बुलाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यावलि के मुख्य विषय क्या थे और क्या निर्णय लिये थे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** :(क) राज्यों के कृषि और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज मंत्रियों का एक संयुक्त सम्मेलन २ और ३ अगस्त, १९६३ को नई दिल्ली में हुआ था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कार्यावलि और संयुक्त सम्मेलन की कार्यवाही की प्रतिलिपियां सदस्यों के उपयोग के लिये संसद् पुस्तकालय म रख दी गई हैं ।

गोदावरी पर रेल का पुल

†२०२३. **श्री कोल्ला वेंकैया :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धवलाश्वरम में गोदाबरी नदी के ऊपर रेल का पुल बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या धवलाश्वरम में केवल रेल के पुल के स्थान पर सड़क और रेल दोनों का पुल बनाने के लिये या तो आंध्र प्रदेश सरकार से अथवा आंध्र प्रदेश की जनता से सरकार को इस वर्ष कोई सुझाव मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) कोव्वुर और गोदाबरी के बीच रेलवे लाइन को दुहरा करने के सम्बंध में, राजमुंद्री के निकट गोदावरी नदी के ऊपर एक पुल की व्यवस्था की जा रही है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, रेल तथा सड़क पुल की व्यवस्था करने में जो अतिरिक्त व्यय होता है वह उस संस्था को देना होता है जो कि सड़क की सुविधा चाहती है । आंध्र प्रदेश सरकार को यह सूचित कर दिया गया है कि राजमुंद्री में प्रस्तावित रेल के पुल पर केवल हल्के यातायात के लिये एक इकहरी सड़क पाटने की व्यवस्था करने में लगभग १ ५ करोड़ रुपये की लागत लगेगी, और यदि वे इस खर्च को वहन करने के लिये सहमत हों तो सड़क पाटने की व्यवस्था की जा सकती है । राज्य सरकार अभी तक इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रगतिशील क्षेत्रों से पिछड़े हुये क्षेत्रों को कृषकों का प्रव्रजन

†२०२४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री बाल कृष्ण वासनिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिये प्रगतिशील क्षेत्रों के कृषकों को पिछड़े हुए राज्यों में प्रव्रजन करने के हेतु प्रेरित करने के लिये सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(ख) क्या इस प्रकार की योजना के लिये कोई प्रोत्साहन है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) सरकार ने ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है । । तथापि, २ और ३ अगस्त, १९६३ को हुए राज्य के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश स्वीकार की गई थी कि "राज्य सरकारें प्रगतिशील कृषकों को नये बसाये गये और अन्य ऐसे क्षेत्रों में बसने के हेतु देश के एक भाग से दूसरे भाग को प्रव्रजन करने के लिये प्रोत्साहित करने को कदम उठायें ।" यह सिफारिश सभी राज्य सरकारों को उन के विचारार्थ और क्रियान्विति के लिये भेज दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाना

†२०२५. **श्री प्र० क० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से दो वर्ष पूर्व यह कहा था कि वे सुधरे हुए कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने की योजना के व्यय का २५ प्रतिशत भाग दें,

(ख) यदि हां, तो किन किन राज्यों ने योजना में सहयोग दिया है;

(ग) अब तक क्या परिणाम निकला हैं; और

(घ) इस योजना के लिये केन्द्र ने कितना रुपया दिया है और इनमें से किन किन राज्यों को दिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) सुधरे हुए कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने की एक आदर्श योजना २ नवम्बर, १९६१ को केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परिचालित की थी। अर्थ सहायता की दर योजना में नहीं बताई गई थी। राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के प्रतिरूप के अनुसार, जो कि बाद में योजना आयोग ने अगस्त, १९६२ में परिचालित किया था, उपकरणों की कुल लागत और योजना के अन्य व्यय पर २५ प्रशित अर्थ सहायता केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को देय है, अतिरिक्त अर्थ सहायता राज्य सरकारों द्वारा दी जानी है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाने की योजनायें प्रस्तुत की हैं जिनकी इस समय जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों ने भी हलकी योजनायें पेश की हैं जिन में धनाभाव के कारण केवल वितरण का ही पहलू लिया गया है और प्रदर्शन का नहीं। राजस्थान सरकार योजना को प्रारम्भ करने के लिये सहमत है बशर्ते कि उन्हें १०० प्रतिशत अर्थ सहायता केन्द्र द्वारा दी जाये। आसाम और जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकारों ने अभी तक अपनी योजनायें नहीं भेजी हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते। क्योंकि अभी तक योजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे पर्सोनल आफिसर

†२०२६. **डा० रानेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पर्सोनल आफिसर्स की योग्यतायें क्या हैं;

(ख) वे किस प्रकार भरती किये जाते हैं; और

(ग) भरती के पश्चात् उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). पर्सोनल आफिसर्स के पद विभिन्न पदक्रमों में हैं। सहायक पर्सोनल आफिसर्स के स्थान जो कि निम्नतम पदक्रम के हैं सामान्यतया पर्सोनल ब्रान्च के पदोन्नत व्यक्तियों को रख कर भरे जाते हैं। उच्च पद सामान्यतया रेलवेज में अन्य विभागों के तबादला किये गये अधिकारियों को रख कर भरे जाते हैं। अन्य विभागों से तबादला किये हुए अधिकारी सामान्यतया प्रथम श्रणी के अधिकारी होते हैं जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरती किये हुए होते हैं। उनके पास कम से कम योग्यता विश्वविद्यालय की

†मूल अंग्रेजी में

एक डिग्री होती है और जब उन्हें कर्मचारियों सम्बन्धी मामलों को निबटाने तथा रेलवे के कार्य-संचालन में कुछ वर्षों का अनुभव हो जाता है तो वे पर्सोनल पदों पर लगा दिये जाते हैं ।

अ-राजपत्रित श्रेणियों के पदोन्नत व्यक्तियों के लिये कोई शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें निर्धारित नहीं की गई हैं ।

(ग) आरम्भिक भरती के पश्चात् सीधे ही भरती किये गये अधिकारियों की सम्बन्धित विभागों में एक अथवा दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है । इस प्रशिक्षण में कर्मचारीवर्ग से संबंधित कार्य में प्रशिक्षण सम्मिलित है ।

भारतीय वन अधिनियम, १६२७ में संशोधन

†२०२७. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २ मार्च, १६६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय वन अधिनियम, १६२७ में संशोधन करने के लिये राज्य सरकारों की राय जानने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : अनेक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त हुए उत्तरों पर केन्द्रीय वन बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा ११ और १२ जन, १६६३ को श्रीनगर में हुई उस की बैठक में विचार किया गया था और उसने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न की जांच करने के लिये एक उप-समिति की स्थापना की सिफारिश की थी । भारत सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और पश्चिम बंगाल के वन मंत्री के सभापतित्व में एक उप-समिति गठित कर दी है । अक्टूबर, १६६३ में किसी समय उस की बैठक होने की सम्भावना है ।

वेंडर स्टाल्स[1]

†२०२८. **श्री हेम राज** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थोड़ी लागत पर वेंडर स्टाल्स (दुकानें) बनाने के लिये रेलवे विभाग द्वारा कोई डिजाइन तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिमाप तथा अनुमानित लागत क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १७५२/६३**] । तथापि, लागत विभिन्न स्थानों के लिये उपयुक्त भवनों की लागत सूची के अनुसार भिन्न भिन्न हैं ।

डाक और तार कर्मचारी

†२०२९. क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में डाक तथा तार विभाग के प्रत्येक मण्डल में प्रशासनिक कार्यालयों में कार्य करने वाले कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों के लिये पदोन्नति दी गई है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Vendor stalls

डाक और तार विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क

†२०३०. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग के उन लोअर डिवीजन क्लर्कों को, जिन्होंने न्यूनतम वर्षों तक संतोषजनक कार्य किया है, बिना परीक्षा के ही अपर डिवीजन क्लर्कों के रूप में पदोन्नत कर दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में विभिन्न डाक और तार मण्डलों में इस प्रकार पदोन्नत किये गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)**: (क) जी, हां । उन के लिये निर्धारित अभ्यंश (कोटा) में रिक्त स्थान होने पर ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ क्षेत्र की रेल व्यवस्था

२०३१. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोआ क्षेत्र की रेल व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है या कोई परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

(ग) क्या अब भारतीय रेलवे स्टेशनों के लिये गोआ क्षेत्र के सभी स्टशनों से टिकट मिल सकता है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) मई, १९६३ में दक्षिण रेलवे ने गोआ के अन्दर वास्कोडगामा तक रेलवे लाइन का नियंत्रण और परिचालन अपने हाथ में लिया । मार्मुगोआ बन्दरगाह तक बड़ी लाइन बनाने की सम्भावना की जांच के उद्देश्य से मिरज-लोंडा-मार्मुगोआ और हास्पेट-लोंडा मीटर लाइन सेक्शनों को बड़ी लाइन में बदलने के लिए चालू वर्ष में प्रारम्भिक इंजीनियरिंग और यातयात सर्वेक्षण करने का विचार है ।

(ग) जी हां ।

देहरादून और डाकपठार के बीच रलवे लाइन

२०३२. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि देहरादून तथा डाक-पठार के बीच रेलवे लाइन बिछाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को सूचित किया गया है कि तीसरी पंचवर्षी आयोजना में रेलवे ने नई लाइनों के निर्माण के लिए जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें प्रस्तावित लाइन शामिल नहीं है और सीमित वित्तीय साधनों के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के निर्माण की बहुत कम सम्भावना

†मूल अंग्रजी में

है। राज्य-सरकार से यह भी कहा गया है कि चूंकि इस लाइन को मुख्यतः उसकी यमुना हाइड्रो-इलैक्ट्रिक योजनाओं के लिये अपेक्षित बांध की निर्माण-सामग्री ढोने के उद्देश्य से बनाने का विचार है, इसलिए राज्य सरकार इसी प्रायोजना की अनुमानित लागत में निजी साइडिंग के रूप में इस लाइन के लिए आवश्यक व्यवस्था करे और फिर उस आधार पर लाइन बनाने के लिए निश्चित मांग करे। इस सुझाव पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में अब तक कोई सूचना नहीं मिली है।

रेलवे कैन्टीन

२०३३. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक तथा सहकार मंत्रालय ने जो एक अध्ययन दल नियुक्त किया था उस ने अपनी रिपोर्ट में सभी रेलवे कैन्टीनों को ठेकेदारों द्वारा चलाई जाने वाली कैन्टीनों को भी, सहकारी समितियों में बदलने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे मंत्रालय इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि इस समय जो कैन्टीनें विभाग या ठेकेदारों द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको सहकारिता के आधार पर चलाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया जाय और उसे अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाय।

(ख) रेलों में अधिकतर कैंटीनें पहले ही से कर्मचारियों द्वारा सहकारिता के आधार पर चलाई जा रही हैं। ठेकेदारों द्वारा संचालित कैंटीनों को, जिनकी संख्या ३१-३-६२ को ९ थी, अध्ययन दल द्वारा सुझाई गई अवधि में सहकारिता के आधार पर कर्मचारियों के प्रबन्ध में लाने के लिए यथासंभव उपाय किये जायेंगे। विभाग द्वारा संचालित कैंटीनों के सम्बन्ध में, जिन की संख्या ३१-३-६२ को १२ थी, कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

पटसन का उत्पादन

†२०३४. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटसन के उत्पादन के कार्य को एक संयुक्त विकास बोर्ड को सौंपने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितना रुपया रखने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). पटसन विकास बोर्ड स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तदपि, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मीन क्षेत्रों का विकास

†२०३५ : **श्री कोया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीन क्षेत्रों का विकास करने के लिये १९६२-६३ में केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मांगी थी ;

(ख) क्या पूरी धनराशि के लिए मंजूरी दे दी गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या मंजूर की गई धनराशि इस अवधि में ही व्यय कर दी गई थी और यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(घ) क्या केवल गहरे समुद्र में ही मछली पकड़ने के लिये इस धनराशि का एक भाग आवंटित किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

टेलीफोन पर स्त्रियों को तंग करना

२०३६. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा टेलीफोन पर महिलाओं एवं लड़कियों को तंग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके निराकरण के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) शिकायत मिलने पर उस टेलीफोन नम्बर पर देखरेख रखी जाती है । यदि ऐसे काल पाये जाते हैं तो जिस टेलीफोन से वह काल किया जाता है उसका पता लगाया जाता है और भारतीय तार नियमों की धारा ४२७ तथा ४२१ के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

अखिल भारतीय गेंहूं अनुसंधानकर्त्ताओं की गोष्ठी

२०३७. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, १९६३ में दिल्ली में गेहूं अनुसन्धानकर्त्ताओं की गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में गेहूं की पैदावार बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लिये गये; और

(ग) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गोष्ठी में की गई सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १७५३/६३]

†मूल अंग्रेजी में

वेलिंगडन द्वीप में पर्यटक सूचना कार्यालय

†२०३८. **श्री अ० ब० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेलिंगडन द्वीप के पर्यटक सूचना कार्यालय को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकार से परामर्श लिया गया था और यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) से (ग) जनवरी, १९६३ में केरल सरकार से पूछा गया था कि क्या वे कोचीन स्थित पर्यटक कार्यालय के नियंत्रण को अपने हाथों में लेना और उस कार्यालय को अपने पर्यटक संगठन के एक भाग के रूप में चलाना चाहते हैं। राज्य सरकार ने यह उत्तर दिया कि उनका ऐसा करने का विचार नहीं है। मामले पर आगे विचार किया जा रहा है ।

कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान

†२०३९. **श्री प्रिय गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना उगाने वाले कृषकों द्वारा गन्ना कारखानों को दिये गये गन्ने के मूल्य को भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारित करने के लिये सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है;

(ख) क्या पैरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कुछ कारखानों को सम्भरण किये गये गन्ने पर अधिलाभांश इस शर्त पर दिया गया है कि यदि पहले सम्भरण किये गये गन्ने के लिये अधिक मूल्य निर्धारित किया जाता है तो अन्तर का भुगतान कृषकों को कर दिया जायेगा और यदि उसका मूल्य कम निर्धारित किया जाता है तो कृषकों को उन्हें अधिलाभांश के रूप में दिये गये धन को लौटाने के लिये नहीं कहा जायेगा;

(ग) क्या जिन कृषकों ने नेल्लीकुप्पम कारखाने को गन्ना दिया था उनको, या तो उन्हीं अथवा अन्य शर्तों पर, बिल्कुल भी अधिलाभांश नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां; इस प्रयोजन के लिये गन्ना (अतिरिक्त) मूल्य निर्धारण प्राधिकार के नाम से एक प्राधिकार गठित किया गया है।

(ख) जी हां, मैसर्स पैरी एण्ड कम्पनी के दो कारखानों ने इस शर्त पर गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त रुपया दिया था ?

(ग) नेल्लीकुप्पम चीनी कारखाने ने १९५८-५९ के लिये गन्ना उत्पादकों को रु० ३.५० न० पै० प्रति टन की दर से इस शर्त पर अतिरिक्त भुगतान किये थे कि जो रुपया दिया गया है उसका उस रुपये में से समायोजन किया जायेगा जो कि मूल्य समन्वय सूत्र के अन्तर्गत देय होगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुजरात में छोटी लाइन की रेलें[1]

†२०४०. श्री याज्ञनिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की सीमाओं में पड़ने वाली छोटी लाइन की रेलवेज पर चलने वाले रेलों के डिब्बों आदि के कुछ नये रेल के इंजन, डिब्बे और वैगनों की वृद्धि कर दी गई है;

(ख) उक्त रेलवे की कितने मील लम्बी लाइन मीटर लाइन अथवा बड़ी लाइन के रूप में बदली जा रही है ;

(ग) क्या उक्त रेलवेज में जल, विद्युत् प्रकाश अथवा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ सुधार किये गये हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) गत तीन वर्षों में, अर्थात् १९६०-६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में ४४ कोचें और २१८ वैगन बढ़ाये गये हैं। तथापि, इस अवधि में इस लाइन पर एक भी नया इंजन नहीं बढ़ाया गया है ।

(ख) शून्य ।

(ग) जल, विद्युत् प्रकाश तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विद्यमान व्यवस्था को सुधारने की दृष्टि से, गत तीन वर्षों में निम्नलिखित कार्यक्रम बनाये गये हैं / व्यवस्था की गई है :—

१. अट्ठाईस स्टेशनों पर जल सुविधायें । (२३ पर पूरी कर दी गई हैं, २ पर प्रगति कर रही हैं और तीन पर कार्य आरम्भ किया जाना है ।)

२. चौवालीस स्टेशनों पर प्लेटफार्मों का विस्तार, सुधार प्रतिक्षालयों, बैन्चों, जनता की सुविधाओं आदि की व्यवस्था । (३१ स्टेशनों पर कार्य पूरा हो गया है, ९ पर प्रगति कर रहा है और ४ पर आरम्भ किया जाना है ।)

३. दस स्टेशनों का विद्युतीकरण (पूरा हो गया है) ।

४. तीन स्टेशनों पर विद्यमान विद्युत प्रकाश व्यवस्था का सुधार । (२ पर कार्य पूरा हो गया है और १ पर आरम्भ किया जाना है ।)

५. तैंतीस छोटी लाइन के डिब्बों में पंखों की व्यवस्था । (कार्य प्रगति कर रहा है ।

मूंगफली की खेती

†२०४१. श्री उमानाथ : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली की खेती बढ़ाने के लिये हाल में ही कोई विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये सामान्य कार्यों के अतिरिक्त पैकेज प्रोग्राम के समान ही, महाराष्ट्र, मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश के एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Narrow Gauge Railways.

तथा मैसूर में दो इकाइयां मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की योजना भी होंगी। इसके द्वारा १९६२-६३ से चार वर्ष के लिये अनेक बीज, उर्वरक, पौदा संरक्षण उपकरण, सिचाई तथा ऋण सुविधाओं की व्यवस्था १५.१९ लाख रुपये से की गई है जो भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति देगी। योजना का अनावर्तक व्यय जो १.२४ लाख रुपये होगा। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दिया जायेगा। आशा है कि इन इकाइयों से ४० से ५० प्रतिशत तक मूंगफली का अतिरिक्त उत्पादन हो जायेगा।

उपरोक्त आठ इकाइयों के अतिरिक्त १९६३-६४ में ऐसे २६ और इकाइयां, ९ अन्य महत्वपूर्ण मूंगफली उगाने वाले राज्यों ने, बनाने का प्रस्ताव किया है। इन में से १० इकाइयां अब चालू हैं। इन अतिरिक्त यूनिटों पर आवर्तक व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच ५० : ५० प्रतिशत बांट लिया जायेगा।

वर्तमान यूनिटों की क्रियान्वित में राज्यों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में इकाइयों की संख्या और बढ़ा दी जायेगी।

पूंडरी आउट एजेंसी

२०४२. **श्री राम सेवक यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कैथल स्टेशन से संबंधित पूंडरी आउट एजेन्सी कब खोली गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि पूंडरी आउट एजेन्सी से कोई भी व्यापारी अपना माल रेलवे द्वारा कहीं नहीं भेजता ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कैथल के व्यापारियों का माल ही पूंडरी आउट एजेन्सी से बुक होता है और माल कैथल मण्डी से पूडरी आउट एजेन्सी न जा कर सीधा कैथल स्टेशन पर जाता रहा है किन्तु केवल बिल्टी ही पूंडरी आउट एजेन्सी से काटी जाती रही है; और

(घ) यदि हां, तो यह एजेन्सी पूंडरी की बजाय कैथल में क्यों नहीं खोली गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) १० जून, १०६१।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि पूंडरी आउट एजेंसी में केवल कैथल के व्यापारियों का माल बुक किया जाता है। लेकिन रेल प्रशासन के नोटिस में यह बात आयी है कि कुछ मामलों में यद्यपि माल पूंडरी आउट एजेंसी में बुक किया गया पर वास्तव में वह कैथल मंडी से उठाया गया। रेलवे इस मामले की जांच कर रही है।

(घ) ऐसे स्थानों पर आउट एजेंसियां नहीं खोली जातीं, जो रेल-पर्यन्तों के निकट हैं।

डेरी उत्पादकों का आयात

†२०४३. **श्री मानसिंह पु० पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से डेरी के उत्पादों का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ग) देश में हमारा उत्पादन कितना है; और

(घ) क्या सरकार ने डेरी के उत्पादों को कम करने के लिए कोई अतिरिक्त योजना बनाई गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). जी हां। अमरीका के अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि पी एल ४८० कार्यक्रम के अधीन ४,८०० टन दुग्धचूर्ण हमें दें। इस को बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद तथा मद्रास में काम कर रही सरकारी दुग्ध योजनाओं के अधीन जनता को सस्ता दूध देने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा ।

(ग) आनन्द तथा अमृतसर में दो कारखाने स्थापित किये गये हैं जो प्रत्येक वर्ष १५०० टन दुग्ध चूर्ण बनायेंगे। आशा है कि इन कारखानों में १९६३ के अन्त तक लगभग १,२०० टन उत्पादन होने लगेगा ।

(घ) जी हां। राजकोट में तीसरा कारखाना स्थापित किया जा रहा है जिस में प्रत्येक वर्ष लगभग ६०० टन दुग्ध चूर्ण बनेगा। आशा है कि १९६४ से दुग्धचूर्ण बनने लगेगा। डेरी विकास कार्यक्रम के अधीन मेहसाना, आनन्द तथा विजयवाड़ा में अन्य कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं। इन कारखानों का आयोजन वार्षिक ५००० टन दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए किया गया है तथा आशा है कि इन में १९६४–६५ में उत्पादन होने लगेगा। इस के अतिरिक्त आशा है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा दिये गये लाइसेंस के अधीन प्रत्येक वर्ष ४,४५० टन दुग्धचूर्ण बनाने वाले दो कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे हैं। आशा है कि ये कारखाने १९६५–६६ तक चालू हो जायेंगे ।

कृषि का एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम

†२०४४. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉफी में विशेष योग्यता के साथ कृषि का एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए कौन कौन से कालिज छांटे गये हैं तथा पाठ्यक्रम कब आरम्भ होगा; और

(ग) इस योजना की क्रियान्विति के लिए काफी बोर्ड का क्या अंशदान है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठा की जा रही है तथ सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मथुरा–अलीगढ़ रेलवे लाइन

†२०४५. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृन्दावन और खैर हो कर मथुरा से अलीगढ़ तक बड़ी लाइन की रेलवे बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वे० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरहन-एटा-रेलवे लाईन

†२०४६. **श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलेसर होकर बरहन से एटा तक (नार्दन जोन) रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था;

(ख) क्या इस लाइन से कोई लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो वार्षिक हानि कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि हानि लाइन की अत्यधिक लम्बाई के कारण है अथवा इस कारण से है कि इस को किसी महत्वपूर्ण लाइन से नहीं मिलाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस लाइन को जेठरा तथा अलीगंज होकर कासगंज अथवा कायमगंज तक मिलाने का कोई प्रस्ताव है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से०वे० रामास्वामी)**: (क) अक्तूबर, १९५६ में निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था । लाइन १८-१-१९५९ को पूरी हो गई थी तथा यातायात के लिए खोल दी गई थी ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) यातायात के लिए खोलने की तिथि से वार्षिक हानि नीचे दी जाती है :

१९५९-६० . . .	५,७९,७८६ रुपये
१९६०-६१ . .	४,८४,८१७ रुपये
१९६१-६२ .	५,८२,३६३ रुपये

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी नहीं ।

सहकारी विधियां

†२०४७. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी विधि सम्बन्धी समिति द्वारा बनायी गयी सहकारी विधियां बनाने में राज्यों द्वारा क्या प्रगति की गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मैसूर तथा जम्मू और काश्मीर राज्यों में नयी सहकारी विधियां बना ली गई हैं । आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य विधान मंडल की प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अपना सहकारी समितियों का बिल बना लिया है । बिहार सरकार ने वर्तमान अधिनियम

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार करके उसमें संशोधनों का सुझाव देने के लिए विधि समिति बनाई है। राज्य सरकार ने इस बीच समिति बना ली है जो विधेयक का प्रारूप बना रही है।

वारंगल में निचले पुल

†२०४८. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वारंगल में निचले पुल के निर्माण के बारे में कोई निणय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कब काम आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) परियोजना पर कितनी रकम खर्च होगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री श्री सें० वें० राजस्वामी** : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल के निकट ३३३–३३४ किलोमीटर पर निचला पुल बनाने का व्यय देना स्वीकार कर लिया है। तदनुसार केन्द्रीय रेलवे प्रशासन ने काठ के प्राक्कलन स्वीकार कर लिये हैं।

(ख) ज्योंही राज्य सरकार आवश्यक धन की तथा अपेक्षित भूमि की व्यवस्था कर लेगी।

(ग) राज्य सरकार द्वारा देय अनुमानतः २,२५,४५७ रुपये।

नई दिल्ली की रोहतक रोड पर यातायात

२०४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें विदित है कि नई दिल्ली में रोहतक रोड पर यातायात की इतनी भीड़ रहती है कि वहां कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को इस आशय के ज्ञापन मिले हैं कि पुरानी रोहतक रोड को रेलवे लाइन के दूसरी ओर नई रोहतक रोड के समानान्तर शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन तक बढ़ाने की व्यवस्था की जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से मंगाई गयी है और उसके प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

जेट विमानों की उड़ानों के लिये नौ परिवहन सुविधायें

†२०५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लम्बी रेंज वाले नान-डायरक्शनल बैकन लगाने, मुख्य मार्गों पर जैट की उड़ानों के लिए नौ परिवहन सुविधायें देने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) जी नहीं। दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में लगे हुए नान-डायरैक्शनल बैकनों को पर्याप्त समझा गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

झालावाड़ शहर तक रेलवे सम्पर्क

†२०५१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झालावाड़ नगर (राजस्थान) को रेल द्वारा मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्व रेलवे पर दुर्घटना

†२०५२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १२ और २८ अगस्त, १९६३ के बीच पश्चिम बंगाल में पूर्व रेलवे के कई स्थानों पर माल गाड़ियों की गम्भीर दुर्घटनायें हुई थीं;

(ख) कितने व्यक्ति हताहत हुए तथा किस प्रकार की चोटें आईं; और

(ग) दो सप्ताह में इतनी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां ।

(ख) ८ व्यक्तियों की जानें गईं तथा १२ घायल हुए ।

(ग) रेलवे कर्मचारियों की गलती से ।

कांच की चूड़ियां

२०५३. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवें प्रशासन ने फिरोजाबाद स्टेशन से यात्रियों को सामान के साथ चूड़ियां ले जाने पर रोक लगायी है;

(ख) यदि हां, तो क्यों;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) स्थूल सामान के रूप में यात्रियों को अपने साथ डिब्बे में शीशें की चूड़ियां ले जाने की आज्ञा नहीं है ।

(ख) ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे यात्रियों को असुविधा न हो और डिब्बे के उपलब्ध स्थान में कोई कमी न होने पाये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रजी में

डाकखानें की रकम की चोरी

†२०५४. श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकखाने का एक 'कैश ओवरसियर', जो १०,००० रुपये का डाक का थैला ले जा रहा था, को २ सितम्बर, १९६३ को मुरादाबाद में दो व्यक्तियों ने पकड़ लिया और उस से थैला छीन लिया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, अभी नहीं । मामले की पुलिस तथा विभागीय अधिकारी जांच कर रहे हैं ।

मध्य प्रदेश में चीनी मिलें

†२०५५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी योजनावधि में सहकारी आधार पर मध्य प्रदेश में कोई चीनी मिल स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके स्थापना स्थानों का चुनाव कर लिया गया है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). मध्य प्रदेश में मुरैना, इंदौर, होशंगाबाद, टीकमगढ़, जबलपुर, शिवपुरी, बेतूल तथा छिंदवाड़ा जिलों में सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए ८ अभ्यावेंदन मिले हैं । ये विचाराधीन हैं ।

(ग) सदस्यों द्वारा दी गई धन राशि के अनुसार ही सरकार २५ लाख रुपये तक अंशपूंजी देने को तैयार है ।

सहकारी क्षेत्र के लक्ष्य

†२०५६. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकारी** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में सहकारी क्षेत्र के लक्ष्य प्रत्येक राज्य की अपैक्स सहकारी संस्थाओं के बिना परामर्श के निश्चित कर लिये गये थे ; और

(ख) क्या यह सच है कि योजना के वार्षिक आंकड़ें बनाते समय तथा योजना को लागू करते समय सहकारी संस्थाओं के अनुभवों का बहुत से राज्यों ने कोई लाभ नहीं उठाया था ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सहकार कार्यकारी वर्ग, जिसने तीसरी योजना के कार्यक्रम बनाये थे, में राष्ट्रीय तथा अपैक्स सहकारी संगठनों के गैर-सरकारी सदस्य सात थे । राज्य

---

†मूल अंग्रजी में

सरकारों को भी आदेश दे दिए गए थे कि गैर-सरकारी सदस्यों के विचारों का लगातार आदान प्रदान करते रहें जिससे सहकारी विकास की योजनाओं को बनाते समय वह जनता तथा उसके नेताओं का पूरा सहयोग लें। मद्रास, पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने योजना के वार्षिक आंकड़े तैयार करने में तथा उनको लागू करने में इन अपक्स सहकारी संस्थाओं का परामर्श लिया है। अन्य राज्यों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

हवाई अड्डों पर अग्निशामक सेवा

†२०५७. **श्री बृजराज सिंह कोटा :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के सभी बड़े हवाई अड्डों पर अग्निशामक सेवा में अपर्याप्त उपकरण तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कमी को आशातीत स्तर तक लाने के लिये कार्यवाही करने का है ; और

(ख) कितने बड़े हवाई अड्डों पर अग्निशामक सेवा नहीं है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). सभी बड़े हवाई अड्डों पर अग्निशामक सेवा है। उसमें उपकरण तथा प्रशिक्षित कर्मचारी बढ़ाने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

माल यातायात

†२०५८. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलव पर माल यातायात आशा से भी अधिक गिर गया है और इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में बहुत कम है ;

(ख) यदि हां, तो १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में रेलवे के माल यातायात के क्या आंकड़े हैं ; और

(ग) किस प्रकार की वस्तुओं के कारण यह कमी आई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

काज़ीपेट स्टेशन पर दुर्घटना

२०५९. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ७ मई, १९६३ को काज़ीपेट स्टेशन पर एक मालगाड़ी की टक्कर हो जाने के कारण दक्षिण की ओर जाने वाली सभी गाड़ियां लेट हो गईं ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे को कितनी हानि पहुंची ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ६-५-६३ को काज़ीपेट में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी, जिसकी वजह से दक्षिण जाने वाली तीन गाड़ियां सिकन्दराबाद-वाडी-रायचुर के रास्ते भेजी गयीं और लेट हो गयीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि एक माल डिब्बे का बायीं ओर का अगला ब्रेक बीम हैंगर निकल गया और काज़ीपेट यार्ड में कांटों की कैंची की हील में थोड़ी देर फंस गया।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग ६५९५ रुपये की क्षति हुई।

लाडनूं रेलवे स्टेशन

२०६०. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लेटफार्म पर शेड बनाने का सामान लाडनूं रेलवे स्टेशन पर गत तीन-चार वर्ष से पड़ा हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक शेड न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। शेड बनाने का सामान निर्माण-स्थल पर अभी जनवरी, १९६३ में प्राप्त हुआ।

(ख) काम हो रहा है और इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

रेलवे के लिये फिश प्लेटें

२०६१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के लिए फिश प्लेटें अब भारत में ही बनाई जायेंगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये कोई नया कारखाना लगाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कहां और किस के सहयोग से और उस पर कितना खर्च किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७४३/६३]**

जहाजों की टक्कर से गेहूं का नष्ट हो जाना

२०६१. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से जो गेहूं भारत आ रहा था, २ जहाजों के टकरा जाने से उस में से काफी गेहूं नष्ट-भ्रष्ट हो गया ;

(ख) यदि हां, तो इसका मुआवजा कौन देगा ; और

(ग) जो गेहूं नष्ट हुआ वह कितने रुपये का था ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग). एक जहाज जो हमारा लगभग १०,१७५ टन अमरीकी गेहूं ला रहा था २३ अगस्त, १९६३ को स्वेज़ के निकट एक दूसरे जहाज से टकरा गया। एक अस्थायी अनमान के अनुसार लगभग १६०० टन गेहूं के खराब होने या नष्ट हो जाने की सम्भावना है। इस मात्रा का मूल्य ५ लाख रुपने के आसपास होगा। सम्बन्धित कानून के अधीन, जहाज के मालिकों से अपने नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही की जा रही है।

भैंसों का निर्यात

२०६३. **श्रीमती शशांक मंजरी :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री राम हरख यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत फिलिपाइन्स को कुछ भैंसों का निर्यात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान किस प्रकार लिया जायेगा ; और

(ग) यह कब भेजी जायेंगी ; और

(घ) जबकि हमारे यहां दूध की कमी है, तो भैंसों का निर्यात करने का क्या कारण है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ०म० थामस) : (क) से (ग). भारत से कुछ दुधारू पशुओं के निर्यात के सम्बन्ध में हाल ही पूछ-ताछ में की गई थी । उसके उत्तर में फिलिपाइन स्थित हमारे राजदूत को सूचित किया गया है कि भारत से सभी प्रमुख नस्लों के पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है परन्तु सद्भावना के नाते १०-१५ पशु तथा कुछ भैंसें देने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे । फिलिपाइन सरकार की ओर से इतनी संख्या के लिये उत्सुकता प्रकट करने पर ही पशुओं के परिवहन तथा भुगतान के विषय में प्रश्न उत्पन्न होगा ।

(घ) भारत से पशुओं के निर्यात पर प्रतिबन्ध है परन्तु मत्री सम्बन्ध बनाये रखने के लिए विदेशी सरकारों की प्रार्थना पर कभी-कभी बहुत थोड़े से पशुओं के निर्यात की अनुमति दे दी जाती है

दिल्ली में चावल की कमी

†२०६४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मोटे चावल की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). मोटे चावल की कुछ कमी का पता लगा था तथा उत्तर प्रदेश सरकार के भांडार से तीसरी श्रेणी का १००० टन चावल आयात करने के प्रबन्ध किए गए हैं तथा इस इसको निर्धारित खुदरा मूल्य पर चुने हुए खुदरा दुकानदारों तथा सहकारी भांडारों के द्वारा दिल्ली में उपभोक्ताओं को बेचा गया ।

अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन

†२०६५. **श्री याज्ञिक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद को ब्राड गेज तथा मीटर गेज रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने के बारे में पश्चिम रेलवे ने एक समिति नियुक्त की थी ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे ने इन्हीं स्टेशनों को नया रूप देने के लिए विभागीय तौर पर कोई अन्य योजना भी बनाई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) दोनों योजनाओं की लागत तथा नक्शों में क्या अन्तर है ; और

(घ) क्या समिति द्वारा बनाई गई योजना को पश्चिम रेलवे ने रद्द कर दिया और अपनी योजना चालू कर दी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (घ). जानकारी वाला एक विवरण संबद्ध है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १७५४/६३]**

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर वैगनों का आनाजाना

†२०६६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोतर सीमा रेलवे पर खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से भरे वैगनों की धीमी गति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, १९६३ से उत्तर रेलवे पर वस्तुओं के देर से मिलने की तथा वस्तुओं की खराब हालत की यदि कोई शिकायतें मिली हैं तो कितनी तथा ऐसे कितने मामलों में क्षतिपूर्ति की गई है ; और

(ग) वैगनों के दक्षता से चलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). पूर्वोत्तर रेलवे पर वैगनों के चलन में, कुछ विलम्ब हुआ है। परन्तु यह विलम्ब सामान्यत: हुआ है और इसलिए इस में वह भी आ गये हैं जिनमें खाद्यान्न अथवा अन्य आवश्यक वस्तुयें भरी हुई थीं। इस विलम्ब के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है तथा सच यह है कि उन्होंने अन्य वस्तुओं के स्थान पर खाद्यान्नों का तथा अन्य वस्तुओं का यातायात शीघ्र कराया।

आपात के आने के बाद सिलीगुड़ी के बाद का यातायात बिना सूचना के करना पड़ा। विशेष कार्यवाहियों से लदान ६० प्रतिशत बढ़ गया है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह वृद्धि भी उतनी नहीं थी कि माल निश्चित अवधि तक निश्चित स्थान तक पहुंच जाये। इसलिए जो भी वैगन देर से चले वह निश्चित स्थानों पर वैगनों से सामान न उतारने के कारण अनुपलब्धता के कारण देर से चले।

इस बात को समझा जायेगा कि जब तक भरे हुए वैगन खाली कर के हमको नहीं मिलेंगे तब तक उनको पुन: नहीं भरा जा सकता है और वैगनों को रुक जाना पड़ेगा।

बाढ तथा अन्य इसी प्रकार की बाधाओं के कारण बात कुछ महीनों में कुछ वैगन नहीं चले थे।

आवश्यक वस्तुओं के लदान की सुविधा के लिए अब इकट्ठा लदान किया जा रहा है जिसमें निश्चित स्थान पर गाड़ी के पूरे भार को ले जाया जा सके। राज्य सरकार तथा अन्य अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि पर्याप्त रुकने की सुविधायें बनायें जिस से आई हुई वस्तुओं को शीघ्रता से उतारा जा सके और वह वैगनों को रोक कर न पड़ जाये ।

खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के नष्ट भ्रष्ट दिये जाने के कारण जनवरी से जुलाई, १९६३ तक ९२१ दावे मिले थे जिनमें से ६९३ दावों का भुगतान कर दिया गया। यह क्षति माल गीला हो जाने के कारण हुई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा डाक व तार सर्किल

†२०६७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **डाक और तार** मंत्री ११ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा डाक व तार सर्किल के क्षेत्राधिकार में कोरापुट, रूरकेला और झरसूगूडा क्षेत्रों को जोड़ने पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी हां ।

(ख) सभी तार संचार आस्तियां जो उड़ीसा राज्य के क्षेत्राधिकार में आती हैं, परन्तु अन्य डाक व तार मंडलों के पास हैं, उड़ीसा डाक व तार मंडल को हस्तांतरित कर दी गई हैं ।

फ्लाइंग क्लब

†२०६८. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने फ्लाइंग क्लब चल रहे हैं ;

(ख) तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा में कितने नये फ्लाइंग क्लब स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) राष्ट्रीय आपातकाल को देखते हुए राज्य को वर्तमान फ्लाइंग क्लबों को कैसी और कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

†**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) उड़ीसा में केवल एक फ्लाइंग क्लब है जो भुवनेश्वर में है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं ।

(ग) भुवनेश्वर स्थित उड़ीसा फ्लाइंग क्लब वायुबल के लिये विमान चालकों को प्रशिक्षण, वर्तमान संकटकाल के सम्बन्ध में नहीं देता, अतः इस कारण इसे कोई सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

सस्ते खाद्य पैकटों की बिक्री

†२०६९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलहाबाद और उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों पर सस्ते सामिष एवं निरामिष खाद्य पुड़ियों की बिक्री बन्द कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से तथा इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). मा० सदस्य द्वारा उल्लिखित सस्ती खाद्य पुड़ियों की बिक्री उत्तर रेलवे के कुछ स्टेशनों पर निम्नलिखित तिथियों से बन्द कर दी गई हैं :—

स्टेशन	तिथि
दिल्ली	दिसम्बर, १९५८
पठानकोट	१०–१०–५९
लखनऊ	१–७–६०
वाराणसि	१–७–६०
मुरादाबाद	११–७–६०
अलाहाबाद	११–९–६१
टूंडला	४–११–६१

इनकी बिक्री कम थी तथा कुछ दिनों मैं तो बिक्री बिल्कुल नहीं होती थी । खाद्य पुड़िया उत्तर के यात्रियों मैं लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सकीं, जो गर्म चीज रखना पसन्द करते हैं ।

रेल की पटरी का निरीक्षण

†**२०७०. श्री हो० ना० मुखर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि :

(क) क्या रेलवे निरीक्षालय के अफसरों का कर्त्तव्य अब रेलवे पटरियों का सार्वधिक निरीक्षण करना नहीं रहा ; और

(ख) क्या यह रेलवे अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वर्ष १९५३ से, रेलवे को सरकारी निरीक्षकों को, जिन्हें अब रेलवे सुरक्षा का अतिरिक्त आयुक्त कहा जाता है, सरकारी रेलों का वार्षिक सामान्य निरीक्षण नहीं करना पड़ता, परन्तु वे रेलवे या उसके किसी सैक्शन का निरीक्षण कर सकते हैं, जिसे वे रेलवे कार्य के सभी या किसी विशिष्ट पहलू का निरीक्षण करना उचित समझें। वे रेलवे के अपने निरीक्षण दौरों में महा प्रबन्धक और विभागाध्यक्षों के साथ भी जा सकते हैं। कम्पनी प्रबन्धाधीन रेलवे के मामले में वे पहले की तरह वार्षिक निरीक्षण करते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

बरहमन में नर्मदा पर पुल

†**२०७१. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिला में बरहमन में नर्मदा नदी पर सड़क के पुल का काम अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो पुल यातायात के लिये कब खोल दिया जाएगा ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस पुल की पूर्ति की लक्ष्य तिथि, जो प्रारम्भ में नियत की गई थी, मई १९६३ का अन्त है । मध्य प्रदेश में ट्रक मालिकों की सामान्य हड़ताल और हमारे दिसम्बर, १९६२ में भारी शीतकालीन अप्रत्याशित बाढ़ों, और निर्माण करते समय वास्तव में चट्टान के स्वरूप के अनुसार नींव की डिजाइन में कुछ परिवर्तनों के कारण इस पुल की पूर्णता में कुछ अप्रत्याशित विलम्ब हुआ । अब पूर्णता का संशोधित लक्ष्य दिसम्बर, १९६३ है और काम इस अनुसूची के अनुसार प्रगति पर है ।

(ख) अगले वर्ष के प्रारम्भ में इस की यातायात के लिये खुल जाने की संभावना है।

होशंगाबाद के समीप नर्मदा पर पुल

†२०७२. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी के ऊपर सड़क के पुल का काम अनुसूची के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पुल कब यातायात के लिये खोल दिया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). होशंगाबाद के समीप नर्मदा नदी पर पुल का निर्माण राज्य परियोजना है । किन्तु भारत सरकार ने इस पुल के लिये १३.३४ लाख रुपये का सहायक अनुदान दिया है ।

पुलों की नींव और स्तम्भ पूरे बन चुके हैं। काम के लिये आवश्यक ३ मिलीमीटर परिधि वाले हाई टैंसिबल इस्पात उपलब्ध न होने के कारण अग्रतर प्रगति रूकी हुई है । इस आकार की तार के उपयोग के विकल्प राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । इन ब्यौरों की सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे की टिकटों का जारी किया जाना

†२०७३. **श्री हरिविष्णु कामत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य रेलवे पर कारक-बेल और गोटेगांव के बीच के स्टेशनों पर यात्रियों को रेल टिकट जारी नहीं किये गये ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) कब टिकट जारी किये जाने लगेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वॅ० रामस्वामी)** : (क) मध्य रेलवे पर कारकबेल और गोटेगांव के बीच कोई स्टेशन नहीं ।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डीलक्स कारें

†२०७३-क. **श्री द्वारका दास मंत्री** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकीय व्यापार निगम के द्वारा, विदेशी कूटनीतिज्ञों की डीलक्स कारें, जो भारत छोड़ कर जाते हैं, यात्रा अभिकरणों को आवंटित करने की कोई प्रथा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९६२–६३ में विविध यात्रा अधिकरणों को ऐसी कारें आवंटित की जाती हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ग) ५० कारों के चुनाव की पेशकश यात्रा अभिकरणों को दी गई थी जिन में से केवल छः कारें उनके द्वारा पर्यटक टैक्सियों के तौर पर प्रयोग के लिये चुनी गई हैं ।

कृषि योजनाओं के लिये सीमेंट

२०७३-ख. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आ गई है कि कृषि योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कृषकों को सीमेंट नहीं मिल पाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सीमेंट की सामान्य कमी क कारण कृषि कार्यों के लिए सम्भरण अपर्याप्त रहा है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने थोक नियतन में से कृषि कार्यों के लिए सीमेंट की एक निश्चित मात्रा सुरक्षित करें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार सुरक्षित की गई सीमेंट की मात्रा का केवल कृषि विकास योजनाओं में ही उपयोग होता है । उन्हें सलाह दी गई है कि स्वीकृत कृषि कार्यक्रमों (लघु सिंचाई, गोदाम निर्माण आदि) के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्यों के आधार पर विशिष्ट मात्रायें निश्चित कर दी जाये तथा उसके लिए एक राशि का नियतन कर दिया जाये। राज्य सरकारों ने सीमित उपलब्ध सप्लाई में से कृषकों की मांगों को पूरा करने के लिए यथासम्भव कदम उठाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नोत्तर में शुद्धि

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर)** : १६ अप्रैल, १९६३ को श्री गो० महन्ती के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५१ के उत्तर में परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री श्री भगवती द्वारा निम्नलिखित उत्तर दिया गया था :—

(क) राष्ट्रीय राजपथ (संख्या ५) के, जो भद्रक नगर के पास से जाती है, मिलाने वाले दो स्थानों से बीच ११८८० फीट पुरानी मार्ग रेखा और १२९९८ फीट की नई मार्ग-रेखा के अनुसार दूरी है ;

(ख) पुराने मार्ग-रेखण के अनुसार अपेक्षित भूमि का क्षेत्रफल २७.२ एकड़ तथा नवीन मार्ग रेखण के अनुसार ५९.८ एकड़ होगा ।

(ग) अर्जन लागत का ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है । वह लगभग १३.६० लाख रुपये पुराने मार्ग रेखणानुसार और ५.९८ लाख रुपये नवीन मार्ग रेखणानुसार होगी ।

शुद्ध सुचना इस प्रकार है :—

(क) भद्रक नगर के पास से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ (संख्या ५) को मिलाने वाले दो स्थानों के बीच पुरानी और नयी मार्ग रेखाओं के अनुसार फासला क्रमश: ११८८० फुट और १२००० फुट है ;

(ख) अधिगृहीत होने वाला क्षेत्र पुरानी और नयी मार्ग रेखाओं के अनुसार क्रमश: २७.४० एकड़ और ७४.०४ एकड़ है ।

(ग) अधिगृहण लागत का ब्यौरा प्राप्त नहीं है । पुरानी और नयी मार्ग रेखा के अनुसार इसके क्रमश: ७.१६ लाख रुपये और २.९८ लाख रुपये होने की संभावना है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री महोदय का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और चाहता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाल की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति ।"

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्री (ए० कु० ल० राव)** : मैं हाल तक की देश में बाढ़ की स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० १७३३/६३]

†**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर)** : मेरा सुझाव है कि इस विषय पर दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बिल्कुल अलग बात है । यदि आप इस विवरण का पहले अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रश्नों के लिये बाद में समय दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर अगर चर्चा हो जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं चर्चा का इकरार तो नहीं कर सकता क्योंकि इस बारे में देखना होगा। लेकिन इस स्टेटमैंट को स्टडी कर लेने के बाद यह सोचा जा सकता है कि इस पर एक, एक सवाल करना ठीक रहेगा या इस पर चर्चा चलाना ठीक रहेगा। इसको देख लिया जायगा। आज तो इस स्टेटमैंट को तमाम मेम्बरों में सरकुलेट कर दिया जायगा।

स्थगन प्रस्तावों तथा ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : आसाम में करीमगंज सीमा पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में मुझे कुछ स्थगन प्रस्तावों तथा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं सूचना देने वाले माननीय सदस्यों को केवल इतना ही कह सकता हूं कि वैदेशिक कार्यों पर पहले ही हम चर्चा कर रहे हैं और मैं प्रधान मंत्री से विशेषतया अनुरोध करूंगा कि वह अपने उत्तर में इन मामलों का विशेष तौर पर उल्लेख करें ताकि इनका उत्तर भी मिल जाय।

श्री बड़े (खारगोन) : अध्यक्ष महोदय इस बारे में मेरा कहना यह है कि उस स्थिति में हम लोगों को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डीवेट तो इन्टरनैशनल सिटुएशन के बारे में है। इसमें क्वेश्चन पूछने का हमारा राइट नहीं रहता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए अलग समय दिया जाना चाहिए।

श्री कछवाय (देवास) : इस प्रकार हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार खत्म हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय : अगर प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कोई सवाल पूछने की जरूरत हुई, तो मैं उन माननीय सदस्यों को सवाल पूछने की इजाजत दे दूंगा, जिन्होंने इस बारे में अपने नाम दिये हैं और जिनके नाम मेरे पास हैं।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : इस विषय पर प्रधान मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए और फिर उस पर हमें भी कुछ पूछने का अवसर मिलना चाहिए।

†**श्री बड़े** : आप एक आश्चर्यजनक प्रक्रिया अपना रहे हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना दी गयी है और यह हमारे अधिकार का प्रश्न है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : मैं आपके सुझाव से सहमत नहीं हूं। इस विषय को प्रधान मंत्री के उत्तर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस पर अलग से वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा। यदि इस विषय को अलग से लेने की आवश्यकता महसूस की गयी तो मैं उसके अनुसार निर्णय लूंगा।

श्री कछवाय : अध्यक्ष महोदय, यह तो आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या नई परम्परा डाली है ? मैंने कहा है कि चूंकि इस वक्त वही डिस्कशन चल रहा है, इसलिए इस सवाल को अलाहिदा न लिया जाये। जब इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट हो जायेगा, तो हम देखेंगे कि कोई सवाल पूछने की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत हुई, तो मैं माननीय सदस्यों को, जिनके नाम मेरे पास हैं, सवाल पूछने की इजाजत दे दूंगा। इसके बावजूद माननीय सदस्य कहते हैं कि कोई नई परम्परा डाली जा रही है।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने इस कालिंग-एटेन्शन नोटिस को रेफ्यूज नहीं किया है, इसलिए इसके लिए अलग अवसर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इस वक्त वही डिस्कशन चल रहा है। क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बिना पर इसको रेफ्यूज कर दूं ?

श्री बड़े : अगर आप उसको रेफ्यूज कर देते हैं, तो वह दूसरी बात है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप रेफ्यूज नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य शायद मेरे दिल को ज्यादा जानते होंगे। मैं नहीं जानता कि मैं इस बारे में शोर हूं। अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार के बारे में पत्र

†**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार से सम्बन्धित निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रख दी गयी है।

(एक) (क) १ अप्रैल से ६ अप्रैल, १९५८ तक की अवधि के लिए संचालन और लाभ तथा हानि लेखा (बस डिवीज़न)।

(ख) ६ अप्रैल, १९५८ का संतुलन-पत्र (बस डिवीज़न)।

(ग) १ अप्रैल से ६ अप्रैल, १९५८ तक की अवधि के लिए लाभ तथा हानि का लेखा (ट्रामवे शाखा)।

(घ) ६ अप्रैल, १९५८ का सन्तुलन-पत्र (ट्रामवे शाखा)।

(ङ) ६ अप्रैल, १९५८ को दायित्वों का ब्यौरा।

(च) १ अप्रैल से ६ अप्रैल, १९५८ तक की अवधि के लेखे की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट।

(दो) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० १७३४/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्तिगत चोट (आपातकाल) संशोधन विनियम

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)**: मैं व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबंध) अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक ७ सितम्बर, १९३३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४४ में प्रकाशित व्यक्तिगत चोट (आपातकाल) संशोधन विनियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १७३५/६३]

भारतीय तार (द्वितीय संशोधन) नियम

†**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १७०५ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० १७३६/६३]

लोक लेखा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादुन) : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार) १९६१-६२ तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार) १९६३ के बारे में लोक लेखा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय—सेना इंजीनियर सेवाओं—के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के पच्चीसवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्राक्कलन समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति ने अपने छटे प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को, प्रतिवेदन में उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाय :—

(१) श्री उ० मु० तेवर

(२) श्री उमानाथ

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

(३) ले० कर्नल महाराजकुमार डा० विजय आनन्द आफ विजयनगरम्

(४) श्री जय बहादुर सिंह

(५) श्री नेसामनी

(६) श्री मूलदास भूदरदास वैश्य

(७) श्री बालकृष्णन

(८) श्री गोविन्द हरि देशपाण्डे

(९) श्री दशरथ देव

(१०) श्री बीरेन दत्त

(११) श्री गयासुद्दीन अहमद

मैं समझता हूं कि सभा समिति की इन सिफारिशों से सहमत है।

†**श्री हरिविष्णु कामत** (होशंगाबाद): चूंकि अपने साथी श्री तेवर की स्थिति के बारे में चिन्ता बढ़ रही है इसलिये आप द्वारा ७ मई को व्यक्त विचारों की ओर मैं निर्देश करूंगा। आपने कहा था कि आप समिति के सभापति से करेंगे कि वह यह सुनिश्चित करने के लिये, उपयुक्त कदम उठाये कि सम्बद्ध सदस्य को कोई सूचना पहुंचती है और इस बात की गारंटी हो कि उस सूचना के प्राप्त होने पर वह या तो स्वयं हमें उत्तर दें या उन की स्थिति का हमें ज्ञान कराया जाय ताकि सभा कोई निर्णय लेने की स्थिति में हो सके। एक सदस्य ने, इस बीच हुई लम्बी चर्चा में, यह भी सुझाव दिया कि श्री तेवर संबंधी चर्चा की कार्यवाही की एक प्रति उन्हें भेज दी जाय और मद्रास सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह श्री तेवर की बीमारी का पता लगा कर उनका इलाज करने का प्रबन्ध करे। मैं जानना चाहूंगा कि सभापति महोदय ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़): सभा में प्रतिवेदन पर चर्चा के पश्चात् मैं ने श्री तेवर को व्यक्तिगत तौर पर एक पत्र लिखा और उन के एक नातेदार को उनकी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कहा। उन के नातेदार ने उत्तर दिया कि वह किसी को श्री तेवर से मिलने की अनुमति नहीं देंगे। वह एक अस्पताल में हैं और वह होमियोपेथी के अतिरिक्त अन्य कोई औषधि नहीं लेंगे। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पेट में पथरी है। मैं नहीं जानता कि वह ठीक है कि नहीं। अभी वह अस्पताल में ही हैं। मेरी सूचना यही है।

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा चाहती है कि राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित कर के यह मालूम किया जाय कि उन्हें कौन सी बीमारी है और वह कब तक स्वस्थ हो जायेंगे। क्या ऐसा किया गया है ?

†**श्री खाडिलकर**: जी नहीं। उस के तुरन्त पश्चात् कार्यालय को सूचना प्राप्त हुई थी कि वह सभा की बैठकों में उपस्थित होंगे। इस को दृष्टि में रखते हुए मैं ने मद्रास सरकार को नहीं लिखा।

†**श्री हरिविष्णु कामत**: मेरा अनुरोध है कि सभापति स्वयं अथवा कोई अन्य सदस्य अस्पताल में जाकर श्री तेवर की स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। यदि संसद्-कार्य मंत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

जांय तो बहुत अच्छा होगा । यदि आवश्यक हो तो मैं भी उनके साथ चलने को तैयार हूं । (अन्तर्बाधा) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य को अस्पताल जाने का कष्ट देना चाहिये । इस मामले में हमें अंतिम निर्णय तो लेना है यद्यपि वह निर्णय आज नहीं लिया जा सकता । हमारे पास उनका पता तो होगा ही। एक रजिस्टर्ड पत्र उन्हें भेज दिया जाय कि वह सिविल सर्जन जैसे किसी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाण-पत्र भेजे और सब कारण भी लिखेंगे । सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि वह अब भी बीमार हैं और उनके शीघ्र ही स्वस्थ हो जाने की आशा है । उसके पश्चात् सभा इस विषय पर विचार करेगी कि उन्हें अग्रेत्तर अनुपस्थिति की अनुमति दी जाय अथवा नहीं । हम अनुपस्थिति की अनुमति बहुत समय से दे रहे हैं। इसलिये इस विषय मैं कोई अन्तिम निर्णय लेना ही पड़ेगा ।

सम्बद्ध माननीय सदस्य को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि सभा समिति के प्रतिवेदन से सहमत है ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां ।

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि गन्दी बस्तियां (सुधार और सफाई) अधिनियम, १९५६ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।"

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १६ सितम्बर, १९६३ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेत्तर विचार करेगी, अर्थात् :—

> "कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्संबंधी भारत सरकार की नीति पर विचार किया जाये ।"

सभा इस के साथ ही प्रस्तुत किये गये स्थानापन्न प्रस्ताव पर भी अग्रेत्तर विचार करेगी । इस विषय के लिये ३ घण्टे और ३० मिनट का समय शेष है । उसके पश्चात् क्या ४ बजे मैं प्रधान मंत्री को उत्तर देने के लिये बुला सकता हूं ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसे आप की इच्छा हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश दत्त मिश्र** (खंडवा) : आज के परिवर्तन शील संसार में अति शीघ्रता से परिवर्तन होते रहते हैं इसलिये सभा में वैदेशिक कार्यों पर समय समय पर चर्चा होना लाभदायक सिद्ध होता है ।

आज के ज्ञाता और समझदार लोग भी पुरानी विचार धारा के अनुसार ही सोचते हैं यह अत्यंत आश्चर्यजनक बात है । डा० लोहिया का यह कहना कि प्रधान मंत्री समय के अनुसार बदलते नहीं हैं और कि उनका 'पिटा पिटाया बयान' है खेदजनक है ।

इस सभा से बाहर प्रैस जिस प्रकार का प्रचार किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध करता है हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये । जो नीति हमारे देश की है वह किसी व्यक्ति विशेष की न हो कर सारे देश की है । इस के अतिरिक्त यदि हम पश्चिमी देशों की ओर विशेषकर अमरीकी राय को देखें तो मालूम होता है कि हमारी विदेश नीति को सराहा जा रहा है । हमारी विदेशी नीति के कारण हमारे देश का संसार में सम्मान बढ़ा है । इससे पूर्व इतना सम्मान हमारे देश को स्वतंत्रता के युद्ध के समय प्राप्त हुआ था ।

इस सभा के भीतर विदेश नीति की आलोचना सुसभ्य ढंग से की जाती है परन्तु सभा से बाहर यह आलोचना खेद जनक ढंग से की जाती है अतः इस तथ्य की ओर हमें ध्यान देना है । इस आलोचना को अवश्य ही कहीं न कहीं से प्रेरणा मिलती है ।

गत दस अथवा बारह मासों के अनुभव से विदित है कि हमारी विदेश नीति अत्यन्त सफल रही है इसलिये प्रधान मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष करना अथवा सरकार की विदेश नीति की आलोचना करना सारहीन है । जो लोग ऐसा करते हैं वह अपनी आदत से मजबूर हैं ।

श्री रंगा और श्री हेम बरुआ स्पष्ट रूप से हमारी गुटों से अलग रहने की नीति, तटस्थता, आदि की आलोचना नहीं करते परन्तु वह किसी न किसी ढंग में इसकी आलोचना करते रहते हैं । चीनी आक्रमण के परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें रूस और अमरीका दोनों ने हमारी नीति के साथ सहानुभूति प्रकट की और इस की प्रशंसा की । अन्तर्राष्ट्रीय लोक-तंत्र की सफलता की दृष्टि से तटस्थता की नीति अत्यन्त आवश्यक है । इसी नीति के परिणामस्वरूप शांति के क्षेत्र में विस्तार हुआ है । इसी नीति के परिणामस्वरूप आज संसार के दो बड़े गुट एक दूसरे के निकट आ गये हैं । इस लिये हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी विदेश नीति सभी दृष्टिकोणों से समुचित है ।

हम आज इस विदेश नीति के बारे में अधिक कहना भी नहीं चाहते परन्तु मुझे विश्वास है कि इतिहासकार हमारी विदेश नीति के जो संसार में अच्छे परिणाम निकले हैं उन पर अवश्य प्रकाश डालेगा । इतिहास सदैव पश्चिमी लोगों द्वारा ही नहीं लिखा जायगा जो बहुधा तथ्यों को ठीक रूप में प्रस्तुत नहीं करते । । अफ्रीकी अथवा एशियाई इतिहासकार इस विषय पर अधिक प्रकाश डालेंगे कि शांति के उद्देश्य के लिये इस नीति का कितना योगदान है । हमारी विदेश नीति कोई नई बात नहीं है वरन् यह हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता की स्वाभाविक देन है । यह हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण के अनुकूल है कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय की भावना चाहते हैं । यह नीति हमारे सर्वोदय के दर्शन की उपज है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): हमारी गुटों से अलग रहने की नीति का केवल हमें ही लाभ नहीं हुआ है वरन् इससे अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिली है । किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य शांति की स्थापना और परस्पर समन्वय की भावना में वृद्धि करना होता है और हमारी विदेशी नीति के फल-स्वरूप यह उद्देश्य निष्पादित हुए हैं ।

गत कुछ वर्षों में कई अवसर आये जब अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के कारण तनाव बढ़ा परन्तु श्री नेहरू जी के नेतृत्व में इस नीति पर चलते हुये हमने उन झगड़ों को निबटाने में सफलता प्राप्त की । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे दो पड़ौसी देश-चीन और पाकिस्तान—इस नीति के विरुद्ध चलते रहे हैं । और चीन ने जिसके साथ हम मित्रता बनाये हुए थे और जिसकी हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हर प्रकार सहायता कर रहे थे, हमें धोखा दिया । परन्तु हमें सैनिक तथा अन्य पहलुओं से अपने देश को चीन का मुकाबला करने के लिये तैयार करना है ।

गुटों से अलग रहने की नीति का अनुसरण करके हम जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं यह हर्ष का विषय है कि वह उद्देश्य पूरा होता दिखाई दे रहा है । परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि एक महत्वपूर्ण घटना है । इसी नीति पर चलते हुए हमने विश्व के दोनों बड़े बड़े गुटों की उनके त्रुटिपूर्ण कार्यों के लिये आलोचना की चाहे वह मिस्र से चाहे हंगरी से संबंधित थे । और आज दोनों गुट हमारी नीति की सराहना कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने शेख अब्दुला की ओर निर्देश किया । वर्ष १९४७ में जब देश का विभाजन हुआ उस समय राज्यों को अधिकार था चाहे वह पाकिस्तान में प्रवेश करें चाहे भारत में । उस समय काश्मीर ने भारत में प्रवेश करने का निश्चय किया । पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण किया । वहां के लोगों पर तरह तरह के अत्याचार हुए । उस समय शेख अब्दुला ने काफी काम किया । मैं भी उस समय उनका एक सहयोगी था । हमने जिस प्रकार की सहायता भारत सरकार से मांगी वह हमें सहर्ष दी गयी । उस के लिये मैं आज आभार प्रकट करना चाहूंगा । काश्मीर में जब संविधान सभा बनी तो जो शेख अब्दुला ने उसमें भाषण दिया मैं उसे श्री रंगा और श्री याज्ञिक की जानकारी के लिये सभा पटल पर रखना चाहता हूं । जब संविधान सभा की बैठक की घोषणा की गयी उस समय निर्वाचन घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें चार मुख्य विषय थे । जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रवेश का अनुसमर्थन ; शासक को राज्य के सांवैधानिक प्रधान के रूप में रखने अथवा न रखने का विषय ; संविधान तैयार करने के विषय ; और चौथा विषय जिन भूस्वामियों से भूमि ले ली गयी थी उन्हें प्रति-कर देने का था । इन चार विषयों के बारे में संविधान सभा ने अन्तिम निर्णय लेना था । इसके पश्चात् शेख अब्दुला द्वारा दो परिवर्तन लाये गये । एक तो निर्वाचित सदरे-रियासत संबंधी परिवर्तन और दूसरा वह परिवर्तन जिसके अनुसार भूमि काश्तकारों को दे दी गयीं। इसलिये मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे दिल में शेख जी के लिये अब भी बड़ा सम्मान है । फिर शेख जी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आय और उसके परिणामस्वरूप जनता की भावनाओं में भी परिवर्तन आया । हमारे जो सैनिक वहां युद्ध रेखा पर उपस्थित थे उन्होंने भी महसूस किया कि लोग उनके बारे में ठीक नहीं सोचते । इस प्रकार संविधान द्वारा जिस उद्देश्य से वहां वह सरकार बनाई गयी थी वह उद्देश्य असफल होता दिखाई दिया हालांकि संचार का विषय भारत सरकार के अधीन था उसमें भी शेख अब्दुला ने हिचकिचाहट जाहिर करनी आरम्भ की । इस प्रकार बड़े प्रयासों और बलिदानों के पश्चात् जो कार्य निष्पादित

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

हुए थे उन्हीं को स्वयं शेख अब्दुला ने आघात पहुंचाना आरम्भ किया । जिस के परिणाम-स्वरूप कुछ मतभेद उत्पन्न हुए । फिर कानूनी तौर पर और संविधान के अनुसार जो कार्यवाहियां वांछनीय थीं की गयीं ।

१९५३ में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । १९५६ में उन्हें मुक्त कर दिया गया था । उनका व्यवहार कैसा था यह तो सारे संसार को पता है । अखबार है और उनके दिये हुए भाषणों का रिकार्ड भी मौजूद है । ऐसे हालात थे कि राज्य सरकार के लिये उन्हें खुला छोड़ देना असम्भव था । इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, परन्तु वैसे यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है । इस समय शेख और उनके साथियों पर षड़यन्त्र करने के आरोप में न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । उन पर बहुतही कड़ी निगरानी रखी जा रही है । जम्मू और काश्मीर की सरकार उन्हें काफी मुआवजा भी दे रही है । उनकी ओर से कुछ प्रमुख वकील पेश हो रहे हैं । उनकी पैरवी के लिए वहां की सरकार कई एडवोकेटों को फीसें भी दे रही है ।

इस संदर्भ में मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि काश्मीर के बारे में कुछ कहते समय सदस्यों को, विशेषत: प्रतिपक्षी सदस्यों को, अधिक सावधान रहना चाहिए । ऐसा न हो कि वे कभी ऐसी बातें कह जायें जिससे कि देश के हित को काफी हानि हो जाय । देशभक्ति के नाम पर उन्हें अपनी स्थिति भी स्पष्ट करनी चाहिए । इन शब्दों से मैं भारत सरकार की वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूं ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कल की अधूरी बात पूरी कर दूं । मेरा मतलब हर अध्यापक से नहीं था, केवल उसी अध्यापक से था जो पिटी पिटाई, अधूरी और गलत पढ़ाई पढ़ाया करता है ।

एक माननीय सदस्य : आप अध्यापकों का दर्जा नीचा करते हैं ।

डा० राम मनोहर लोहिया : सब अध्यापकों का नहीं, उस अध्यापक का जो पिटी पिटाई पढ़ाई पढ़ाया करता है । फिर भी मुझे विदेश मंत्री पर अचरज हुआ । उनको कमाल हासिल है, वह लोगों को उलझा दिया करते हैं । किसी को उलझा दिया रूस चीन के झगड़े में, किसी को काश्मीर में और किसी को वायस आफ अमरीका में, और विदेश नीति पूरी तरह से हम लोग, चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के यहां अच्छी तरह से देख नहीं पाये । मैं कोशिश करूंगा कि विदेश नीति को पूरी तरह से देखूं, और मेरा पहला वाक्य है कि वह प्राय: पूरी तरह से असफल रही है । क्योंकि खुद विदेश मंत्री ने दो कसौटियां बतलाईं । एक कसौटी देश की आजादी, जमीन और देश का हित, और दूसरी कसौटी विश्व व्यवस्था ?

पहली कसौटी के सम्बन्ध में हर एक को मालूम है कि १५ अगस्त, १९४७ के मुकाबले में हम लोग कम से कम १७ या १८ हजार वर्ग मील खो चुके हैं । उसमें हमारी विदेश नीति असफल रही, और अगर कोई पुरानी रेखा देखी जाय, कैलाश मान सरोवर वाली, तो हम लोग १ लाख वर्ग मील खो चुके है ।

जहां तक विश्व व्यवस्था का सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अकेले हिन्देशिया के सवाल को छोड़ कर, मुझे नहीं मालूम कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति ने दुनिया में क्या नई चीज बनाई है या किसी बड़ी बात को उकसाया है, कोई नई दिशा दी है । आखिर यह सब क्यों हुआ ? मेरा खयाल

है कि पहले दो चार वर्षों को छोड़ कर पिछले दस बारह वर्षों में हिन्दुस्तान आश्रित रहा है। काश्मीर के मामले में रूस के रोक वोट पर आश्रित रहा है। और पंचवर्षीय योजना के मामले में अमरीका के डालर पर आश्रित रहा है। जो आश्रित है वह स्वतन्त्रता की डींग हांक सकता है, स्वतन्त्र राय नहीं रख सकता है। इसलिये मेरा पहला कहना यह है कि जब तक हिन्दुस्तान इस आश्रय से छुटकारा नहीं ले लेता, काश्मीर के मामले में रूस के रोक वोट से और पंचवर्षीय योजना के मामले अमरीका के डालर से, तबतक उसके लिये स्वतन्त्र राय रखना प्रायः असम्भव है। उसका नतीजा यह हुआ कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति भय के हिसाब से चली। डर। अल्जीरिया अल्जीरिया के बारे में डर कि अटलांटिक कैम्प नाराज हो जायेगा जिसका नतीजा यह हुआ कि अफ्रीका और एशिया के देशों ने अल्जीरिया की वक्ती सरकार को मान लिया, साल डेढ़ साल तक उसे बनाये रखा। चीन हमसे बहुत आगे निकल गया, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार डर के मारे अल्जीरिया की स्वीकारोक्ति नहीं कर पाई। इसी तरह से आज डर है अरब देशों का इजराइल के सम्बन्ध में। लेकिन मैं बतला देना चाहता हूं कि अरब देशों का सब से अच्छा दोस्त यूगोस्लाविया है। वह इजराइल को मान्यता दिये हुए है। इसी तरह से कांगों में डर लगा हुआ था, और तभी उस बहादुर आदमी पैट्रिस लुमम्बा की हत्या के वक्त भी हिन्दुस्तानी अफसरों के रहते हुए भी हिन्दुस्तान की सरकार कुछ नहीं कर पाई। डर लगा हुआ था कि कांगो के बटवारे के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई वहां पर हो रही है उस में अगर हिन्दुस्तान की थोड़ी बहुत भी मदद हो गई तो कहीं अटलांटिक कैम्प नाराज न हो जाय। एक डर लगा हुआ था हंगरी का कि कहीं रूस न नाराज हो जाय अगर हम हंगरी के मामले में कोई बुनियादी राय बना देंगे। हालांकि हमने स्वेज नहर के मामले में एकहद तक ठीक राय बनाई थी लेकिन डर लगा हुआ था। इसलिये हम हुगली नदी के पाइलट स्वेज नहर के ऊपर नहीं भेज पाये। और चीन के सम्बन्ध में पहले डर लगा हुआ था तिब्बत का और अब लगा हुआ है उर्वशीयम का। नतीजा यह हो रहा है कि हमारी विदेश नीति किसी किसी कदर ठीक नहीं चल पा रही है। मैं वह बात बतलाऊंगा जिसको विदेश मंत्री अब तक विदेशी भाषा में कहा करते हैं, लेकिन मैं मूल भाषा में बतलाऊंगा :

"चित्त जेथा भयशून्य, उच्च जेथा शिर"

हमारे हिन्दुस्तान की विदेश नीति भयशून्य नहीं है इसलिये वह सफल नहीं हो सकती और देश का भला नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिये नहीं कि हमारे पास धन नहीं, सिर्फ इसलिये नहीं कि हमारे पास सेना नहीं है, बल्कि इसलिये कि इस विदेश नीति का सिद्धान्त नहीं, सोच नहीं सपना नहीं। हिन्दुस्तान आगे नहीं देख पाया। हमारे पास क्या नहीं था ? ४४ करोड़ आदमी, एक माने में कहा जाये तो ६० करोड़ आदमी, महात्मा गांधी, पुराना देश। यह सब हमारे हक में थे जिनके द्वारा हम अपनी विदेश नीति को सफल बना सकते थे, लेकिन इस सिद्धान्तहीनता ने हमें, खत्म कर डाला। इस सिद्धान्तहीनता का एक ही उदाहरण मैं देता हूं। चीन। सन् १९४९ से मैंने कहा है कि उस सिद्धान्त को लागू करो जिसके अनुसार जो कोई सरकार जिस किसी देश पर काबिज हो उसे मान्यता दी जाय, और जो सिद्धान्त विदेश मंत्रालय हमेशा बताया करता है उसके अनुसार सन् १९४९ से ही हमें एक तरफ तो माओ त्से तुंग के चीन की सरकार को और दूसरी तरफ च्यांग काई शेक के फार्मोसा की सरकार को मान्यता दिलाने की कोशिश करनी चाहिये थी। लेकिन यह नहीं हुआ। नतीजा हुआ कि अफ्रीका और एशिया के देशों के सामने कम्यूनिस्ट चीन का असली स्वरूप आ नहीं पाया, और सारे अफ्रीका और एशिया में एक यह गलत फहमी फैल गई कि यह कम्यूनिस्ट चीन और समाजवादी एशिया तो कहीं है नहीं, लेकिन नकली समाजवादी एशिया

[डा० राम मनोहर लोहिया]

और दूसरे इसी तरह के लोग करीब करीब एक ही थैली के चट्टे बट्टे बैठे हैं। थोड़े बहुत फर्क होगा तो होगा, नहीं तो बुनियादी तौर पर एकही दिशा में यह लोग जाते हैं।

अभी भी रूस और चीन के झगड़े के ऊपर जिस तरह से यहां सोच विचार हुआ है, उससे मुझे खतरा लगता है कि आगे भी हिन्दुस्तान की विदेश नीति किसी न किसी रेगिस्तान की तरफ जाती रहेगी क्योंकि कल के विदेश मंत्री के भाषण में नीति के हिसाब से सिर्फ एक जुमला मुझे दिखलाई पड़ा। बाकी जो था वह था, लेकिन वह जुमला यह था कि रूस और चीन का झगड़ा आज दुनिया की एक महत्वपूर्ण घटना है और उसका सहारा लेकर अब हम बच सकेंगे। नीति के हिसाब से रूस और चीन के झगड़े को सहारे के रूप में देखा जा रहा है। अन्धे और लंगड़े को कोई न कोई सहारा हमेशा चाहिये। जब और सहारे टूट जाते हैं तो एक सहारा यह बतलाया गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी हिन्दुस्तान के पास ऐसी ताकत है कि वह खुद अपने पैरों पर खड़े हो कर बिना सहारे के चल सकता है, लेकिन अगर ठीक नीति पर चला जाय। तो वह कैसे? चीन और रूस के असली झगड़े को समझा जाये।

सब से पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि रावण भी विद्वान था। चीन राक्षस है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चीन की ताकत कहां से आयी? इतना कमजोर होते हुए धन में, पलटन में, उन दोनों बातों में जिन में हम कमजोर हैं, वह आज रूस से मुकाबला कर रहा है, और न जाने कितनी गोरी दुनिया से मुकाबला कर रहा है, क्योंकि चीन के पास इतनी ताकत है कि वह रंगीन दुनिया का प्रतीक बन बैठा है। और अफ्रीका में, एशिया में, चाहे जितनी सरकारें इधर उधर जायें, लेकिन रंगीन आदमी का दिल चीन के साथ हिल जाता है, क्योंकि आस्ट्रेलिया में, साइबेरिया में, केलीफोरनिया में, जहां आज एक अन्तर्राष्ट्रीय जमींदारी चल रही है, वहां वे गोरे मुंह वाले एक एक वर्ग मील पर एक एक, दो दो, पांच पांच और सात सात की आबादी में रह रहे हैं। चीन ने अफ्रीका की आजादी के आन्दोलन में मुंह से भी और दूसरे तरीके से भी काफी मदद की है। लेकिन अब इसके यह मानी नहीं होंगे कि हम चीन की इस कार्रवाई से कुछ चीन की तारीफ करने लग जायें। मैंने कहा कि चीन राक्षस है। उसकी यह प्रतीक शक्ति होते हुए भी दुनिया में बड़े पैमाने पर राक्षसी वृत्ति को अख्तियार किया है और वह बन्दूक और हथियारों के जरिए दुनिया में गोरे और रंगीन के अन्याय को बदल देना चाहता है। और इसको दूसरे रूप से देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे जब जंगली जानवर को हांगकांग, मकाऊ, फारमोसा और क्युमाय का मांस तोड़ते हुए लगा कि दांत टूट जायेंगे तो उसने हिमालय के मुलायम मांस के ऊपर हमला किया। तो चीन की राक्षसी वृत्ति को पूरी तरह से पहचानते हुए मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी नीति को ठीक बनाना चाहिये।

अगर हम रूस और चीन के झगड़े में सिर्फ सहारा ढूंढेंगे रूस का तो फिर गलती कर जायेंगे, और मुझे कल से यह खतरा लग रहा है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति फिर एक नये रेगिस्तान में जा रही है। यह सहारा ढूंढना बिल्कुल बेमतलब है। हमें यह करना चाहिये कि जहां तक हो सके रंगीन दुनिया की मदनद करें। लेकिन हो सकता है कि इससे भी हमारा विदेश मंत्रालय डरे और सोचे कि ऐसा करने से अमरीका और रूस और दूसरे राष्ट्र और उनकी सरकारें नाराज हो जायेंगी। किसी हद तक शायद नाराज हों भी। लेकिन गोरी जनता है काफी तादाद में जो चाहती है कि जहां और अन्याय खत्म हों वहां गोरे और रंगीन का अन्याय भी खत्म हो।

और इसी के साथ साथ हमें यह भी सोचना चाहिये कि गोरे और रंगीन की लड़ाई हम से जहां तक हो सके चलायें, वहां राक्षस के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई हम से बन सके हम करें। और मुझे

बहुत दुःख होता है कि हिन्दुस्तान अभी भी राष्ट्र संघ में कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दिलाने की कोशिश करता रहता है। हिन्दुस्तान ने पिछले १५ वर्ष में सारे एशिया में एक दलदल बना रखा है। एशिया वैसे भी दलदल है, गरीबी का दलदल, कुनवा परस्ती का दलदल, विचार का दलदल, और सिद्धान्तहीनता का दलदल। इस दलदल में हिन्दुस्तान ने सिद्धान्त के खूंटे नहीं गाड़े। इसलिये मेरी पहली तजवीज यह होगी कि एशिया के इस दलदल में सिद्धान्त के खूंटों को गाड़ो। और यह तभी हो सकता है जब हिन्दुस्तान की तरफ से चीन के बारे में साफ बताया जाए कि हम चीन को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन उसूल के हिसाब से दोनों चीनों के लिए कोशिश करेंगे।

मैं आप से एक अर्ज यह कर दूं कि जब हम ने सन् १९४९–५० में ये बातें कहीं थीं तो लोगों ने कहा था कि यह बका करता है। लेकिन अब पता चला है कि रूस ने भी उस जमाने में ये बातें कही थीं और चाहा था कि दुनिया के तनाब को कुछ कम किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान की सरकार इस दिशा में सोचते हुय घबराती है। इसका कारण क्या है ? इसका कारण शायद यह है कि यह सरकार इंगलिस्तानं के उस बाम पंथ की चेला है जो मजदूर दल और रूस के बीच में नाचता रहता है। यह वाम दल मजदूर पंथ वाला नहीं है। यह तो उसका एक टुकड़ा है जो दोनों के बीच नाचता रहता है। उसका नतीजा यह है कि जब हिन्दुस्तान की सरकार किसी चीज को लेकर आगे बढ़ती है तो उधर से एक उकसाव आता है। एक उक्साव आया कि रूस और चीन के नेताओं में शिखर सभा हो, तो हमारी सरकार भी यह कहने लगी कि ऐसा हो। वहां से उकसाव आया कि निःशस्त्रीकरण करो तो हिन्दुस्तान की सरकार भी कहने लगी कि निःशस्त्रीकरण करो। वहां से उकसाव आता है कि अणुबम का निःशस्त्रीकरण करो, तो हिन्दुस्तान की सरकार भी उसे दुहराने लगती है फिर वहां से उकसाव आया कि आणविक परीक्षण बन्द करो तो यहां की सरकार भी वह दुहराने लगी। लेकिन यह कोशिश हमारी सरकार नहीं करती कि एशिया और अफ्रीका की हालत को देखते हुये, दुनिया की हालत को देखते हुये, हम नये ढंग से विचार करें। और मैं इस संबंध में आपके सामने एक विचार रखना चाहता हूं। जहां हिन्दुस्तान की सरकार ने राष्ट्रपति कनेडी और श्री ख्रुश्चेव की मुलाकात की बात कही निःशस्त्रीकरण वगैरह के बारे में और दुनिया में होने वाली और घटनाओं को लेकर, वहां अच्छा होता—होना तो यह दस पन्द्रह वर्ष पहले चाहिये था लेकिन अब भी हो जाये—कि हमारी सरकार इस दुनिया के दो सबसे बड़े मालिकों को कहती कि वे आपस में बैठें और दुनिया की गरीबी पर सोच विचार करें कि किस तरह दुनिया की गरीबी मिटायी जा सकती है। अगर मेरा वश होता और हिन्दुस्तान के विदेश मंत्री मेरी बात मानते, तो मैं कहता कि प्रेसीडेंट कनेडी और ख्रुश्चेव को कहा जाय कि वे तीन दिन के लिये, पांच दिन के लिये या सात दिन के लिये बैठें और गरीबी के बारे में सोचें और इस पर सोचें कि किस प्रकार खेतिहर दाम में और कारखाने के दाम में सन्तुलन कायम किया जाये। यह अन्याय हमेशा से चल रहा है और अभी जारी है खेतिहर दाम तीन चौथाई बढ़ा है जबकि कारखाने का दाम बढ़ा है एक। इसका नतीजा यह है कि हिन्दुस्तान जो अमरीका और रूस से विदेशी सहायता के रूप में पाता है उससे ज्यादा वह इन दामों की लूट के कारण उनको दे देता है तो मेरा कहना है कि इन दोनों विषयों को लेकर कनेडी और ख्रुश्चेव बैठें लेकिन सवाल उठेगा कि वे ऐसा क्यों करने लगे। गोरे लोग रंगीनों को क्यों मदद करें, कारखानों से माल तैयार करने वाले खेतिहर चीजों को पैदा करने वालों को क्यों मदद करें ? तो उसके लिये मेरा जवाब है कि सन १९४५ के बाद से एक नई शक्ल दुनिया में आ गयी है। अगले बीस तीस साल में या तो हथियार खत्म होंगे या दुनिया खत्म होगी। क्योंकि १९४५ के पहले कोई जीसस, कोई महात्मा गांधी हथियारों को बुरा कहते थे, अनुचित कहते थे, कहते थे कि उनका इस्तेमाल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हथियारों

[डा० राम मनोहर लोहिया]

के इस्तेमाल से कामयाबी हो जाया करती थी। लेकिन अब हथियारों का इस्तेमाल गैर-जरूरी और बेकार हो गया है। मैं असली हथियारों की बात कह रहा हूं। फिट फिट बन्दूक की नहीं जो कि चीन और हिन्दुस्तान वाले आपस में इस्तेमाल करते हैं। मैं उन असली हथियारों की बात कर रहा हूं जोकि रूस और अमरीका के पास हैं। उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। होगा भी नहीं क्योंकि अगर हुआ तो दुनिया के अन्दर जो तीन अरब आबादी है उसमें से दो अरब मारी जायगी। तो अगले बीस तीस वर्ष में इसका फैसला होने वाला है। जहां पहले जीसस और गांधी हथियारों को बुरा कहते थे वहां एक बिसमार्क भी आने वाला है जो हथियारों के निकम्मेपन को समझते हुये हथियारों को खत्म करके छोड़ेगा। बिसमार्क तो मैंने यूं ही कह दिया। इतनी ताकत एक अकेले आदमी की कहां हो सकती है। वह आदमी तो दलों और समूहों का प्रतीक होगा क्योंकि दलों और समूहों से अलग व्यक्ति क्या कर सकता है। ऐसे व्यक्ति समूह के साथ नहीं रहते तो बेकार हो जाया करते हैं। तो ये हथियार या तो खत्म होंगे या दुनिया खत्म होगी। और हथियार कब खत्म होंगे, जब अन्याय खत्म होगा। तो मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान की विदेश नीति तभी कामयाब होगी जब कि दुनिया में जो सात क्रांतियां इस वक्त चल रही हैं, और एक भला हो रहा है, उसके साथ वह दिल खोल कर एक हो जाये, उसके पहले नहीं।

इससे पहले मैंने स्पर्श क्रांतिकारिता का पहले जिक्र किया था और श्री अशोक सेन ने पूछा था कि वह क्या है, तो मुझे अच्छा लगा था। तो मैं बताना चाहता हूं कि यह स्पर्श क्रांतिकारिता क्या चीज है। इसको समझने के लिये इंगलैंड के दो विश्वविद्यालयों को समझना जरूरी है। वहां जो स्नातक से नीचे लड़के पढ़ते हैं वे क्रांतिकारी बन जाते हैं, लेकिन कैसे ? अपने देश में कोई चीज न बनाओ और न बिगाड़ो, न हिलाओ और न डुलाओ, लेकिन जो कोई बाहर से, विदेश से, कोई क्रांतिकारी आये तो उसको छू लेने से अपने अन्दर भी कुछ थोड़ी क्रांतिकारिता महसूस करने लग जाओ। जब तक यह स्पर्श क्रांतिकारिता रहेगी तब तक हमारी विदेश नीति सपना नहीं देखेगी, और इसने सपना नहीं देखा है। जब कभी मुझे जैसे आदमी ने इस तरह की तजवीज रखी तो यही कहा गया कि तुम तो व्यावहारिक नहीं हो, तुम्हारी बात का कोई मतलब नहीं है, इसका असर नहीं पड़ता, आज जो दुनिया की वस्तुस्थिति है उसको यह छूती नहीं आदि। लेकिन मैं पूछता हूं कि पिछले १५ वर्षों में हमारे देश की विदेश नीति ने क्या हासिल किया है, उसका कितना असर पड़ा है, उसका कितना असर हमारे पड़ोसियों पर पड़ा है ? और जब तक यह ख्याल दिमाग में रहेगा तब तक हिन्दुस्तान कुछ भी नहीं कर पायेगा। १५ वर्ष बीत गये। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कोई सपना, कोई सिद्धांत पकड़ कर उसके साथ चलना चाहिये। अगर हमने ऐसा किया तो उसका असर दस बरस में नहीं तो पन्द्रह बीस बरस में जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो विश्व-शांति की एक थोथी पैगम्बरी चलती रहेगी और चालाकी की कूटनीति। पिछले १५ वर्ष की हिन्दुस्तान की विदेश नीति के लिये अगर मुझ को कोई भी नारा देना पड़े तो मैं कहूंगा कि विश्वशांति की थोथी पैगम्बरी और चालाकी की कूटनीति। इसमें सिद्धांत नहीं, इसमें सोच नहीं, इसमें सपना नहीं, और उसका नतीजा हमारे देश हित के लिये खतरनाक हुआ है। आप पड़ोसियों से हमारे संबंध देखिये जो कि विदेश नीति की सबसे बड़ी कसौटी है। हमारे पड़ौसी कौन देश हैं ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत--तिब्बत बेचारे को तो मैं क्या गिनाऊं। नेपाल, बर्मा और श्रीलंका। एक देश का नाम भी मुझे इस सदन में बतलाया जाये कि वह हिन्दुस्तान का पड़ोसी देश है जोकि चीन के मुकाबले में हिन्दुस्तान का ज्यादा बड़ा दोस्त है ? कोई नहीं है न ? एक भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जो चीन के मुकाबले में हिन्दुस्तान का ज्यादा बड़ा दोस्त है। लेकिन इस के विपरीत हिन्दुस्तान के मुकाबले में चीन के बड़े दोस्त इन पड़ोसी देशों में मिल जायेंगे। इन पड़ोसी देशों में एक या दो, तीन देश ऐसे मिल जायेंगे

लेकिन हमारा उनमें से कोई भी ज्यादा बड़ा दोस्त नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात के बाद भी अगर कोई सदस्य खड़ा होकर इस विदेशी नीति को सफलता की डींग हांकता है तो वह वस्तुस्थिति से संबंध नहीं रखता है। ऐसा क्यों हुआ ? मैं समझता हूं कि जिस पार्टी की यह सरकार है, उसकी सबसे पहले विदेशी नीति का जो प्रस्ताव हुआ था वह सन १९१८ या १९१९ को हुआ था, उसको भुला दिया गया है। मुझे मालूम नहीं किस ने वह प्रस्ताव लिखा था ? लेकिन लिखावट से ऐसा मालूम होता है कि उसे महात्मा जी ने लिखा था। वह एक छोटा प्रस्ताव था। बाद में बहुत लम्बे लम्बे प्रस्ताव होने लगे। उस छोट से प्रस्ताव में यह लिखा हुआ था कि आजाद हिन्दुस्तान को सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी देशों की फिक्र करनी चाहिये और मेरा सब से बड़ा आरोप यह है कि हिन्दुस्तान की विदेशी नीति ने अपने पड़ोसी देशों की या तो उपेक्षा की या दम्भ किया या उनके सामने गलत उदाहरण रक्खा।

अब गलत उदाहरण रखने की मैं एक ही बात कहता हूं। जिस तरह से हिन्दुस्तान की हुकूमत टूट गयी दो खेमों में, उसी तरीके से पड़ोसी देश की सरकारों ने भी सोचा कि हम भी दो खेमों में टूट जायें तो शायद हमें भी कुछ हासिल हो जाये। नतीजा यह हुआ कि इस देश की सरकार कुछ थोड़ा सा सोवियत कैम्प या चीनी कैम्प की तरफ भी झुकने लग गयी।

यह भी एक सबब हो सकता है। हो सकता है, यह भी एक सबब है। हम अंग्रेजी में अपनी विदेश नीति चला रहे हैं जिसके कि सबब से हिन्दुस्तान और दुनिया का कोई हित नहीं कर पाता। मैं पिछले १५–२० दिन से सुन रहा हूं। विदेश मंत्री थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते भी हैं लेकिन जिस तरीके से वह चीनी हमले के लिये "नापसन्द" का शब्द इस्तेमाल करते हैं, मैं सोचने लग जाता हूं कि आखिर उन्हें हो क्या गया है ? जैसे कि उन्होंने अंग्रेजी में चीन के हमले के लिये इनवैजन का शब्द इस्तेमाल किया और फिर चीन के बारे के काम के बारे में "डिस्एँप्रूव" का शब्द इस्तेमाल करते हैं, इतने हलके से शब्द जो वह चीन के लिये इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं समझता कि यह वह जानबूझ कर करते हैं या इसलिये करते हैं कि उनका दिमाग टूटा हुआ है। एक तरफ तो वह समझते हैं कि चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया और दूसरी तरफ कोई मामूली सी गड़बड़ी है, कहीं पर जरा कहा सुनी हो गयी इसलिये हम उसको नापसन्द करते हैं। यह शब्द प्रधान मंत्री इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि इसका एक कारण यह भी है कि हम लोग अंग्रेजी में कार्यवाही करते हैं। अंग्रेजी के शब्दों के ठीक मतलब को हम समझ नहीं पाते लेकिन उनको इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिसका कि नतीजा यह होता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में जब हिन्दुस्तान का कोई प्रतिनिधि बोलता है तो वह कभी कोई मार्के की बात कह नहीं पाता है। अश्चेव बोलते हैं तो अपने पेट से बोलते हैं और अपनी छाती से बोलते हैं लेकिन हिन्दुस्तान का प्रतिनिधि कंठ से बोलता है जिसे कि सुन कर अंग्रेज और अमरीकी कहते हैं कि तोता बड़ा अच्छा बोला लेकिन उसका कोई असर नहीं हो पाता है। अगर हिन्दुस्तान की विदेश नीति को बदलना चाहते हो तो सब से पहले उसका माध्यम बदलना पड़ेगा।

अब इसी के साथ साथ हमें सोच विचार करना पड़ेगा अपने उन दो सवालों पर जिन पर कि मैंने शुरू किया था अर्थात् पाकिस्तान और विदेशी मदद, क्योंकि जब तक इन दोनों मामलों में हम दुनिया के ऊपर आश्रित रहेंगे, रूस और अमरीका पर आश्रित रहेंगे, तब तक स्वतंत्र नीति अपना नहीं पायेंगे। पाकिस्तान के संबंध में सब से बड़ी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अक्सर वहां की सरकार और वहां की जनता में फर्क नहीं करते जोकि बहुत बुरा है। पाकिस्तान की सरकार को मैं उतना ही गन्दी समझता हूं जितनी कि हिन्दुस्तान की सरकार को लेकिन पाकिस्तान की जनता के साथ मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता के अच्छे, गाढ़े और गहरे संबंध हों. . . .

(अन्तर्बाधायें)

एक माननीय सदस्य : क्या तुलना आप ने की है ? इस बात को कहते हुये बड़ा अभिमान है आपको ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अजी अभिमान तो हुजूर लोगों को है जिन्होंने कि पिछले १५ वर्ष में इस सरकार की देशी और विदेशी..... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : डा० साहब दूसरी तरफ तवज्जह न देकर मेरी तरफ ही ध्यान बनाये रक्खें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप की तरफ ही मुखातिब हूं. . .

एक माननीय सदस्य : यह स्वभिमान है आपका ?

डा० राम मनोहर लोहिया : स्वाभिमान की बातें करते हो ? अपने देश की १७—१८ हजार वर्गमील भूमि को खोकर भी स्वाभिमान की बातें करते हो ? हिन्दुस्तान के बटवारे को मानने वाले लोगों के दिमाग में एक बार भी यह नहीं आया कि इसको जोड़ने का भी कभी इंतजाम किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मैं डाक्टर साहब से कहूंगा कि अपना हमला मुझ पर ही फेंकें । मैं सब सहने के लिये तैयार हूं । मेहरबानी करके वे मेरी तरफ ही अपना ध्यान बनाये रक्खें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब जो लोग मुझे टोकते हैं तो फिर मुझे कुछ जवाब उनको देना पड़ जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : आप उधर बिलकुल ध्यान ही न दें । आप अपनी बात कहे जायें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस संबंध में काश्मीर का अक्सर जिक्र आया करता है । मैं काश्मीर के मामले में बिलकुल साफ कह देना चाहता हूं कि जिस तरीके से नहरी पानी की समस्या को लेकर या किसी और चीज को लेकर एक तरफा समझौता करने की कोशिश की गई, काश्मीर के मामले में कुछ आने जाना वाला नहीं है क्योंकि आज अगर काश्मीर पाकिस्तान को दे भी देते हैं तो भी हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का झगड़ा खत्म नहीं होता है । कोई न कोई मामला फिर शुरू हो जायेगा । किसी न किसी दूसरे तरीके से फिर यह झगड़ने लग जायेंगे । इसलिये इस सारे मामले का एक पूरा सुलझाव निकालना चाहिये और मेरी समझ में महा संघ के अलावा और कोई तरीका हो नहीं सकता है । हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की महा संघ को बनाने की कोशिश होनी चाहिये । अब सवाल यह उठता है कि मुझे यह कहा जायेगा कि तुम अजीब सपना देखते हो, तुम कितने पागल हो गये हो ? आज हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का मामला इतना बिगड़ा हुआ है कि पाकिस्तान चीन के साथ हर तरह का समझौता करने को तैयार है और तुम महासंघ बनाने की बात करते हो ? तो मैं खाली एक ही बात कहूंगा.....

श्री श्यामलाल शर्राफ : यह कैसे होगा ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जरा सपना देखना शुरू करो फिर देखना कि यह कैसे होता है । सपना देखना बन्द कर दिया है । जिस सरकारी पार्टी ने हिन्दुस्तान के बंटवारे का प्रस्ताव किया था उसी सरकारी पार्टी के प्रस्ताव में यह चीज थी, क्योंकि उस समय और एक के साथ मैं भी बुला लिया गया था । हुजूर विदेश मंत्री ने जो प्रस्ताव उस वक्त रक्खा था उसमें सिर्फ बंटवारे की स्वीकारोक्ति

हुई थी, तो मैंने कहा था, हालांकि वह मेरी कमजोरी थी, मानना बिलकुल नहीं चाहिये था। उसमें एक जुमला यह भी रक्खा था जिसमें हिन्दुस्तान के काश्मीर से लगा कर कन्याकुमारी तक और सुदूर पूर्व से लेकर पश्चिम तक, यह सारा एक हिन्दुस्तान का हमने नक्शा देखा, उसकी पूजा करना सीखा, उसको हम कभी भूलेंगे नहीं, तो मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को याद दिलाऊंगा कि जिस प्रस्ताव में उन्होंने बंटवारा माना, उसी प्रस्ताव में समूचे और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का भी जिक्र है और यह कि दिल में हमारे उसकी तस्वीर बनी रहगी लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह तस्वीर कांग्रेस हृदय से बिलकुल मिट चुकी है। वह तस्वीर फिर से अपने देश के हृदय में आनी चाहिये. . . ।

श्री श्यामलाल शर्राफ : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय सदस्य से एक सवाल पूछने दिया जाय। एक बड़े लीडर बोल रहे हैं और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के फिर से एक होने की बात कह रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि वे हमें बतायें कि यह कैसे मुमकिन हो सकेगा ? हम लोगों को खुशी ही होगी अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान फिर से एक हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब मेरे पास इसका वक्त नहीं है कि मैं डा० साहब को तफसील में इस बारे में बयान करने दूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : चूंकि यह सपना देखना बन्द कर दिया है इसीलिये हमें वह मुमकिन नहीं दिखाई देता है। आखिर पाकिस्तान किस तरह से बना ? वह इसलिये बना कि कुछ लोगों ने इंग्लिस्तान में हिन्दुस्तान से इतनी दूर पाकिस्तान का सपना देखा था। भले ही वह गलत सपना रहा हो लेकिन ऐसा सपना कुछ लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद जिन्ना साहब ने और मुस्लिम लीग ने वह सपना देखा था और आगे चल कर उनका सपना साकार भी हुआ। लेकिन हम हिन्दुस्तानी इस वक्त कैसा रुख लेते जा रहे हैं ? एक आदमी द्वारा सपना देखते हुये और वह चाहता भी है कि तुम लोग भी सपना देखना शुरू करो लेकिन बीच में रोड़ा अटकाते हैं और यह कह देते हैं कि नहीं हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के एक होने की बात सोच ही नहीं सकते. . .

अध्यक्ष महोदय : जब वह सपने का नाम लेते हैं तो सभी सपना देखने लग जाते हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

डा० राम मनोहर लोहिया : सपने की बातें हैं। **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

डा० राम मनोहर लोहिया : यहां पर लोग सिखाए हुए बैठे रहते हैं, जो कि वस्तु-स्थिति के मामले में इतने फंस जाते हैं कि कोई भी सपना नहीं देख पाते। ऐसे लोग होते, तो अब तक हिन्दुस्तान आजाद भी न हो पाता और अध्यक्ष महोदय, कोई न कोई अंग्रेज आप की जगह पर बैठा रहता और कोई गुलाम सभा यहां पर चलती होती। हमने सपने देखे थे, तभी हम आजाद हुए। आज मैं यह सपना देख रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि अगले पांच, दस, बीस वर्ष में हिन्दुस्तान और पकिस्तान एक हो कर रहेंगे—उन का महासंघ बनेगा और वे एक होंगे। जिस तरह आज चीन घमंड के साथ कहता है कि हम लोग साठ करोड़ हैं, तब हम भी घमंड के साथ तो नहीं, थोड़ी विनय के साथ, अपने को साठ करोड़ कह सकेंगे। उस महासंघ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब काश्मीर कहां रहता है, कहां जाता है, हिन्दुस्तान में रहता है या पाकिस्तान में जाता है या अलग इकाई बनता है और जो टूटा हुआ बंगाल है, वह फिर से एक होता है, इन सब सवालों पर तब हम एक नये सिरे से सोच सकते हैं।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मैं यह भी चाहूंगा कि यह सदन और खास तौर से प्रधान मंत्री बड़े संयम के साथ बोला करें। उस दिन मुझे हैरत हुई, जब मैंने सुना कि इस्लाम नामी जासूस का नाम तो प्रधान मंत्री ने ले लिया, लेकिन हिचक गये, जब कि दूसरे जासूस का नाम लेना था, और दूसरे दिन जा कर शर्मा का नाम हमारे सामने आया। ये छोटी छोटी बातें हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक हो जाया करती हैं, क्योंकि आख़िर जासूस कौन है? इस में हिन्दू और मुसलमान का फ़र्क नहीं है। जो कोई भी पैसे के लिये अपने देश के ख़िलाफ जाता है, वह जासूस है और ऐसे लोग दोनों में मिलेंगे। इस लिये इस बारे में कहीं भी, किसी एक वाक्य से भी, ऐसी ग़लती नहीं करनी चाहिये।

विदेशी मदद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज हम क्या हो गये हैं। आज हम उस भिखमंगे की तरह हैं, जिसे जब भीख नहीं मिलती, तो गाली देने लगता है। और रूस—या रूस नहीं तो अमरीका—जितने भी गोरे लोग हैं, वे उस दाता की तरह हैं, जो दे देने के बाद उम्मीद करते हैं कि लेने वाला . . .

एक माननीय सदस्य : दुआ देगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : . . . सिर्फ दुआ नहीं देगा, नाक रगड़ेगा। इस लिए यह जरूरी हो गया है कि अब हिन्दुस्तान अपने दिल को कड़ा कर के कदम उठाए और कहे कि इस तरह की विदेशी मदद हम नहीं लेते, ऐसी विदेशी मदद दुनिया में नहीं होनी चाहिए, जो एक देश दूसरे देश को दिया करता है। अब तो हम को विश्व विकास निगम बनाना चाहिए, जिस में देश अपनी ताकत के अनुसार दें और अपनी जरूरत के मुताबिक लें।

अगर हम इन दो मामलों में अपनी विदेशी नीति को स्वतन्त्र बना सकें, तो सम्भव है कि अब भी—मामला बहुत बिगड़ चुका है, पंद्रह बरस का रोग है और मरीज़ बहुत ख़तरनाक हालत में पहुंच चुका है—हिन्दुस्तान की विदेशी नीति को सबल बनाया जा सकता है। अगर हम यह समझते रहे कि हिन्दुस्तान की सरकार, उस के विदेश मंत्रालय और हमारे राजदूतों का यह काम है कि वे विदेशों में हमारे विदेश मंत्री की मूर्ति की रक्षा करते रहें, तो भारत की मूर्ति कभी बन नहीं पायेगी। अगर हम भारत की मूर्ति बनाना चाहते हैं विदेशों में, अगर हम भारत के हितों, भारत की आजादी, भारत की ज़मीन की रक्षा करना चाहते हैं, तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि पिछले पंद्रह बरस से विदेश मंत्रालय का जो एक ही मकसद रहा है कि श्री प्रधान मंत्री साहब की मूर्ति की विदेशों में रक्षा करें, उस मकसद को छोड़ दिया जाये, उस मकसद को छोड़ देना पड़ेगा और अपने हितों, अपनी आज़ादी और अपनी ज़मीन की रक्षा करनी पड़ेगी।

अगर आप चाहें, तो मैं एक मिनट में इस की एक मिसाल दे कर खत्म कर देता हूं—अगर आप की इजाज़त हो, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं। १९५१ में जब मैं अमरीका गया था, तो वहां पर कुछ अमरीकियों ने मुझ से सवाल पूछा कि हमारे राष्ट्रपति ट्रूमैन के बारे में तुम्हारी क्या राय है। मुझ में और सभा में कुछ एका कायम हो चुका था और राष्ट्रीयता की जो दीवालें हैं, वे कुछ गिर चुकी थीं। जब मैं ने इस का जवाब दिया, तो वे अमरीकी लोग बड़े परेशान से हो कर बोले कि तुम पूरी बात नहीं कह रहे हो—जब तुम वापस जाओ हिन्दुस्तान में, तो ट्रूमैन को साथ लेते जाना। तभी मुझे एक ही जवाब सूझा, जो भारत की मूर्ति बनाता था, लेकिन भारत की मूर्ति को बना कर जो प्रधान मंत्री की मूर्ति को किसी कद्र गड़बड़ कर देता था—ज्यादा गड़बड़ नहीं करता था, शायद उन को भी ऊंचा बनाता था—और मैंने कहा कि

हां, मैं एक शर्त पर ट्रूमैन को अपने साथ हिन्दुस्तान ले जाने को तैयार हूं और वह शर्त यह है कि आप हमारे प्रधान मंत्री, नेहरू साहब, को अमरीका बुला लो और यहां पर उन को बास करने दो ।

इससे अमरीकी जनता के मन में, जो कि मुझे सुन रही थी, यह आया कि जिस तरह से हम लोकतंत्री हैं, उसी तरह से ये भी लोकतंत्री हैं और हिन्दुस्तान में कई तरह के विचार हैं, जो आपस में टकराते हैं और लोकतंत्र के अनुसार उन को मौका मिलता है ।

विदेशी नीति में यह बहुत जरूरी है कि जनता का जनता से सम्बन्ध कायम हो । इस वक्त केवल सरकार का सरकार से सम्बन्ध हो रहा है । हम लोगों को तो जाने दीजिए । हमारे बारे में तो कह दिया जाता है कि ये लोग तो ख़ाली हल्ला मचाया करते हैं । लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हिन्दुस्तान की विदेशी नीति का कोई बड़ा सवाल, नई दिशा की तरफ ले जाने वाला सवाल, नहीं उठाया जाता है । सब सरकार के मोहताज हो गए हैं । मैं मानता हूं कि उन्नीसवीं सदी के मुकाबले में बीसवीं सदी की यह कमजोरी रही है कि जनता का जनता से सम्बन्ध टूटा है और सरकार का सरकार से बढ़ा है, लेकिन कम से कम हम यह कोशिश करें कि सारे विश्व के पैमाने पर जनता का जनता से सम्बन्ध कायम हो ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धरवर उत्तर) : यह कहना गलत है कि हमारी तटस्थता की नीति असफल रही है । मेरे विचार में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमारी तटस्थता की नीति हमारे नेताओं और जनता की सूझ बूझ और अक्लमंदी का परिणाम है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

हमने यह नीति को विवश हो कर नहीं अपनाया प्रत्युत काफी सोच समझ कर अपनी शक्ति के बल पर अपनाए हैं । इससे बहुत बड़बड़े लाभ हुए, हैं । यदि कुछ लोगों के कहने पर हम इसे छोड़ दें तो यह बुद्धिमत्ता की बात नहीं होगी ।

इस समय सब से महत्वपूर्ण समस्या पाकिस्तान और चीन से हमारे सम्बन्धों की है । जहां तक चीन के साथ हमारे विवाद का सम्बन्ध है, अनेक देश हमारे साथ हैं; चीन नितान्त अकेला पड़ गया है । यह सचमुच हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस प्रकार के शत्रु का मुकाबला करना पड़ रहा है जिसकी मनोवृत्ति ही युद्ध करने की ओर है । हम ही नहीं बल्कि और भी कई अन्य देश चीन की धोखादेही के प्रति आंशकित हैं । अब चीन अपने हाथ रूस की ओर कर रहा है । यह तो सर्वविदित बात है कि रूस चीन की हर हालत में सहायता करता रहा है । पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा अब केवल सीमा विवाद ही नहीं रह गया । अब तो उससे झगड़ा बड़ा व्यापक रूप धारण कर चुका है ।

कुछ लोगों का आरोप है कि भारत तैयार नहीं था । यह ठीक है कि भारत तैयार नहीं था, इसलिये कि वह युद्ध नहीं चाहता था । चीन और भारत ने अपने विकास का कार्य एक ही वक्त में आरम्भ किया था । भारत अपना समय कल्याण कार्यों में लगाता रहा और चीन युद्ध की तैयारी करता रहा । भारत किसी पर आक्रमण नहीं करेगा परन्तु अपनी रक्षा पूरी शक्ति से करेगा । चीन के दीमाग में युद्ध हमेशा रहा है यही कारण है कि संसार अधिकांश देश भारत के साथ हैं ।

जब संकट सिर पर आ गया तो निस्सन्देह भारत ने अपना कर्तव्य पूरा किया है । हम चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिये खड़े हो गये हैं । इस चीनी खतरे को पीला खतरा

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० सरोजिनी महिषी]

कहते हैं। इस खतरे को भारत के अतिरिक्त और देश भी अनुभव करते हैं। उनकी जनसंख्या का प्रश्न है। इस जनसंख्या का प्रश्न चीन से हल नहीं हो पा रहा। यदि चीन यह शक्ति मानव कल्याण के लिये लगा देता तो सर्वत्र उसे श्रेय मिलता। परन्तु उन्होंने मूर्खता की, भारत पर हमला कर दिया। इस तरह चीन का खतरा भारत के सामने आया और उसे चीन के प्रति अपनी नीति को बदलना पड़ा। पाकिस्तान भी चीन से मिल गया है। दोनों भारत को अपना सामान्य शत्रु घोषित कर रहे हैं। इस पर भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घट रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारी तटस्थता ने की नीति का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिये। परमाणु-परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं और चीन अकेला पड गया है। चीन और रूस के मतभेद भी तीव्र हो रहे हैं यह भी एक बात है। यह खेद का विषय है कि आपातकाल में साम्यवादियों को प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। इससे लोगों के दोमागों में कई तरह के भ्रम पैदा हुए हैं।

भारत तो अपनी परम्परा और इतिहास के अनुसार चलेगा। भारत का आज जो संसार में गौरव वह उसके नेताओं के कारण है, जिनमें तिलक, गांधी और नेहरू सब से प्रमुख हैं। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश का नेतृत्व गांधी और नेहरू जैसे नेताओं ने किया है। आज जवाहरलाल नेहरू संसार के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अतः जो भी हालात बन रहे हैं उनकी पृष्ठभूमि में हमें अपनी नीनि का एक बार पुनरीक्षण कर लेना चाहिए।

†**श्री बाल कृष्ण वासनिक** (गोंडिया): हमारी विदेश नीति शांति और सह अस्तित्व की नीति है। यह बड़ी ठोस नीति है, इससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तनाव कम हो सकता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा की दृष्टि से भी यह बड़ी अच्छी नीति है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का आदर किया जाता है; किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति को अपनाने वाले देशों की संख्या में उत्तरोत्तर काफी वृद्धि हो रही है। श्री रंगा के कहने पर हम अपनी इस नीति को छोड़ नहीं सकते। किसी राष्ट्र की विदेश नीति उसकी शक्ति का प्रतीक होती है। हमारी नीति ठोस है और मैं चाहता हूं कि जिन अधिकारियों को इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए लगाया गया है उन्हें भी इस में विश्वास होना चाहिए।

इस संदर्भ में मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए। विदेशों में अपने प्रतिनिधि के रूप में केवल वे ही व्यक्ति भेजे जायें जो हमारी बात मानते हो। उनका न केवल इस नीति में विश्वास होना चाहिए, प्रत्युत उसके कार्यान्वित करने में भी उनकी निष्ठा होनी चाहिए। विदेशों में हमारी प्रचार व्यवस्था भी सुधारी जानी चाहिए। हम बाहर से सहायता प्राप्त कर रहे हैं यह स्वाभाविक है कि जो कोई हमें सहायता देता है वह अपने विचारों के अनुसार हमारी नीतियों को प्रभावित करना चाहता है। परन्तु सचमुच यह बहुत ही गर्व की बात है कि इतने दबाव के होते हुए भी हम अपने विदेशी सम्बन्धों में एक स्वतन्त्र नीति का पालन कर रहे हैं।

आज समस्त विश्व में हमारी नीति को समझा जा रहा है। और उसकी सराहना हो रही है। पाक-चीन की जो विचित्र मैत्री हुई है, उससे भी विदेशों ने हमको अधिक समझा है। हमारी प्रचार मशीनरी ने इस बारे में कुछ नहीं किया। इस दिशा में हमें अपने विदेशी मशीनों द्वारा कार्य को तीव्र करना है। ऐसे लोगों को इस कार्य में लगाना है जिन्हें

†मूल अंग्रेजी में

प्रचार करने की भावना से कार्य करना आता हो। आफीसरशाही, तथा नौकरशाही की भावना वाले लोगों को मिशनों में नहीं लगाना चाहिए।

अन्त में मेरा निवेदन यह है कि श्री नेहरू के नेतृत्व में भारत स्वतन्त्र हुआ है, और उनकी स्वतन्त्र भावना ने हमें संसार के संघर्ष में भी स्वतन्त्र ही रखा हैं। भविष्य में भी हम श्री नेहरू के नेतृत्व में अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। उनकी गृह-कार्य नीति तथा वैदेशिक नीति दोनों ही सफल होगी।

†**श्रीमती गायत्री देवी** (जयपुर): मुझे हर्ष होता यदि मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हो सकती कि सामूहिक तौर पर हमारी वैदेशिक नीति सफल रही है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संसार में, विशेषतः दक्षिण पूर्व एशिया में, हमारा सम्मान कम हुआ है। हम अपनी सीमाओं पर कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही करने में भी असफल रहे हैं। पाकिस्तान चीन की गोद में जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को अलग अलग रखने के लिए कार्यवाही न कर सकने के लिए हमारी कूटनीति असफल हुई हैं। अतः हमारी विदेश नीति सफल नहीं कही जा सकती।

चीन के सम्बन्ध में तो हमारी विदेश नीति १९५८ से ही भ्रामक रही है। हम चीन को अपना मित्र समझते रहे और उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। आज भी प्रायः उसी प्रकार की स्थिति है। वैदेशिक कार्य मंत्रालय भी इस बात को स्वीकार करता है कि विरोध पत्रों की नीति सफल नहीं हुई है। इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ है। हम सभी जानते हैं कि अन्य देशों से सैनिक सहायता की आवश्यकता के कारण हमारी नीति में परिवर्तन हो गया हैं। इस पर भी सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि हमारी नीति नहीं बदली है। मेरी राय में इससे वह सहायता जो हमारे मित्र देश हमें देना चाहते हैं प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि विदेशों के साथ हमारे सम्बन्धों पर हमारी आन्तरिक स्थिति की सीधी प्रतिक्रिया होती है। यदि हम मूलतः कमजोर हों, तो यह शासक दल की कमजोरी है। कोई राष्ट्र भी एक बड़े मजबूत मध्यम वर्ग के बिना ईक्ति शाली नहीं हो सकता। हमने भारत में मध्यमवर्ग को आर्थिक तथा राजनीतिक तौर पर तबाह कर दिया है।

हम यह दावा करते है कि हम जनता का प्रतिनिधित्व करते है। परन्तु जब जनता की कोई बात की जाती है तो वह सुनी ही नहीं जाती। यदि आप जनता की आवाज सुनने तो क्या यह स्वर्ण नियन्त्रण आदेश, और अनिवार्य बचत की योजनायें बनती। यदि हम चाहते है कि विदेशों में हमारा आदर हो तो हमें देश को आन्तरिक तौर पर शक्तिशाली बनाना होगा। एक बात तो स्पष्ट ही है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय संसार भर में जो हमारा मान था, वह आदर आज अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारा नहीं है। इसका कारण यह है कि हमने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों और अफ़्रीका के देशों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत नहीं बनाये। तिब्बत के दुर्भाग्य पर भी प्रायः हम मौन ही रहे हैं। हमने फारमोसा को अभी तक भी मान्यता नहीं दी है। हमें चीनियों को पहल करने का अवसर नहीं देना चाहिए। हम स्वतन्त्र तिब्बत, जिसके मुखिया दलाईलामा हैं, को मान्यता प्रदान कर सकते हैं, फारमोसा को मान्यतः दे सकते है। और इस तरह इस दिशा में अपना कदम आरम्भ कर सकते हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि गत कुछ वर्षों में काफी संख्या में अफ्रीकी देश स्वतन्त्र हुए हैं। नये अफ्रीकी देशों को प्रभावित करने के लिए पश्चिमी और साम्यवादी शक्तियों में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती गायत्री देवी]

काफी होड़ सी लग गयी है। मेरा मत यह है कि ऐसे अवसरों पर बिना किसी निहित स्वार्थ के ठोस रूप में भारत को अपना योगदान देना चाहिए। अब जब कि वायस आफ अमरीका के साथ हुए करार को तोड़ा जा रहा है, तो सरकार को यह बताना चाहिए कि हम साम्यवादी प्रचार का किस प्रकार मुकाबला करेंगे।

अन्त में मैं प्रोफैसर ही० ना० मुकर्जी के आरोपों का उत्तर देती हूं। स्वतन्त्र पार्टी देशभक्त है अथवा नहीं इसका निर्णय तो देश करेगा। परन्तु इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि साम्यवादी दल के सब निर्णय मास्को अथवा पीकेंग में होते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी का विदेशों का दौरा काफी सफल रहा है।

†**श्री ज० रा० मेहता** (पाली): मुझे उन लोगों पर रहम आता है जो आज के १९६३ में भी हमारी वैदेशिक कार्य नीति की ओर सन्देह की दृष्टि से देखते है। देश पर हुए चीन के हमले के बाद इस नीति के जो मार्के हमारे सामने आये है; वे सचमुच बहुत ही कमाल के हैं। यदि तटस्थता की नीति की पुरानी सफलतायें छोड़ भी दे तो भी हमें चीन हमले के बाद की, अर्थात् अक्तूबर १९६२ के बाद की घटनाओं की ओर आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। दोनों गुटों से सम्बन्धित कई देशों ने हमलावरों को खदेड़ने के उद्देश्य से हमारी सहायता करने में जो तत्परता दिखाई यह इसी नीति के परिणामस्वरूप ही है। रूस और चीन के मतभेद भी हमारे सामने हैं, इसके परिणामस्वरूप हमें रूस की सद्भावना को प्राप्त करना है। एक बात महत्वपूर्ण है कि रूस के विरोध के बिना ही संयुक्त हवाई अभ्यास सम्बन्धी करार इतिहास में हमारी तटस्थता की नीति की महान सफलता के रूप में ली जायेगी। संसार के बड़े बड़े राष्ट्र और नेता यह महसूस कर रहे हैं कि इस नीति के मामले में हम काफी ईमानदारी से काम ले रहे हैं। इस सबके होते हुए भी लोग इस नीति की आलोचना करते है तो मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है। जब श्री रंगा जैसे लोगों को ऐसा करते देखता हूं जो यह आश्चर्य और भी बढ़ जाता है।

संसार के देश आज यह महसूस कर रहे हैं कि अलग अलग रह कर वे जीवित नहीं रह सकते। ऐसे लोग इस देश में है जो कि सरकार की हर बात का विरोध करना अपना धर्म समझते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कही चीन और रूस में युद्ध ही न ठन जाये। यह भी सम्भव है कि रूस और अमरीका का समझौता हो जाय। हमें सब बातों के लिए अपना योग देने के लिए तैयार रहना है। इसी तरह का मामला पंचशील का है। कितने खेद की बात है कि आचार्य कृपालानी जैसे लोग भी पंचशील को बकवास कह रहे हैं। मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि भारत को अपने महान ऋषियों और तत्व नेताओं के राह पर चल कर संसार का अध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करना है।

वायस आफ अमरीका तथा बोकारो के सम्बन्ध में हुए हाल ही की घटनाओं के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि अभी तक यह पता नहीं है कि इसका क्या रूप बनने वाला है। हमें इस दिशा में काफी सचेत तथा जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस बात से प्रत्येक व्यक्ति सहमत है कि करार की शर्तों पर उचित सावधानी नहीं बरती गयी है और उन पर ठीक ढंग से विचार नहीं किया गया है। भारत सरकार की इस बात को अमरीका सरकार स्वीकार करती है। परन्तु आश्चर्य की बात यह है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे विरोधी दलों के कुछ लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वायस आफ अमरीका तथा बोकारो दोनों के मामलों में स्थिति लगभग एक जैसी है।

यह कहा गया है कि पड़ौसी देशों से हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं है इसलिए तटस्थ नीति असफल रही है। यह गलत तर्क है। लगता है कि चीन के साथ हमारा विवाद वर्षों तक चल सकता है। इस विवाद में विजय प्राप्त करने के लिए हमें भारी बलिदान करने होंगे फूट डालने वाली प्रवृत्तियों से दूर रहना होगा तथा देश में सक्रिय हो रहे देशद्रोही तत्वों से सचेत तथा जागरूक रहना होगा।

श्री केप्पन (मुन्नातु प्रजा): आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तूफान के बाद सागर की स्थिति के समान शान्तिपूर्ण है। केरेबियन संकट के समय विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा था किन्तु अब कनेडी प्रारम्भिक अमरीका के राष्ट्रपति के शब्दों में परस्पर संदेह और घृणा के अंधकार में प्रकाश की रेखा दिखाई दे रही है।

भारत यद्यपि सैनिक शक्ति और धन की दृष्टि से महान देश नहीं है किन्तु अपनी परम्परा और महान नेताओं की शक्ति के कारण बड़ा है।

जब भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पदार्पण किया अनेक देश परस्पर लड़ रहे थे। उनमें परस्पर घृणा का साम्राज्य था। भारत अहिंसा तटस्थता अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और प्रेम की नीति लेकर आया। यह नीति विदेशी शासन के अधीन १५० वर्ष के संघर्ष का परिणाम थी भारत के दरिद्रता से मुक्ति पानी थी और उसके लिए शान्ति की आवश्यकता थी।

प्रारंभ में देशों की गुट बंदियां इस नीति को संदेह से देखती थीं किन्तु कोरिया इंडोचाइना और कोरिया की समस्याओं में भारत ने जिस नीति का समर्थन किया उससे गुटों को यह पता लग गया कि भारत की नीति नकारात्मक नहीं बल्कि गतिशील नीति है और इसी से विश्व का बचाव हो सकता है।

उस नीति से पंचशील का जन्म हुआ। भारत के पन्द्रह वर्षों के प्रयत्न से देशों को यह विश्वास प्राप्त हुआ कि गुटबंदी से तनाव पैदा होता है अतः आज गुट स्वयं टूट रहे हैं जैसा कि अयूब द्वारा पश्चिम गुट को तोड़ने और चीन द्वारा रूसी गुट के तोड़ने से प्रमाणित हो रहा है।

अमरीका और रूसने अनुभव कर लिया है कि अधिकाधिक शस्त्रास्त्र बनाने से विश्व की समस्या हल नहीं हो सकती। अब बड़े राष्ट्र तटस्थता की नीति के महत्व को समझने लगे हैं। यही कारण है कि भारत के तटस्थ होते हुए भी चीनी आक्रमण के समय संसार के ७० राष्ट्रों ने इसे सहायता प्रदान की। इस सम्बन्ध में एक सम्पादक ने ठीक ही कहा था कि इससे भारत की तटस्थता की नीति को विश्व का समर्थक मत प्राप्त हुआ है। संसार में अब परस्पर सहयोग की भावना पैदा हो रही है।

अफ्रीका के जो राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं वे भारत की नीति को अपनाकर कई गुटों से तटस्थ हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के लिए संघर्षशील है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और तटस्थता की नीति सफल हुई है और हमें संगठित हो कर प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिये ताकि विश्व में शान्ति और सुख का साम्राज्य पैदा हो।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर): मैं न तो सरकार की विदेश नीतियों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और न ही इसका अंधाधुंध समर्थन करना चाहता हूं। मैं देश की विदेश नीति की समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यापक पक्षपातहीन राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का समर्थन

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

करता हूं । इसमें लचीलापन होना चाहिये जिससे सभी दलों और लोगों के विचारों में सहमति पैदा हो सके । प्रधान मंत्री को इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील होना चाहिये इसी संकट का हल इस न्याय के दृष्टिकोण से करना चाहिये ।

चीनी आक्रमण के संदर्भ में हमें तटस्थता की नीति पर फिर से बल देना चाहिये क्योंकि यह नीति रचनात्मक विचार-विमर्श का परिणाम है । हमें अपनी नीतियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये । हाल ही में राष्ट्रपति केनेडी ने एक वक्तव्य में भारत की नीति की अभ्यर्थना की है और कहा है कि भविष्य में अफ्रीका और एशिया के देश इस नीति को अपनायेंगे क्योंकि वे अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखना चाहते हैं और देश की आन्तरिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं । अतः प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि इस नीति को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए इसे व्यापक राष्ट्रीय आधार पर स्थापित किया जाए ।

मैं आशा करता हूं कि हमारी सीमा पर चीन के खतरे और पाकिस्तान के चीन के साथ नये गठजोड़ को देखते हुए अमरीका अपने सम्बन्ध निर्माण में अधिक बुद्धिसंगत दृष्टिकोण को अपनाएगा । भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए और बार बार प्रस्ताव करने पर गलत अर्थ निकाला जाता है । जब तक यह विश्वास न हो जाए कि भेंट से कुछ परिणाम निकलेगा । तब तक भेंट करने का लाभ नहीं ।

भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी जगह प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि यह वास्तविक स्थिति के अधिक अनुरूप होगा । प्रधान मंत्री बतायें कि इस सम्बन्ध में उनका क्या मत है ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश के बारे में भारत की क्या नीति है और क्या सरकार दोनों चीनों की स्थिति को स्वीकार करती है ।

भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं विदेशों में विशेषतः बर्मा और लंका में भारतवासियों की स्थिति बहुत खराब है । लंका हमारा पड़ौसी और मित्र देश है और वहां बसे भारतवासियों को उचित स्थान दिलाने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना) : यह तो मानवोचित प्रतिष्ठा की बात थी कि वर्षों की गुलामी के बाद हम विदेशों की कठपुतली नहीं रहना चाहते थे अतः तटस्थता की नीति ही श्रेष्ठ है । चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद पहली बार भारत संगठित, सुदृढ़, सशक्त और विश्व के समक्ष एक संदेश प्रस्तुत करने वाला देश बना है ।

हमारे देश का तंत्र लोकतंत्रात्मक है अतः हम साम्यवादी गुट के भी समर्थक नहीं हो सकते थे । अतः हमारा सम्मानित और स्वतंत्र मार्ग तटस्थता का ही था । अनुभव की कसौटी पर भी यही नीति सफल प्रमाणित हुई है । यह नीति मानववाद और व्यावहारिकता की दृष्टि से भी आवश्यक थी । इस नीति की सहायता से हम देश को प्रगति के मार्ग पर ले चले हैं । भारत का विश्व के मामले में अत्यधिक महत्व है । इस समय चीन अकेला रह गया है और भारत को संसार से सहायता मिल रही है । यह इस नीति का ही परिणाम है ।

श्री राम सहाय पांडेय (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, हम ने इस सदन के क्षण में कई बार अपनी तटस्थता की नीति को दुहराया और समय समय पर सदन ने उस की स्वीकृति दी जिससे हमें बड़ा सम्बल मिला ।

श्रीमन्, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को दृष्टि में रख कर अगर आप विचार करें तो आप को अनुभव होगा कि संसार की ध्वंसात्मक विभीषिका के तट पर खड़े होकर हम ने कई बार इस सदन में शांति और विश्व बंधुत्व की बात दुहराई है। तटस्थता की नीति हमारी सार्वभौमिक प्रजातंत्रात्मक नीति है। इस नीति के अन्तर्गत हम ने न केवल अपने राष्ट्र की शांति की कल्पना की वरन् "वसुधैव कुटम्बकम", के सिद्धान्त पर और अपनी सनातन नैतिकता के आधार पर हम ने यह नारा बापू के माध्यम से और प्रधान मंत्री के माध्यम से सारे संसार को दिया । श्रीमन् तमाम विभिषिका युद्ध के बादलों का इतिहास, एक दूसरे के प्रति अविश्वास और छोटे और बड़े के भाव ने सारे संसार में तांडव नृत्य की स्थिति पैदा कर दी थी । क्यूबा की एक स्थिति थी। छोटे बड़े राष्ट्रों में जो द्वंद्व था वह आपके सामने ही था लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि सहअस्तित्व की बात, मानवता के धर्म की बात और एक दूसरे को निकट लाने की बात अगर सब से पहले किसी देश ने की होगी तो वह हमारे भारत देश ने की, बापू ने की और उन के बाद उन के उत्तराधिकारी नेहरू जी ने की ।

एक बार नीति का झगड़ा चला था । द्वंद्व था सिद्धान्तों में। एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच में होड़ थी ध्वंसात्मक अस्त्र-शस्त्र बनाने में, लेकिन जब मानवता त्राहि त्राहि करने लगी और सारी संकृति और मानवता की अनूभूतियां लड़खड़ा रही थीं, उस समय रूस ने, जिसको कि चीन ने पेपर टाइगर कहा, खुश्चेव ने सोचा कि एक है वह रेखा है, एक वह प्रकाश है जो एशिया को हिन्दुस्तान से आता है जिसका कि नाम भारत देश है जिस में सहअस्तित्व के सिद्धान्त की बात प्रज्वलित की थी. उस प्रकाश का आश्रय लिया और भय से मुक्त हो कर शांति के साथ, शक्ति के साथ और मानव प्रदत्त के साथ उसने अमरीका के से हाथ बढ़ाया और तमाम पृष्ठभूमि को एक तरफ़ छोड़ दिया । उस ने कहा कि मानवता के नाम पर आओ. एक्रौस दी टेबुल बैठो, हमारे और आपके बीच में जो मतभेद हैं व दूर होंगे। हमारा और आपका कोई आइडियोलाजिकल कंफलिक्ट होगा वह बैठ कर बात करने से दूर होगा । लेकिन एक बात पह हमारा आपका और संसार का मतभेद नहीं हो सकता है और वह है मानवता का धर्म, वह शांति, सहअस्तित्व और एक दूसरे को निकट लाने की पृवृति । इस सम्बन्ध में जब दोनों एक हो गये तो सारे संसार का इतिहास बदल जायगा ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बार ए० आई० सी० सी० में हम प्रधान मंत्री का भाषण सुन रहे थे। शंका की वह स्थिति राष्ट्र में हो गयी थी कि ऊपर से कुछ हंस उड़ रहे थे हाई आल्टीच्यूड पर, वायरलस से खबर मिली कि कुछ प्लैंस आ रहे हैं और उस थोड़ी सी भूल पर कि प्लैंस आ रहे हैं, उस शंका और संदेह में हो सकता था कि यहां से प्लैंस उड़ते और बमबाजी हो जाती । यानी मनुष्य का स्वभाव सत्ता से राजनीति से, शंका से और सीमाओं से सशंकित हो गया था इतना पीड़ित हो गया था और डगमगा रहा था कि ऊपर से आकाश में उड़ते हुए कुछ हंसों को प्लैंस समझ रहा था । एक वह स्थिति थी और एक स्थिति आज है। आज कोई कितना ही उपहास करले, श्री लोहिया डर, भय और आश्रय की नीति कह कर चाहे कितना ही प्रगल्प प्रमाद करें लेकिन सत्य यह है कि प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहअस्तित्व की बात को रूस ने स्वीकार किया, अमरीका ने स्वीकार किया । सत्तावान राष्ट्रों ने स्वीकार किया और एक ही साथ उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार किया। अब हम से जो यह कहा जाता है कि हमको डर लगता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमें किस से डर लगता जहै ? रूस से, चीन से अथवा किन दूसरे राष्ट्रों से हमें भय लगता है ? यह कहा जाता है कि चीन से और दूसरे राष्ट्रों से हमारी

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

नीति भय की नीति है । श्रीमन्, पाकिस्तान से कहा गया कि हम डरते हैं । पाकिस्तान और हमारा देश. दोनों में से कौन डरता है इसका एक उदाहरण आपके सम्मुख है । अगर पाकिस्तान न डरता होता, उसके अन्दर कपट की भावना न होती, उसके अन्दर दुर्बलता की भावना न होती तो थोड़ो अपनी सीमा देने के बाद चीन के चरणों में वह अपने को समर्पित न करता । चीन के चरणों में जा कर उसने समर्पित किया । हम ने किस को समर्पित किया ? हम को कहां डर है ? जिसको डर कहते हैं हम उस को मत्री और सहयोग की बात कहते हैं। हमारे ऊपर भी संकट आया । हम उस से विचलित नहीं हुए। थोड़े से रिवरसेज़ किसी भी संग्राम अथवा युद्ध में अंतिम निर्णय का रूप नहीं दे सकते हैं। हम पीछे हटे। अगर पीछे कहीं युद्ध होता तो कुछ और ही नक्शा होता। शांति से क्रांति की ओर हम चले थे, शांति से संग्राम की ओर हम चले थे, युद्ध की ओर हम चले थे, साथी और सहयोगियों से प्रजातंत्र की रक्षा के लिये, अस्त्र-शस्त्र हम ने लिये थे । वह हमारे सामने आये । हम ने उन का सहयोग लिया। डट कर लड़ते । हमारे फोर्थ डिवीज़न में वह सैनिक, हमारे वह लम्बे चौड़े ६ फुटे जवान ऐसा लड़ते कि चीन को पता चल जाता ।

हम से कहा गया है कि साहब हम आश्रय रखते हैं। डर की बात भी उन्होंने हमारे लिये कही । लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि हम किसी से भी नहीं डरते हैं और न ही हमारी डर और आश्रय की नीति है । आश्रय किस बात का ? आश्रय, जिस शब्दावली में और जिस अर्थ में वह आश्रय कहते हैं, मैं उसे स्वीकार नहीं करता । सहअस्तित्व के अन्तर्गत जो भावना आती है उस में यदि हमारा हाथ फैला हुआ है कुछ लोगों के लिए. कुछ राष्ट्रों के लिये तो वह राष्ट्र भी हाथ फलाते हैं । सहअस्तित्व की भावना से हम लोग काम करते हैं। हम भी इनका आदर करते हैं । आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से, और रक्षा की दृष्टि से आज सारा संसार और उसकी भौगोलिक एकता हो गई है। श्रीमन, आज संसार के मानचित्र को सामने रखिये । थोड़ा समय हले हम परस्पर एक दूसरे राष्ट्रों में के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखते थे लेकिन आज विज्ञान ने, कम्युनिकेशंस ने, हवाई जहाज़ों ने, या विज्ञान द्वारा जो हमारी नौलेज का एक्सचेंज होता है जो आदान प्रदान होता है, उस परिस्थिति ने सारे संसार को एक ऐसे मोड़ पर रख दिया है कि हम सारे संसार का दर्शन कर सकते हैं। जो बात अमरीका और रूस में होती है हमें उसका ज्ञान यहां से प्राप्त हो जाता है । निवेदन मैं यह कर रहा था कि संसार के इस विकास में इस प्रगति में, इस एकरूप चित्र में जब हमें कोई आवश्यकता होती है तो हमारी संधियां होती हैं, हमारी वार्त्ताएं होती हैं। और हम बैठकर समझौता करते हैं। कुछ हम देते हैं तो कुछ उन से लेते हैं। यह जो गिव एंड टेक की पालिसी है यह आश्रित होने की बात नहीं है । आखिर हमारे पास था क्या जब हम स्वतंत्र हुए ? हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब थी।। हमारी प्लानिंग हुई, पहली पंचवर्षीय योजना बनी, दूसरी योजना बनी और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है । अब उसके लिए अगर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ने कुछ राष्ट्रों के साथ बैठ कर ऐसी चीज़ जो कि हमारे पास नहीं थी वह हमने उन से मांगी और उन्होंने वह हमें दे दी तो इस में हर्ज की क्या बात है ? सहयोग की भावना से हम ने इस प्रकार अपनी पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा किया ।

ग़रीबी की बात डा० लोहिया कहते हैं। मैं आप से कहता हूं कि अगर बाहर से मशीनरी न आती, अगर टैकनिकल नो हाऊ न आते तो यह तीन आने की बात कहने वाले लोहिया जी जो कि जनता में जाकर बरगलाते हैं, बग़ावत की बात पैदा करते हैं, अग्रणी नेहरू जी के व्यक्तित्व

पर लांच्छन लगाते हैं, और इस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश करते हैं, हैं कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, उस स्थिति की कल्पना कीजिये जिसको कि कहते हैं, कि हम, हमारे नेहरू जी और यह सरकार भिखमंगी है, हम दूसरे देशों से भीख मांगते हैं, अगर हम कुछ भी नहीं मांगते तो देश में क्या स्थिति होती ? देश ने कितना विकास किया है यह तो इसी बात से पता लग सकता है कि हमारे अनाज की पैदावार ५० मिलियन टन स बढ़कर ८० मिलीयन टन हो गयी है । इसी तरह से हमारे देश का जो औद्योगिक विकास हुआ है, वह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है । टैक्निकल नोहाऊ देश में आये और देश में तीन, तीन फौलाद के कारख़ाने बने। बड़े बड़े डैम बने हैं। जिस सुन्दर, प्रतिभाशाली और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भारत की कल्पना हम करते हैं, आज हम उसके आधे रास्ते पर ही हैं। लेकिन यह कहना कि हमने कुछ किया ही नहीं यह जनता को गुमराह करने वाली बात है। यह सहयोग और सहअस्तित्व की बात है । इस में भिखमंगेपन की कोई बात नहीं है। अब जिस के दिमाग में भिखमंगापन हो वह निश्चित रूप से भिखमंगा है । न हमारे प्रधान मंत्री भिखमंगे हैं और न हमारा देश भिखमंगा है । अगर हम ने कुछ लिया है तो स्वाभाविक है कि हमने कुछ राष्ट्रों को दिया भी है और यह हमारे लिये एक गौरव की बात है ।

श्रीमन्, भय की नीति की बात कहते हैं, तो क्या हमें कोई भय है ? चीन से हमें काहे का डर है ? श्रीमन्, चीन तो आज खुद ही डर रहा है, हमें चीन से क्या डर है ? ज़रा ही चीन की स्थिति देखिय । चीन तो स्वयं डर रहा है । आज चीन संसार में अकेला पड़ गया है । चीन के बड़े भाई रूस ने, जिस के साथ उस के बड़े सम्बन्ध थे, जिस के द्वारा पिछले बारह तेरह वर्षों में उस का बड़ा विकास हुआ, बड़ी प्रगति हुई, आज चीन से नाता तोड़ दिया है । उन में से एक बड़ा आइडियालोजिकल कन्फ्लिक्ट हो गया है । एक लड़ना चाहता है और एक सुलह करना चाहता है । इस द्वंद में चोन अकेला पड़ गया है । एक टु रूंटू अल्बानिया है, जो कि उसका समर्थक है और जो बेमौके की शहनाई बजाया करता है।

जब हम पर चीन का आक्रमण हुआ, तो सारे राष्ट्र की ओर से इस सदन में प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि हमें सहायता और सहयोग चाहिए और तब सारे संसार के लोग हमारी सहायता के लिए आए—रूस भी आया और अमरीका भी आया। अगर हमारी नान-एलाइनमेंट की पालिसी, अगर हमारी तटस्थता की नीति शुद्ध और पवित्र न होती, मानवता से अनुप्राणित न होती, तो अमरीका यदि आ जाता, तो संभव है कि रूस न आता और यदि रूस आ जाता, तो शायद अमरीका न आता। परन्तु अपने सैद्धान्तिक मतभेद को बालाए-ताक रख कर सारे राष्ट्र हमारे सहयोग के लिए आए ।

हमारी विदेश नीति डर और आश्रय की भावना पर आधारित नहीं है । हम से कहा जाता है कि हमारी भय की नीति है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश का एक इतिहास है, जिसकी प्रेरणा अफ्रीका तक गई, जिसका प्रकाश उन तमाम गुलाम देशों की तरफ़ गया जो उसके बाद आज़ाद हुए। हम अंग्रेज से नहीं डरे। अंग्रेज से हमारी लड़ाई की एक तारीख़ है और यह सर्वविदित है कि वे यहां से भागे और इस देश को छोड़ कर गये और हमारा देश आजाद हुआ ।

जहां तक पाकिस्तान से डरने की बात है, मैंने निवेदन किया है कि हम उससे डरते नहीं हैं। जब पाकिस्तान ने मुक्का दिखाया, तो हमने शान्ति से उसको देखा । परन्तु आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है ? उसका न कोई सिद्धान्त है, न कोई आदर्श है और न वहां पर कोई डेमोक्रेसी है ।

[श्री रामसहाय पाण्डेय]

जिस पाकिस्तान से डरने की बात कही जाती है, मैं निवेदन कर चुका हूं कि उसने चीन में जाकर "त्राहि मां, त्राहि मां" की ।

जहां तक स्वेज कैनाल का सम्बन्ध है, मैंने हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स में देखा कि गैट्सकल ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा, कि प्रधान मंत्री के लिए युद्ध की बात करना मूर्खता होगी, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय नहर है ।

यही बात—इस का पदानुवाद कह लीजिए या शब्दानुवाद कह लीजिए—प्रधान मंत्री जी ने भी कही थी । क्या हम अंग्रजों से डरते थे ? अंग्रेजों से हम नहीं डरे । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि जिसका जो अधिकार है, वह उसको प्राप्त होना चाहिये और इस सिद्धान्त के अनुसार स्वेज का अन्तर्राष्ट्रीय जल-प्रवाह, इन्टरनेशनल वाटरवे, ईजिप्ट के अधिकार में होना चाहिए । हम कभी नहीं डरे ।

इसी प्रकार इंडोचाइना के मामले में जनेवा कांफरेस में हम ने दृढ़ता के साथ अपनी बात कही और हमारी बात मानी गई । हम उस वक्त भी नहीं डरे । कांगो में हम ने अपनी फौजें भेजीं और गाजा में भी अपनी फौज भजीं ।

कालोनियलिज्म के बारे में हमें इस बात की कभी परवाह नहीं हुई कि कौन राष्ट्र क्या कहेंगा । जब हमने अल्जीरिया की स्वतन्त्रता का समर्थन किया, तो हमने यह नहीं सोचा कि फ्रांस क्या कहेगा । इसी प्रकार हमने उन तमाम राष्ट्रों की आज़ादी के लिए डट कर संघर्ष किया, जो कि पराधीन थे, जो कालोनियलिज्म के पंज में फंसे हुए थे ।

रूस और अमरीका में बड़ा तनाव था, लेकिन यू० एन० ओ० में हमारे प्रतिनिधियों ने डट कर, बड़ी निर्भीकता और तटस्थता के भाव से उन में तसफिया कराया । यह हमारी ही नीति का परिणाम है कि रूस और अमरीका एक हो गए, सारी मानवता एक हो गई । आज केवल सरकार का सरकार से सम्बन्ध नहीं है । आज जनता का जनता से सम्बन्ध है और उसी का यह परिणाम है कि आज सारे देश एक हो गये हैं । (अन्तर्बाधा)

पंडित जी के स्टैचू के बारे में डा० लोहिया ने कहा । मैं कहता हूं कि अगर तटस्थता की नीति के प्रणेता, हमारे प्रधान मंत्री जी का स्टैचू, उनके सिद्धान्त, उनका व्यक्तित्व प्रोजेक्ट हो रहा है सारे संसार में, तो उनका ही होगा । लोहिया जैसे लोगों का नहीं होगा, * * (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : यह आपत्तिजनक है । ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : अध्यक्ष महोदय, उधर माननीय सदस्य बड़ा शोर करते हैं । इधर भी मेम्बर बैठे । हैं (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । तो मुझे छुट्टी दे दीजिये कि मैं चला जाऊं और माननीय सदस्य ज्यादा शोर करने में मुकाबला कर लें ।

श्री शिवनारायण : मुकाबला नहीं ।

---

* *अध्यक्ष पाठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चुप रहें तो एक तरफ जो शोर हो रहा है, मैं उसको चप कराऊं। लेकिन अगर दोनों तरफ से शोर हो, तो मैं कैसे करूं ?

†**श्री बूटा सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि शब्द ** संसदीय है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह शब्द संसदीय नहीं है। इसे निकाल दिया जायगा।

†**श्री कृष्ण मेनन** (बम्बई–उत्तर) : विदेश नीति के मूल सिद्धान्त हैं राष्ट्रीय हित और अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति। कभी कभी ये दो सिद्धान्त परस्पर विरोधी हो जाते हैं जब अन्तर्राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय हित में बाधा उपस्थित करते हैं।

प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि विदेश नीति पर चर्चा से सरकार, देश और संसद को बहुत लाभ हुआ है। इसका लाभ मित्र देशों को भी हुआ है। इसका कारण यह है कि सारा राष्ट्र इस नीति के पक्ष में है। यह बात इस वाद-विवाद से भी प्रमाणित हो जाती है। प्रायः सभी वक्ताओं ने इस नीति का समर्थन किया है।

गत बार इस नीति पर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा चर्चा की गई थी। उसके बाद विदेशों के मामले में कोई अन्तर नहीं आया सिवाय इसके कि आण्विक प्रयोग न करने के करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं और पाक-चीन के समझौते के कारण स्थिति परिवर्तित हुई है। पाकिस्तान के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है। यही कारण है कि हमने देश का विभाजन स्वीकार किया था।

पाकिस्तान को एम० ४७ और एम० ४८ टैंक जो दिए गए हैं उन से भारत की सुरक्षा को खतरा हो गया है।

अमरीका के कुछ सैनेटर्ज ने कहा कि संमित्र संमित्र ही है। अतः जब तक उनकी संमित्रता है तब तक हमें सैनिक सामान के लिए अन्य साधनों को देखना चाहिए।

एक नया गठजोड़ हुआ है। उनमें से किसी देश के साथ भी यदि हमारी सेना का कुछ भाग संघर्ष में लग गया तो उतनी शक्ति दूसरे देश का मुकाबला करने के लिए कम हो जाएगी।

पाकिस्तान में हमारे विरुद्ध मनोवैज्ञानिक युद्ध छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान और पश्चिमी देश मित्र हैं। हम चाहते हैं कि हमें अलग रहने दिया जाए।

काश्मीर पर हमारी प्रभुता है। यह बात तो अन्तर्राष्ट्रीय निर्णय से मानी जा चुकी है। मुझे मध्यस्थता या बातचीत से कोई आपत्ति नहीं। परन्तु हमें इस बात के सम्बन्ध में स्पष्ट होना चाहिए कि मध्यस्थता किस लिये ? प्रभुता पर मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए। मध्यस्थता इस बात पर होनी चाहिए कि पाकिस्तान काश्मीर के छीने हुए क्षेत्र से पीछे कैसे हटे। हमारा पहलू यह है कि हम अपनी प्रभुता के बारे में सौदा नहीं करेंगे। हमें पड़ोसी से दोस्ती बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि चूंकि रूस और अमरीका निकट आ गये हैं अतः तटस्थता की नीति की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ अच्छी नहीं है उसे छोड़ दिया जाए।

परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि के महत्व की अत्युक्ति नहीं करनी चाहिए। यह ठीक बात है कि बड़ा कारनामा है। युद्ध के बाद दो बड़ी शक्तियां इकट्ठी हुई हैं। फिर भी यह विश्व की बुनियादी

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

[श्री कृष्ण मेनन]

और मुख्य समस्याओं को नहीं छता । बर्लिन, कोरिया, वियतनाम और भारत-चीन समस्या है ।

फ्रांस ने अणु परीक्षणों पर प्रतिबन्ध का समर्थन नहीं किया है । वे अणुबम का परीक्षण करेंगे । वे चाहते हैं कि जब रूस और अमरीका के पास अणु बम्ब हैं तो हमारे पास क्यों नहीं ? ऐसी हालत में हमें अणु अस्त्रों के बनाने और प्रयोग करने पर रोक लगानी चाहिए । हमारे देश को पूर्ण निरस्त्रीकरण की कोशिश करनी चाहिए ।

अणु शक्ति की टेक्नालोजी में हम ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि अणु हथियार परम्परागत हथियार बन जाएंगे ।

अणुशक्ति के विकास से वर्तमान मैगाटन बम्ब आसानी से १५ से २० मैगाटन पाउंड हो सकता है । ऐसी स्थिति में हमें निरस्त्रीकरण की ओर अपनी कोशिशों को ढीला नहीं करना चाहिए ।

चीन और पाकिस्तान के समझौते से पाकिस्तान चीन को हमारा क्षेत्र स्वयं दे रहा है । यह अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है ।

ऐसा कहा गया है कि हमारी एसी नीति है कि हमारे कम से कम मित्र होते जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में यद्यपि हमें जागरूक रहना चाहिए इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार अफ्रीका और एशिया साम्राज्यवाद के प्रति जागरूक हैं इसी प्रकार वह दुनिया के अन्य देशों के संरक्षण में भी जागरूक हैं ।

यह कहा गया है कि चूंकि चीनियों की मित्रता अन्य देशों से बढ़ गई है, उनका व्यापार बढ़ गया है । मुझ यह सुन कर आश्चर्य हुआ । स्थिति यह है कि १९५९ से १९६१ तक की कालावधि में चीन का कम्युनिस्ट देशों से व्यापार ४० प्रतिशत कम हो गया है । इसके साथ साथ चीन का अन्य देशों से व्यापार ८ प्रतिशत कम हो गया है । अतः पिछले तीन वर्षों में कम्युनिस्ट और गैर कम्युनिस्ट देशों में उसका व्यापार काफी गिर गया है । केवल अलबानिया या इंकागलैंड से व्यापार बढ़ा है या बढ़ेगा ।

हाल में ही चीन को पूर्वी युरुप से ईंधन का संभरण कम हो गया है । हमारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि अन्य पट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश उनकी सहायता के लिए न आवें ।

यह कहना कि हमारी नीति के कारण हम अलग होते जा रहे हैं और अन्य देश चीन की ओर मित्रता बढ़ा रहे हैं ठीक नहीं है । व्यापार के आंकड़ इस बात को सिद्ध नहीं करते ।

किसी सदस्य ने कहा था कि हमें काश्मीर में जनमत के बारे में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहिए । हमारे देश ने काश्मीर में जनमत के करवाने के लियें कभी वायदा नहीं किया । यही बात कई बार संयुक्त राष्ट्र में कही गई है । हम ने यह कहा है कि यदि (क), (ख) और (ग) किया जाए, तो आखिरी स्थिति में हम अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अन्य बातों के साथ जनमत करवाने पर विचार करने के लिए तैयार हैं । हमारे विरोधियों ने इस का बहुत प्रचार किया है । हम ने सन्धियों का पूर्णतया पालन किया है । जहां तक विराम चिह्न के अन्तर्गत हम जम्मू तथा काश्मीर में जितनी सेना रख सकते हैं उतनी भी हमने नहीं रखी । अतः यह कहना फजूल है कि काश्मीर को पाकिस्तान के विरुद्ध जंग में अड्डे के तौर पर प्रयोग किया जाएगा ।

विदेशी प्रचार की काफी आलोचना की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रचार केवल पुस्तिकाओं आदि से या अधिक साहित्य के भेजने से नहीं होता। प्रचार हमारे नेताओं के व्यक्तित्व और हमारी नीतियों से होता है।

दूसरे प्रचार को बढ़ाने के लिये हमारे कूटनीतियों का सामाजिक तौर पर सम्पर्क बढ़ाना चाहिये। इस के लिये भी धन चाहिए। यह सभा उस व्यय की आलोचना करेगी। अतः यद्यपि हमें प्रचार का सुधार तो करना चाहिये, परन्तु हमें गलत बात पर बल नहीं देना चाहिए।

अब सुरक्षा परिषद् से अधिक चर्चा संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली में होती है। भारत का सुरक्षा परिषद् का सदस्य बनने के दाव के रास्ते में अन्य देशों के दावे भी आ जायेंगे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परिवर्तन होना चाहिए।

दूसरे देशों में जो भारतीय लोग वहां के नागरिक बन गए हैं उन के सम्बन्ध में हमारे दूतावास वहां कुछ नहीं कर सकते। कोई कार्यवाई भी उन देशों के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षप होगी। वहां जो भारत के लोग नागरिक बने हुए हैं उन्हें चाहिए कि वहां के लोगों से मिलजुल कर रहें।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में देश एक है। शान्ति की स्थापना के लिये भी हम एक हैं। अपनी कठिनाइयों में भी हम अपने उद्देश्यों को नहीं भलेंगे। शान्ति से ही व्यक्ति, देश और संसार जीवित रह सकता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अध्यक्ष महोदय मैंने विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रशंसा और आलोचना के शब्द सुने हैं। श्री सिंघवी ने सुझाव दिया कि हमारी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिस से सभी दल सम्बन्ध रखें। शायद उन्हें नहीं पता कि उन के सभा में आने से पहले हमारी वर्तमान नीति को सभी दल राष्ट्रीय नीति मानते हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : प्रश्न तो वर्तमान के लिए है। यह बहुत महत्वपूर्ण है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जयह नीति हमारे भूतकाल से निकली है जब कि हम स्वतन्त्र नहीं थे। यह स्वाधीनता संघर्ष में हमारी कार्यवाइयों और विचारों के साथ बढ़ी। और जब हम स्वतन्त्र हुए तो यह एकमत से अपनाई गई। किसी ने भी इस की आलोचना नहीं की। किसी पहलू की आलोचना हुई होगी जैसा कि "आपका प्रचार ठीक नहीं है। आप की विदेशी सेवा आधुनिक नहीं है" इत्यादि। यह एक अलग बात है। परन्तु मैं बुनियादी नीतियों की बात करता हूं जो कि हमने बनाई और कई वर्षों तक यह नीति सभी द्वारा स्वीकृत थीं। अतः यह राष्ट्रीय नीतियां समझीं गईं। इस अर्थ में नहीं कि वे बहुसंख्यक दल की प्रतिनिधित्व करती थीं, परन्तु अन्य दलों का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। यह याद रखना है कि यह हमारी नीति की पृष्ठभूमि है। इस नीति का मतलब हमारी शान्ति के लिए और अन्य सभी देशों के साथ मित्रता की कोशिश है। यह नीति तटस्थता की नीति है इत्यादि। हमने तदनुसार काम किया।

उनकी इस लिये चर्चा या अलोचना की जा रही है, क्योंकि दो या तीन बर्षों में कुछ चीज ऐसी हुई है जिस के कारण आलोचना हुई है। पिछले दो या तीन बर्षों में जो चीजें हुई हैं उन्होंने शेष संसार का तटस्थता में विश्वास बढ़ा दिया है। यह एक असामान्य बात है। इसे उन देशों ने जो पहले इस की आलोचना करते थे, बहुत स्वीकार किया।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

श्री मुकर्जी ने अफ़्रीका में भारत की झलक को हानि के बारे कहा, क्योंकि हमने अफ़्रीका में जो बातें आईं उन सब का हमर्थन नहीं किया। इससे मुझे उन दूसरे देशों के लोगों—यहां से कोई नहीं—की याद आई जिन्होंने गोआ सम्बन्धी कार्यवाही के बाद आलोचना की कि भारत की झलक खराब हो गई थी, क्योंकि हम गोआ को चले गए थे। ये बिल्कुल दो परस्तर विरोधी पक्ष हैं, दो तसवीरें हैं। भारत की झलक खराब होने की बात इस लिए हुई कि हम उस तरह स नहीं चल रहे थे जैसा कि दूसरे चाहते थे कि हम चलें। मैं यह नहीं कहना चाहता कि जो कुछ भी हम ने किया है सभी सही है। परन्तु निश्चय मैं यह सोचता हूं कि हमारा गोआ में जाना बिल्कुल ठीक और उचित था। यह कहा जा सकता है कि हम ने देर से कार्यवाही की। यह आलोचना की गई। यह मानी जा सकती है ? यही बात अफ़्रीका की है। अफ़्रीका में हमेशा हमारी वही नीति रही है। हमने इसे बिल्कुल नहीं बदला है और मुझे यकीन है कि अफ़्रीका के देशों से हमारे सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। परन्तु यह एक असलीयत है कि ये सभी नए देश गतिशील राष्ट्रीयता से इतने भरे पड़े हैं कि प्रायः एसी कार्यवाई अपनाते हैं—उन की नीति नहीं—जो कि हम समझते हैं कि बहुत ठीक या अकलमन्दी की नहीं है। कभी कभी हमने उन्हें ऐसा बतलाया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : अल्जरिया को मान्यता देने के प्रश्न के बारे में क्या स्थिति है ? हम ने इस में देर क्यों की ? इस पर बहुत आलोचना हुई।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में वह आलोचना बिल्कुल गलत रही है। युद्धकाल को छोड़ कर देशों को उस तरह से मान्यता नहीं दी जाती है। यदि किसी सरकार को मानना है वह देश में या जिस क्षेत्र में इसकी हकूमत होनी चाहिए तो होनी चाहिए। ऐसी हकूमत नहीं थी। उत्प्रवासी सरकारों को युद्धकाल में मान्यता दी जाती है, वैसे नहीं। आप इसे जो कुछ भी कहिए हमने हमेशा हर तरीके से अल्जीरिया का समर्थन किया, परन्तु हम ने इसे मान्यता नहीं दी, क्योंकि कोई सरकार काम नहीं कर रही थी। यह सही या गलत थी, यह अलग बात है। परन्तु अफीका के बारे में हमारी नीति दृढ़ रही है। जो कार्यवाही करनी है, कभी कभी वह किसी को अच्छी न लगी हो या उस पर थोड़ी आलोचना भले की गई हो।

वास्तव में, जो कर्रवाई की जानी है, हमने सदा यह कहा है कि इस का उत्तरदायित्व अफ़्रीकन देशों पर है और हमारे लिए यह उचित नहीं है कि उन्हें बतलाये कि वें क्या करें। हम उनको सहायता करने की कोशिश करेंगे।

उदाहरणतया आंगोला और पुर्तगाली बस्तियों और दक्षिण अफ़्रीका के बारे में हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। दक्षिण अफ़्रीका के बारे में अदीस अबाबा में जो निर्णय किया गया था ; वह हम कई वर्ष पहले कर चुके थे और सब संबंध तोड़ दिये थे। यह तथ्य है कि अफ़्रीकी देशों में कुछ जागृति है और राष्ट्रसंघ में वे ऐसे प्रस्ताव करते हैं जिन के साथ हम कई बार पूर्णतया सहमत नहीं होते। श्री मुकर्जी को उसी से शायद यह धारणा बनी हो। किन्तु मेरे विचार में पिछले १० वर्षों से हमारी बुनियादी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और ये नीतियां आजादी से पहले के विचारों पर भी निर्भर थीं। चाहे सरकार विरोधी पक्ष की हो उसको भी इन्हीं नीतियों का अनुसरण करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है यदि हम भारत के पुराने इतिहास और विचारों को भुलाना नहीं चाहते।

इस विवाद में भी उस बुनियादी नीति की कोई आधारभूत आलोचना नहीं हुई। अधिकतर आलोचकों ने भी छोटी छोटी बातों को छोड़ कर इस को चुनौती नहीं दी। इस लिए मेरा निवेदन है

†मूल अंग्रेजी में

कि हमारी विदेशी नीति हमारी अतीत के विचारों की उपज हमारे राष्ट्रीय चरित्र की छाप है। हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष की देन है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल है। चाहे भारत की कोई सरकार हो उसकी यही नीति होगी। मैं इसे दुहराता हूं कि हमारी नीति केवल तटस्थता ही नहीं है क्योंकि तटस्थता उस नीति का फल है। वह नीति यह है कि शान्ति के लिये और अन्त में विश्व सरकार स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये जायें। एक ऐसी विश्व सरकार जिसमें कोई जाति भेद या काले या गोरे लोगों का प्रश्न न हो। हमारे देश में यह तटस्थता का किसी गुट के साथ न मिलने का और सब राष्ट्रों के साथ मैत्री करने का रूप धारण करता है।

कुछ लोग पूछते हैं कि चीन की कार्यवाही के सामने आप कैसे तटस्थ रह सकते हैं। इस का अर्थ है, वे तटस्थता का अर्थ नहीं समझते। यदि चीन पंचशील को भंग करता है, तो यह चीन के लिए खराब सिद्ध होगा, पंचशील के लिए नहीं। मेरे विचार में पंचशील अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार का एकमात्र साधान है। चाहे चीन कुछ कहता रहे, यह पहले भी ठीक था और अब भी ठीक है। यदि चीन का रवैया ठीक नहीं है, तो हम उस का विरोध करेंगे। यदि वह हमसे लड़ना चाहता है, तो हमें भी लड़ना पड़ेगा।

हमारी नीति ने कुछ हद तक सारे विश्व पर प्रभाव डाला है। कल मैंने कहा था कि साधारणतया देशों का प्रभाव उन की सैनिक या आर्थिक शक्ति से जांचा जाता है। हमारें पास इतनी शक्ति नहीं है। फिर भी हमने विश्व के कार्यों में, न केवल राष्ट्र संघ में बल्कि अन्यत्र भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हमारा आदर किया गया है। हम ने यह धारणा पैदा की है कि हम एक सीधा और निडर राष्ट्र हैं। मैं इस चीज़ को दुहराता हूं क्योंकि कहा गया है कि हमारी नीतियां डर पर आधारित हैं। हम ने विश्व भर में निडर होने के लिए नाम पैदा किया है और यह कोई छोटी सफलता नहीं है।

कल यह आलोचना की गई थी कि चूंकि नेटो शक्तियां और वार्सा शक्तियां एक दूसरे के करीब आ रही हैं, इसलिए तटस्थता का फायदा क्या है? यह बहुत साधारण आलोचना है। यह तटस्थता की सफलता है कि वे करीब आ रही हैं और इस से यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम उस नीति पर कायम रहें, क्योंकि यह न केवल सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यावहारिक रूप से भी ठीक है।

शीत युद्ध की नीति एक मूढ़ नीति है। यद्यपि बड़ी शक्तियां इस नीति पर चलती हैं, यह कोई सभ्य नीति नहीं है, जो सभ्य युग के लिए उपयुक्त हों। इसका नतीजा केवल विनाश ही हो सकता है। इस का अनुसरण केवल डर के कारण ही किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि विश्व की सब से बड़ी और बलवान शक्तियां, हम से नहीं एक दूसरे से डरती हैं। चाहे यह अमेरिका हो या रूस। सब बड़ी बड़ी शक्तियां एक दूसरे से डरती हैं और उनकी नीतियां एक दूसरे के डर पर आधारित हैं। अब वे अनुभव कर रहे हैं कि डर का एक ही परिणाम हो सकता है और वह यह कि सर्वनाश। अत: वे शनैः शनैः एक दूसरे के करीब आ रही हैं और अपनी समस्यायें शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने का प्रयत्न कर रही हैं। भय से मुक्ति तभी मिल सकती है यदि सम्पूर्ण निशस्त्रीकरण हो जाये। तब ये एक दूसरे को अधिक अच्छी तरह जान सकेंगी। मैंने इन दो बड़ी शक्तियों का उल्लेख किया है क्योंकि युद्ध या शान्ति का अधिकार इन के हाथ में है। अन्य देश इस प्रक्रिया में सहायता या बाधा डाल सकते हैं। किन्तु युद्ध या शांति के निर्णय में उनका हाथ नहीं है। मैंने कल कहा था कि पुराने शीत युद्ध की पृष्ठभूमि धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह अभी मौजूद तो है लेकिन साम्यवाद बनाम गैर-साम्यवाद का दृष्टिकोण अब बदल रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि साम्यवादी देश स्वयं आपस में झगड़ रहे हैं। अब अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पूंजीवादी देश या पश्चिमी देश भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह नहीं चल रहे। अत: दो महान शक्तियों के बीच झगड़ा समाप्त हो रहा है। यह एक अच्छी बात है। कुछ लोग अब भी पुराने ढंग से सोच रहे हैं और कुछ माननीय सदस्य भी इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं।

कई बार यह भी कहा जाता है कि हमने कोई नई नीतियां नहीं चलाई बल्कि अन्य लोगों की नीतियों का अनुसरण किया है। वास्तव में यह प्रख्यात आणविक परीक्षण प्रतिबन्ध संधि, जो कि अब हुई है, भारत ने १९५४ में सुझाई थी। उस समय लोगों ने इस की उपेक्षा की थी और कुछ ने इस की आलोचना की थी। परन्तु, अब जबकि यह हो गई है, इस की प्रशंसा की जा रही है। इस के अतिरिक्त उस जनेवा समझौते के, जो कि हिन्द-चीनी के बारे में था, हमने एक महत्वपूर्ण भाग लिया था। इसी तरह निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भी। यद्यपि इन का कोई अन्तिम निर्णय नहीं निकला, फिर भी भारत ने हमेशा बहुत शोर मचाये बिना अपना काम किया है। यदि अधिक शोर मचाया जाये और उनका दृष्टिकोण अपनाया जाये, तो कोई परिणाम नहीं निकलते। इसी कारण हमारे और कुछ अफ्रीकी देशों के बीच मोट नोटे मतभेद हुए हैं।

अब मैं श्री रंगा की कुछ बातों का उत्तर दूंगा। उन्होंने भारत में चीन के समर्थकों क उल्लेख किया है मैं उनसे सहमत हूं। केवल साथ में यह भी कहूंगा कि भारत में अन्य समर्थक भी हैं। मुझे इस बात पर बहुत खेद है कि भारत में चीन के समर्थक भी हैं, जो कि खुले तौर पर या गुप्त रूप से चीन की कार्यवाही को ठीक समझते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्री त्रिवेदी ने भारत में पाकिस्तान जासूसों का उल्लेख किया था और कहा था कि पाकिस्तान के प्रस्ताव को मानने और चार दिन तक इसकी घोषणा में विलम्ब करने की हम बहुत मूर्ख नजर आये। मैं उनके तर्क से प्रभावित नहीं हुआ और यदि फिर ऐसा हुआ, तो भी ऐसा ही किया जायेगा। मुझे समझ नहीं आया कि हम कैसे मूर्ख नजर आये हैं और किस की आंखों में। हमने पाकिस्तान के जासूस को मौके पर पकड़ा और वह हमारे फन्दे में आ गया था।

†**श्री बड़े** (खारगोना) : चार दिन तक हम ने रहस्य रखा, इसके बाद पाकिस्तान ने बदले की कार्यवाही की।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, बिलकुल ठीक है। हमने पूर्ण रूप से इसे रहस्य नहीं रखा, किन्तु चार दिन तक इस की खुली घोषणा नहीं की गई। हमने पाकिस्तान उच्चायुक्त का यह सुझाव मान लिया था और केवल गिरफ्तारी को छोड़ कर हमने कोई कदम नहीं उठाया। मेरे विचार में ऐसा करना ठीक था। और मैं नहीं समझ सका कि इस से भारत की मर्यादा या हितों को कैसे हानि पहुंचती है कि पाकिस्तान ने एक व्यक्ति को गिरफतार कर लिया और कुछ व्यक्तियों को वापस भेजने की घोषणा की। उन्होंने ऐसा हमारी कार्यवाही के कारण किया था और इसका कोई औचित्य नहीं था। किन्तु हमारी ओर से साधारण शिष्ट व्यवहार किया गया चाहे दो देशों के बीच युद्ध ही क्यों न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वे अच्छे व्यवहार के बदले में अच्छा व्यवहार नहीं करते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम बुरा व्यवहार शुरू कर दें।

†**श्री नाथ पाई** : उन्होंने आप की शराफत से फायदा उठाया और आप को धोखा दिया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझ सका कि हमारी शराफत से हमें क्या नुक्सान पहुंचा है। मैं आशा करता हूं कि हमारा देश और हमारी सरकार हमेशा समय तरीके से व्यवहार करेगी।

श्री हेम बरुआ ने कहा था कि कोलम्बो प्रस्ताव समाप्त हो चुके हैं। मैं उनका मलतब नहीं समझा क्योंकि उन पर कभी अमल नहीं किया गया। इस दृष्टि से उन्हें अवश्य समाप्त समझा जा सकता है किन्तु यदि दूसरा पक्ष उन्हें मान ले और उन पर अमल शुरू कर दें, तो वे सक्रिय हो जायेंगे। चूंकि चीनी सरकार ने इन प्रस्तावों को नहीं माना, इसलिए उन पर अमल नहीं किया गया केवल उन भागों को छोड़ कर जिन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है।

मैं माननीय सदस्यों की आलोचना नहीं समझ सका। जब ये प्रस्ताव शुरू में पेश किये गये थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। मैंने इस विरोध को ठीक नहीं समझा था और उन्होंने न मानने को हानिकारक समझा था। उनको स्वीकार कर के हमने बहुत बुद्धिमता की थी। अब और कुछ घटना नहीं हुई केवल इस बात को छोड़कर कि हमारी स्थिति और भी मजबूत हो गई है।

माननीय सदस्यों ने प्रचार के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि पुस्तिकायें या भाषणों से प्रचार होता है। पुस्तिकायें उपयोगी हैं किन्तु विदेशों में इतनी उपयोगी नहीं है। मैं कह सकता हूं कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से हमारा जितना प्रचार हुआ है उतना पिछले ८ महीनों से किसी और चीज से नहीं हुआ। यदि हम ने इन्हें अस्वीकार किया होता तो हमारे प्रचार को हर देश में हानि पहुंचती। अतः प्रचार हमारी नीतियों और उन पर दिये जाने वाले बल पर निर्भर है।

हमारे राजदूतावासों की 'असफलता' के बारे में मैं कहूंगा कि यह कहना बहुत कठिन है कि यह हमारे राजदूत उत्तम या परिपूर्ण हैं। किन्तु यह मैं अपने ज्ञान के आधार पर कह सकता हूं कि मोटे तौर पर, हमारे राजदूत अन्य देशों के राजदूतों की तुलना में बहुत अच्छे हैं। हो सकता है कि कुछ इतने अच्छे न हों। हम अपनी विदेश सेवा को पिछले पन्द्रह या सोलह सालों से बना रहे हैं और इस में सुधार हो रहा है। कुछ राजदूत बहुत अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं और कुछ दर्मियाने हैं।

राजदूतों को प्रचार के लिए केवल चिल्लाना ही काफी नहीं है, यदि वह चिल्लाने लगें, तो उन्हें कोई भी नहीं सुनेगा। उन्हें अधिक चतुराई से काम लेना होता है और

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

कई अन्य कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। अन्त में वे अधिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि महत्व उस नीति का है जो यहां से शुरु होती है और राजदूतों को उस का निर्वचन करना पड़ता है। सम्मेलनों आदि में दिये गये भाषणों का भी उतना महत्व नहीं होता जितना अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ निजी बातचीत का होता है। फिर इस बात का भी बहुत महत्व है कि राजदूत की पत्नी कैसी है—

†**श्री त्यागी** : तो फिर विधुर व्यक्तियों को कभी राजदूत नहीं बनाया जा सकेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि विधुर प्रधान मंत्री हो सकता है तो राजदूत क्यों नहीं हो सकता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसे विधुर भी हैं, जो ऊचे पदों पर काम कर र हैं किन्तु यदि राजदूत की पत्नी भी योग्य और बुद्धिमान हो, तो उसे अपने काम में बहुत सहायता मिलती है। वास्तव में जब हम किसी राजदूत को नियुक्त करते हैं, तो यह नियुक्ति पति पत्नी दोनों की होती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या दोनों को वेतन मिलता है ?

†**श्री नाथ पाई** : क्या इन्टरव्यू राजदूत का होता है या उसकी पत्नी का भी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री हिम्मतसिंहका ने हमारे प्रचार के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का अमेरिका का दौरा बहुत सफल रहा था किन्तु वहां के समाचारपत्रों ने इसे अधिक स्थान नहीं दिया। मैं पूछता हूं कि इसमें हमारी प्रचार व्यवस्था का क्या दोष है। यह तथ्य है कि अमरीकी समाचारपत्रों ने उनके दौरे को अधिक स्थान नहीं दिया। किन्तु हम उन्हें यह नहीं कह सकते कि वे अपने समाचारपत्र कैसे चलायें।

श्री इन्दुलाल याज्ञिक ने हमा[illegible] में आने वाले विमानों को गोली से गिरा देने के [illegible] में कहा था। यह प्रश्न बार बा[illegible] है। प्रतिरक्षा मंत्री ने यह कहा है कि हमने उन्हें गिराने के आदेश दे दिये हैं। हम उन [illegible]शों के अनुसार कार्य नहीं कर सकते हैं। ये आदेश पुराने हैं। तथापि मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इसके क्या अर्थ हैं। आजकल विमान पांच या ६ मिनट के लिये अन्दर आता है इस दौरान वह १० से २० मील तक अन्दर आता है। ये विमान बहुत तेज गति से चलते हैं। ये अधिकांश रात को आते हैं। कभी कभी हमें ऐसी भी सूचनायें मिलती हैं जो कि विश्वासनीय नहीं होती हैं।

सामान्यतः यदि आप तैयार भी हों तो भी पांच या ६ मिनट तो लगते ही हैं। और जब तक आपका जहाज ऊपर पहुंचता है वह सीमा पार कर देता है।

†**श्री हेम बरुआ** : पाकिस्तान ने हमारे केनबरा विमानों को किस प्रकार गिराया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इन बड़ी शक्तियों के पास हजारों विमान होते हैं, जो कि सीमा के निकट उड़ते रहते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम यहां रूस द्वारा यू०–२ विमान के नीचे लाने की सुप्रसिद्ध घटना भी ले सकते हैं। यह कहा गया कि उन्होंने उसे लाने के कई प्रयत्न किये। लेकिन उसका कोई फल नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा वे उसे रायफलों द्वारा नीचे लाने में समर्थ नहीं हुए, अपितु उसे प्रेक्षापास्त्रों द्वारा नीचे लाया गया था। मेरे कथन का तात्पर्य केवल यह है कि यह आसान बात नहीं है इसमें विमानों को बिल्कुल तैयार रखना पड़ता है। जैसे कि युद्धकाल में होता है। और यह कार्य वे ही देश कर सकते हैं जिनके पास ३००० से ४००० तक विमान होते हैं। वे बारी बारी से सैकड़ों विमान हवा में उड़ते हुए रखते हैं। ऐसा करने में पैट्रोल की मात्रा के अलावा बहुत बड़ी संख्या में पायलटों की आवश्यकता होती है।

†**श्री नाथ पाई** : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसी बातें प्रगट न करें।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : यह बातें सभी जानते हैं संभव है कुछ माननीय सदस्य नहीं जानते हों।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र या सुरक्षा परिषद के घोषणापत्र में सुधार करने की बातें कही गयी हैं। निसंदेह हम चाहते हैं कि कुछ सुधार किये जायें। इसमें संदेह नहीं है कि जब संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद् की रचना हुई थी तब से आज स्थिति बदल गयी है। तथापि कोई भी सुधार बिना कुछ अंशों तक सहमत हुए नहीं हो सकता है। जब तक इस प्रकार की सहमति न दिखायी दे तब तक हम केवल चर्चा ही कर सकते हैं। इसीलिये हमने इस बात को बार बार दुहराया है कि इसके सुधार में सहमत होते हुए भी, हम इस बात पर जोर इस कारण नहीं दे रहे हैं कि इस सहमति के लिये शीतयुद्ध का बहुत कुछ अंशों में समाप्त होना भी आवश्यक है। संभव है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सत्र में इस बात का प्रयत्न किया जाये। तथापि सुरक्षा परिषद के पांच सदस्यों में से कोई एक भी इसे रोकने से रोक सकता है।

कुछ सदस्यों ने विदेशों में बसे हुए भारतीयों की अवस्था का उल्लेख किया है। यह हमारे लिये वास्तव में चिन्ता का विषय है। सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना होती है और सभी देशों को बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः सभी देश यह चाहते हैं कि उनके देशवासियों के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति न आये। निस्संदेह हमारे देशवासी भी पहिले उतने सर्तक नहीं रहे हैं जितना कि उन्हें रहना चाहिये था। इससे और कठिनाइयां पैदा हो गयी हैं। इसके अन्पर्गत दो प्रकार के व्यक्ति हैं एक तो वह जो भारतीय नागरिक हैं और दूसरे, जो कि उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर चुके हैं। जो लोग उन देशों की नागरिकता स्वीकार कर चुके हैं, हम उनकी समस्याओं को नहीं ले सकते हैं। केवल शिष्ठाचार के नाते ही हम उन देशों का ध्यान अपनी ओर दिला सकते हैं। तथापि कई उदाहरण हैं, जैसे कि बर्मा, जहां वे काफी परिवर्तन कर रहे हैं। वे परिवर्तन केवल भारतीयों के लिये ही नहीं है अपितु सभी के लिये किये जा रहे हैं। तब यह कहना कि ऐसा आप केवल भारतीयों के लिये न करें जो आप बर्मियों तथा अन्य विदेशियों के लिये कर रहे हैं अत्यंत कठिन हो जाता है।

जहां तक आज प्रातः उल्लेख किये गये पाकिस्तानी सिपाहियों द्वारा गोली चलाने के संबंध में है, मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूं ; यह कई बार हो चुका है कि कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

व्यक्ति गोली चलाता है और उसका जवाब दिया जाता है। कोई अन्य व्यक्ति घायल हो जाता है। १५ सितम्बर शाम को शिलांग में यह सूचना मिली कि उस दिन सुबह दुमाबाड़ी/लाठीटिल्ला इलाके में पाकिस्तानियों ने हमारे पैट्रोल पर गोली चलाई। लगभग ८·१५ बजे पाकिस्तानियों ने एक गोली चलाई और १०·३० बजे पाकिस्तानियों ने ३ गोलियां चलाईं, १२.४५ बजे पाकिस्तानियों ने हल्की मशीनगनों से दो बार गोलियां चलाईं तथा बाद में १४·०० बजे उन्होंने मशीनगनों से काफी गोलाबारी की। अतः भारत की सीमांत पुलिस को आत्मरक्षा के लिये गोली चलानी पड़ी। १६·०० बजे पाकिस्तानी सेनाओं ने विवादस्पद गांव कारखानपुतनिगम गांव पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू किया। इस गोलीबारी के फलस्वरूप पुतनी चाय बागान का एक मजदूर घायला हो गया तथा उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। उसकी हालत चिन्ताजनक बतायी जाती है।

इस अंधाधुंध गोलाबारी के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी के क्षेत्र में वृद्धि कर दी और उन्होंने डुमाबाड़ी क्षेत्र के दो मील उत्तर की एक चौकी पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। यह गोलाबारी १५ मिनट तक जारी रही। हमारी सीमांत पैट्रोल ने उस गोलाबारी का उत्तर दिया। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि १५ सितम्बर के शाम तक पाकिस्तानियों ने रायफलों की १२०० गोलियां और लाइट मशीन गनों की १८०० गोलियां चलाईं।

जब पाकिस्तानी गोलाबारी बहुत अधिक हो गयी और निरंतर जारी रही तो भारतीय सीमा पैट्रोल ने भी गोलियां चलाईं, तथापि पाकिस्तानियों द्वारा बहुत गोलियां चलाई जा रहीं थीं। एक अपुष्ट सूचना में यह कहा गया ह कि एक मुस्लिम महिला पाकिस्तानी गोलियों से आहत हो गयी। उसका पाथरकडी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना कारण की गयी इस गोलाबारी के लिये कछार के डिप्टी कमिश्नर ने सिलहट के डिप्टी कमिश्नर को जोरदार विरोधपत्र भेजा है। आसाम की सरकार ने भी पूर्वी पाकिस्तान की सरकार को विरोधपत्र दिया है। हमारे ब्रिगेड कमांडर स्थिति का सही अध्ययन करने के लिये वहां रवाना हो गये हैं। वे दूसरे पक्ष के ब्रिगेड कमांडर को एक अनुरोध पत्र भेजेंगे जिसमें उनसे बिना कारण गोली चालन की जिम्मेदारी ठहराने को कहा जायगा।

कराची में भारतीय उच्चायुक्त को यह तार दिया गया है कि वह पाकिस्तान सरकार से यह अनुरोध करें कि वह अपनी सीमान्त सेनाओं को उस क्षेत्र की शाति खराब करने से रोकें।

निसंदेह यह घटना बहुत शोचनीय है। पाकिस्तानी सिपाहियों ने १८०० गोलियां मशीनगनों और १२०० गोलियां रायफलों से चलाईं। निस्संदेह यह आश्चर्य की बात है कि इतने कम व्यक्ति आहत हुए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यह सब तनाव पैदा करने के लिये किया जा रहा है।

यह भी कहा गया है कि कई लोग सचमुच गोलियां नहीं चलाते हैं। वे केवल झूठी गोलाबारी करके हट जाते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह सारी घटनायें लाठीटिल्ला में ही केंद्रित हो रही हैं क्या इसका यह तात्पर्य है कि वह यह कहना चाहते कि यह विवादास्पद क्षेत्र नहीं है अपितु यह पाकिस्तान के क्षेत्र हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वे यह कहते हैं कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का है। वे रेडक्लिफ पंचाट कई इस प्रकार व्याख्या करते हैं। तथापि यह विवादास्पद क्षेत्र है, क्योंकि यह अभी तक हमारे कब्जे में है।

अंत में मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया।

†**श्री हेम बरूआ** : १४ अगस्त को पाकिस्तान ने लाठीटिल्ला डुमाबाड़ी क्षेत्र में अपना झंडा फहराया था। इसके बाद से वहां के निवासियों पर अंधाधुंध गोलाबारी शुरू हो गयी हैं। ज्ञात हुआ है कि आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सहायता की याचना की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में, क्या कार्यवाही की है?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू**: यह कहना ठीक नहीं है कि हम इस संबन्ध में बेमन से कार्यवाही कर रहे हैं। वस्तुतः यह कार्य सेना ने करना है। हम उनसे उपयुक्त कार्यवाही करने को कहते हैं। हम निस्संदेह इस विषय में बहुत चिन्तित हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : समाचार पत्र में कहा गया है कि कछार के डिप्टी कमिश्नर ने जोरदार विरोध पत्र भेजा है। क्या राज्य सरकार के अलावा केन्द्रीय सरकार ने भी विरोध पत्र भेजा है? तथा उसका क्या परिणाम रहा है?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : जी हां। कराची के भारतीय उच्चायुक्त ने केन्द्रीय सरकार की ओर से विरोध पत्र भेजा है।

श्री बड़े : क्या यह बात सच है कि जो चाइना से ट्रेनिंग पाए हुए रेडर्ज हैं या जो अफ़रीदी हैं, वे उस बार्डर पर हैं, जहां फायरिंग हुई है? इस प्रकार से पाकिस्तान की कितनी फौजें वहां पर हैं, क्या इस का कोई अन्दाजा शासन ने लगाया है? क्या उस बार्डर पर सिविलियन पापुलेशन को आर्म्ज दिये गए हैं?

श्री जवाहर लाल नेहरू : चाइना और पाकिस्तान का जोड़ मेरी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कहते हैं कि चाइना ने दिया है रैडार और दूसरा एक्विपमैंट पाकिस्तान को, . . .

श्री बड़े : नहीं, नहीं। वहां के रेडर्ज जो हैं, अफ़रीदी ट्राइब्ज जो हैं, . . .

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : रेडार नहीं, रेडर्ज . . . हमला करने वाले (हंसी)।

श्री बड़े . . . उस बार्डर पर कितनी पाकिस्तानी फौज है?

श्री जवाहर लाल नहरू : मेरी समझ में तो अब तक यह बात नहीं आई।

अध्यक्ष महोदय : चीन ने रेड करने वाले आदमी दिये हैं पाकिस्तान को तो वहां उन की कितनी गिनती है इसका गवर्नमेंट को कुछ पता है?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं तो नहीं कह सकता कि चीन ने पाकिस्तान को रेड करने वाले लोग दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मेरा क्वेश्चन यह नहीं था, शायद वह समझ में नहीं आया। जो पाकिस्तानी फौजों को आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, वे अफसर वहां हैं या नहीं और अगर हैं तो कितने ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं जवाब नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय : पाकिस्तान वालों को कुछ ट्रेनिंग दी गई है चीन में। क्या वह गुरिल्ला ट्रेनिंग दी गई है ? अब इसका पता कैसे चल सकता कि जो पाकिस्तानी वहां हैं उन में से कितने चीन में ट्रेनिंग ले कर आये हैं और कितने यहां हैं ?

श्री बड़े : मेरा सवाल है कि सिविल पापुलेशन को वहां आर्म्स दिये गये हैं या नहीं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : सिविल पापुलेशन को आर्म्स नहीं बांटे जाते। लेकिन सिविल पापुलेशन में होम गार्ड्स बने हैं बार्डर एरियाज में। उन में अक्सर आर्म्स दिये गये हैं, ट्रेनिंग दी जाती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इन घटनाओं से यह मालूम होता है कि पाकिस्तान की सरकार सैनिक हमला करने का बहाना ढूंढ़ रही है ? तथा क्या सीमांत में चीनी अधिकारी और जासूस हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** नहीं हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। निस्सन्देह ऐसी कोई भी बात पाकिस्तान सरकार के प्रोत्साहन के बिना नहीं हो सकती है ।

श्री कछवाय (देवास) : ऐसी छोटी मोटी घटनायें हमारी सीमा पर आये दिन होती हैं और अनेक बार हमने विरोध पत्र भेजे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनका असर क्या सिर्फ यही होता है कि सिवा विरोध पत्र के हम कुछ और नहीं कर सकते क्योंकि वह हमेशा हम से गोली के साथ वार्ता करते हैं। क्या कोई दिन आ सकता है जबकि कि हम गोली का मुकाबला गोली से करें ?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जी हां, आप करीब करीब ठीक कहते हैं।

श्री कछवाय : कब करने वाले हैं ?

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या हमारी शिष्टता और सदाचार को पाकिस्तान दुर्बलता तो नहीं समझ रहा है और इस प्रकार के दुष्टतापूर्ण बातें करता जा रहा है ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** निस्सन्देह इसका कभी कभी यही प्रभाव होता है तथापि हमने यह मामला सेना को सौंप दिया है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री व० ब० गांधी के संशोधन को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"यह सभा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और तत्सम्बन्धी भारत सरकार की नीति पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की नीति का अनुमोदन करती है।"

सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १८२ : विपक्ष में २४ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, १८ सितम्बर, १९६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १७ सितम्बर, १९६३

२६ भाद्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१३७—६०
तारांकित प्रश्न संख्या		
७००	चम्बल घाटी का कृष्यकरण	३१३७—३९
७०१	बहुप्रयोजनीय खाद्य संयंत्र	३१३९–४०
७०२	एयर इंडिया	३१४०—४२
७०४	बिना चौकीदार के समपार (लवल क्रासिंग)	३१४२—४५
७०५	एक समान सड़क निशान	३१४५
७०६	आसाम बंगाल सड़क परिवहन निगम	३१४६–४७
७०७	उपभोक्ता सहकारी स्टोर	३१४७—५१
७०८	एयर इंडिया का विज्ञापन	३१५१–५२
७०९	पशुओं के प्रति निर्दयता	३१५२—५५
७१०	कृषि उत्पादन बढ़ाना	३१५५—५७
७१३	आसाम में चावल की कमी	३१५७—६०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
६	ऋषिकेश रेलवे स्टेशन	३१६०—६२
७	कृषि वस्तुओं सम्बन्धी सलाहकार समिति	३१६२–६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१६४—३२१७
तारांकित प्रश्न संख्या		
७०३	रेल के इजन, डिब्बों आदि में आत्मनिर्भरता	३१६४
७११	मोटर गाड़ियों पर कर	३१६४–६५
७१२	रेलवे जोन	३१६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित प्रश्न संख्या

७१४	कलकत्ता-दमदम हैलीकाप्टर सेवा . . .	३१६५
७१५	किरणीयत गेहूं	३१६५
७१६	दिल्ली दुग्ध योजना के मक्खन का खराब होना .	३१६६
७१७	कृषि उत्पादन . . .	३१६६
७१८	रेलवे दुर्घटना समिति .	३१६६–६७
७१९	कोंकण नौवहन सेवा . .	३१६७
७१९-क	काश्मीर में भूकम्प	३१६७–६८
७२०	उत्तर बंगाल, आसाम और त्रिपुरा के लिए विमान सेवायें .	३१६८
७२१	विश्व खाद्य कांग्रेस . . .	३१६८–६९
७२२	रेलवे स्टेशनों पर किताबों की दूकानें (बुक स्टॉल) .	३१६९
७२३	जगाधरी रेलवे वर्कशाप . .	३१७०
७२४	काश्मीर के साथ रेल सम्पर्क . .	३१७०
७२५	रेलगाड़ी और बस की टक्कर . . .	३१७०–७१
७२६	मनीआर्डर के फार्म . . .	३१७१
७२७	कम कीमत का अधिक प्रोटीनयुक्त खाद्य .	३१७१–७२

अतारांकित प्रश्न संख्या

१९७५	राजस्थान में उद्यान विद्या का विकास . .	३१७२
१९७६	ट्रंक टेलीफोन सेवा का भंग होना . . .	३१७२
१९७७	भारसुगुडा और लपंगा के बीच स्टेशन .	३१७२–७३
१९७८	उड़ीसा में रेंगाली रेलवे स्टेशन	३१७३
१९७९	उड़ीसा में छोटी सिंचाई योजना . . .	३१७३
१९८०	बीज फार्म	३१७३–७४
१९८१	दक्षिण-पूर्व रेलवे पर सड़क के ऊपरी पुल . .	३१७४–७५
१९८२	कोब्बुर तथा निउदबोलु से रेलवे लाइन . . .	३१७५
१९८३	मद्रास और विजयबाड़ा के बीच विद्युत् रेलगाड़ी .	३१७५
१९८४	सिंगापुर रोड स्टेशन	३१७५
१९८५	दक्षिण पूर्व रेलबे में लोअर गजटेड़ सर्विस श्रेणी के पद .	३१७६
१९८६	दक्षिण पूर्व रेलबे में ए० पी० ओ० के पद . .	३१७६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१९८७	दक्षिण पूर्व रेलव में आफिस सुपरिन्टेंडेंट के पद	३१७६–७७
१९८८	नौपाड़ गुजुपुर लाइन	३१७७
१९८९	ताड़ गुड़ और ताड़ चीनी	३१७७–७८
१९९०	छोटे डाकखानों को बड़ा बनाना	३१७८
१९९१	महाराष्ट्र में डाक व तार घर	३१७८–७९
१९९२	महाराष्ट्र में नलकूप	३१७९–८०
१९९३	महाराष्ट्र में कृषि का विकास	३१८०
१९९४	श्रम निरीक्षक	३१८०
१९९५	इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की विमान सेवा	३१८०
१९९६	तम्बारम—विल्लुपुरम् रेलव लाइन	३१८१
१९९७	व्यावसायिक विज्ञापन	३१८१–८२
१९९८	सामुदायिक विकास विभागों पर किया जाने वाला व्यय	३१८२
१९९९	सहकारी क्षेत्र के लक्ष्य	३१८३
२०००	उपभोक्ता सहकारी समितियां	३१८३–८४
२००१	उच्च उड्डयन विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी कालेज	३१८४
२००२	वनों का विकास	३१८४–८५
२००३	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के इंजीनियरिंग सुपरवाइजर	३१८५
२००४	बडगरा में लाइटहाउस	३१८५
२००५	केरल में पब्लिक काल आफिस और टलीफोन एक्सचेंज	३१८६
२००६	केरल में आदर्श फलोद्यान	३१८६
२००८	अमेठी रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल	३१८७
२००९	दिल्ली का चिड़ियाघर	३१८७–८८
२०१०	राजघाट दिल्ली के समीप नया पुल	३१८८
२०११	होटल स्थान	३१८८
२०१२	बंगाल फ्लाइंग क्लब	३१८९
२०१३	वैगनों का बुकिंग	३१८९
२०१४	गल्ले की कीमत का भुगतान	३१९०
२०१५	सहकारी विधियों का संशोधन	३१९०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०१६	प्रति एकड़ उपज	३१९१–९२
२०१७	अन्तर्देशीय जल परिवहन	३१९२–९३
२०१८	तूफान की पूर्व सूचना देने वाली व्यवस्था	३१९३
२०१९	दक्षिण पूर्व रेलवे पर मचदा में रेलवे सुरक्षा दल	३१९३
२०२०	वन सर्वेक्षण	३१९४
२०२१	दिल्ली परिवहन विभाग कार्यालय	३१९५
२०२२	कृषि मंत्रियों का सम्मेलन	३१९५–९६
२०२३	गोदावरी पर रेल का पुल	३१९६
२०२४	प्रगतिशील क्षेत्रों में पिछड़े हुए क्षत्रों को कृषकों का प्रव्रजन	३१९६
२०२५	कृषि उपकरणों को लोकप्रिय बनाना	३१९७
२०२६	रेलवे पर्सोनल आफिसर	३१९७–९८
२०२७	भारतीय वन अधिनियम १९२७ के संशोधन	३१९८
२०२८	वेंडर स्टाल्स	३१९८
२०२९	डाक और तार कर्मचारी	३१९८
२०३०	डाक और तार विभाग के लोअर डिवीजन क्लर्क	३१९९
२०३१	गोआ क्षत्र की रेल व्यवस्था	३१९९
२०३२	देहरादून और डाकपठार के बीच रेलवे लाइन	३१९९–३२००
२०३३	रेलवे कैन्टीन	३२००
२०३४	पटसन का उत्पादन	३२००
२०३५	मीनक्षत्रों का विकास	३२००–०१
२०३६	टेलीफोन पर स्त्रियों को तंग करना	३२०१
२०३७	अखिल भारतीय गहूं अनुसन्धानकर्ताओं की गोष्ठी	३२०१
२०३८	वेलिंगडन द्वीप में पर्यटक सूचना कार्यालय	३२०२
२०३९	कारखानों द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान	३२०२
२०४०	गुजरात में छोटी लाइन की रेलें	३२०३
२०४१	मूंगफली की खेती	३२०३–०४
२०४२	पूंडरी आउट एजेंसी	३२०४
२०४३	डेरी उत्पादों का आयात	३२०४–०५
२०४४	कृषि का एकीकृत डिग्री पाठ्यक्रम	३२०५
२०४५	मथुरा अलीगढ़ रेलवे लाइन	३२०५–०६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०४६	बरहन—एटा रेलवे लाइन	३२०६
२०४७	सहकारी विधियां	३२०६–०७
२०४८	वांरगल में निचले पुल	३२०७
२०४९	नई दिल्ली की रोहतक रोड पर यातायात	३२०७
२०५०	जैट विमानों की उड़ोनों के लिए नौपरिवहन सुविधायें	३२०७
२०५१	मालावार शहर तक रेलवे सम्पर्क	३२०८
२०५२	पूर्व रेलवे पर दुर्घटना	३२०८
२०५३	कांच की चूड़ियां	३२०८
२०५४	डाकखाने की रकम की चोरी	३२०९
२०५५	मध्य प्रदेश में चीनी मिलें	३२०९
२०५६	सहकारी क्षेत्र के लक्ष्य	३२०९–१०
२०५७	हवाई अड्डु पर अग्निशामक सेवा	३२१०
२०५८	माल यातायात	३२१०
२०५९	काजीपेट स्टेशन पर दुर्घटना	३२१०–११
२०६०	लाडनूं रेलवे स्टेशन	३२११
२०६१	रेलवे के लिये फिश प्लेटें	३२११
२०६२	जहाजों की टक्कर से गेहूं का नष्ट हो जाना	३२११
२०६३	भैंसों का निर्यात	३२१२
२०६४	दिल्ली में चावल की कमी	३२१२
२०६५	अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन	३२१२–१३
२०६६	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर वैगनों का आना जाना	३२१३
२०६७	उड़ीसा डाक व तार सर्किल	३२१४
२०६८	फ्लाइंग क्लब	३२१४
२०६९	सस्ते खाद्य पैकटों की बिक्री	३२१४–१५
२०७०	रेल की पटरी का निरीक्षण	३२१५
२०७१	बरमहन में नर्वदा पर पुल	३२१५–१६
२०७२	होशंगाबाद के समीप नर्मदा पर पुल	३२१६
२०७३	रेलवे टिकटों का जारी किया जाना	३२१६
२०७३-क	डीलक्स कारें	३२१७
२०७३-ख	कृषि योजनाओं के लिए सीमेंट	३२१७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३२१८–१९

श्री राम सेवक यादव ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाल की बाढ़ों से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान दिलाया ।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० क० ल० राव) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।

स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में ३२१९–२०

सभा द्वारा पटल पर रखे गये पत्र ३२२०–२१

(१) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार से सम्बन्धित निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति :—

(एक) (क) १ अप्रैल से ६ अप्रैल १९५८ तक की अवधि के लिये संचालन और लाभ तथा हानि लेखा (बस डिवीजन) ।

(ख) ६ अप्रैल १९५८ का संतुलन-पत्र (बस डिवीजन) ।

(ग) १ अप्रैल से ६ अप्रैल १९५८ तक की अवधि के लिए लाभ तथा हानि का लेखा (ट्रामवे शाखा) ।

(घ) ६ अप्रैल १९५८ का संतुलन-पत्र (ट्रामवे शाखा) ।

(ङ) ६ अप्रैल १९५८ को दायित्वों का ब्यौरा ।

(च) १ अप्रैल से ६ अप्रैल १९५८ तक की अवधि के लेखे का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) उपरोक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।

(२) व्यक्तिगत चोट (आपातकालीन उपबन्ध), अधिनियम १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत दिनांक ७ सितम्बर, १९६३ को अधिसूचना संख्या एस० ओ० २४४४ में प्रकाशित व्यक्तिगत चोट (आपातकाल) संशोधन विनियम १९६३ की एक प्रति ।

(३) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक २२ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १७०५ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (दूसरा संशोधन) नियम १९६३ की एक प्रति ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवदन–उपस्थापित . . . ३२२१

चौदहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन–उपस्थापित . . . ३२२१

अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

पृष्ठ

अनुपस्थिति की अनुमति -- ३२२१—२३

निम्नलिखित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गई :—

(१) श्री उ० मु० तेवर (२) श्री उमानाथ (३) महाराजकुमार विजय आनन्द (४) श्री ज० ब० सिंह (५) श्री नेसामनी (६) मू० भू० वैश्व (७) श्री बालकृष्णन (८) श्री देशपांडे (९) श्री दशरथ देव (१०) श्री बीरेन दत्त और (११) श्री गयासुद्दीन अहमद ।

विधेयक पुरस्थापित-- ३२२३

गन्दी बतिस्यां (सुधार तथा सफाई) संशोधन विधेयक

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव -- ३२२६—५७

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पर तथा तत्सम्बन्धी स्थानापन्न प्रस्ताव पर, जिन्हें १६ सितम्बर, १९६३ को क्रमशः प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) और श्री व० बा० गांधी ने प्रस्तुत किया था, चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर भी दिया । स्थानापन्न प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ, पक्ष में १८२ ; विपक्ष में २४, तदनुसार स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, १८ सितम्बर, १९६३/२७ भाद्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि–

भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति देने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—1298 (ai) LSD—22-10-63—1160